लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA
DEBATES

Second Session

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
04-1-84
Parliament Library

खंड 4, 1967 / 1889 (शक)
Volume (IV), 1967/1889 (Saka)

[6 जून से 19 जून, 1967 / 16 ज्येष्ठ से 30 ज्येष्ठ, 1889 (शक)]
[June 6 to June 19, 1967/ Jyaistha 16 to Jyaistha 30, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)
Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 4 में अंक 11 से 20 तक हैं)
(Volume (IV) Contains Nos. 11 to 20)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

2663

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 14–शुक्रवार, 9 जून, 1967/19 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

No. 14 Friday, June 9, 1967/Jyaistha 19, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
391	कम्पनियों के वित्त के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा सर्वेक्षण	Reserve Bank's Survey of Finances of Companies	1749–1752
393	पटसन का आयात	Import of Jute ..	1752-1754
394	चाय निर्यात संवर्द्धन समिति	Tea Export Promotion Committee ..	1754
405	चाय का उत्पादन तथा निर्यात	Production and Export of Tea	1754–1756
395	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा मशीनी औजारों का निर्माण	Production of Machine Tools by HMT	1757–1760
396	व्यापारिक मोटर गाड़ियों का निर्माण	Production of Commercial Vehicles ..	1760–1762
397	आयात लाइसेंस	Import licences ..	1762–1763
	अल्प-सूचना प्रश्न	**SHORT NOTICE QUESTION**	
10.	नर्मदा परियोजना	Narmada project	1764-1768

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न सं० S.Q. No.			
392	रेलगाडी में अनाज लाने ले जाने में अनाज की बर्बादी	Loss of foodgrains during Rail transit ..	1768
398	सूती कपड़ा मिलों में माल का जमा हो जाना	Accumulation of stocks in cotton textile mills	1768
399	सूती कपड़े के मूल्य पर नियंत्रण	Price Control on cotton textiles – –	1769

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
400	चौथी पंचवर्षीय योजना में कोयले का उत्पादन	Coal production during Fourth Plan	1769
401	"नेरो गेज" (संकरी) रेलें	Narrow Gauge Railways ..	1769-1770
402	बिहार में रेलवे लोक सेवा आयोग	Railway public service commission in Bihar	1770
403	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of NCDC ..	1770-1771
404	खेतड़ी तांबा परियोजना की स्थापना	Establishment of Khetri Copper Project ..	1771-1772
406	रेलवे अधिकारियों के लिए सैलून, आरामदेह डिब्बे तथा वातानुकूलित डिब्बे	Saloons, Luxury Cars and A. C. Coaches for Railway Officials	1772
407	जमालपुर के रेलवे कर्मचारियों को सहायता	Relief to Railway Employees of Jamalpur ..	1772-1773
408	पटसन का माल बनाने की लागत	Manufacturing cost of jute goods	1773
409	तांबे और जस्ते की कमी	Shortage of copper and zinc	1774
410	बोकारो इस्पात कारखाना	Bokaro Steel Plant	1774-1775
411	व्यापारियों को बन्दरगाह की सुविधायें	Port facilities to Traders	1775
412	विलम्ब शुल्क	Demurrage charges	1775
413	समवाय विधि न्यायाधिकरण	Company Law Tribunal	1775-1776
414	पूर्व रेलवे के महा प्रबन्धक (जनरल मैनेजर)	G. M. Eastern Railway ..	1776-1777
415	जापान को लोह-अयस्क का निर्यात	Export of Iron ore to Japan ..	1777
416	कानपुर के औद्योगिक संस्थानों से वसूल किया जाने वाला रेलवे भाड़ा	Railway freight outstanding against Industrial concerns of Kanpur	1777
417	700-एच. पी. डीजल इंजन	700 H.P. Diesel Locomotives	1777-1778
418	इस्पात का उत्पादन	Production of Steel ...	1778
419	एकाधिकार आयोग	Monopoly Commission	1778-1779
420	रेलवे के भोजनालयों में प्रति व्यक्ति भोजन की दर	Rates charged per meal in Railway Restaurants ..	1779

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.			
1950	चौथी योजना में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Fourth Plan ..	1779-1780
1951	कोटकपुरा तथा फाजिल्का के बीच मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन बनाना	Conversion of M. G. into B. G. Line between Kotakapura and Fazilka ..	1780
1952	जाली रेलवे टिकटों की बिक्री	Sale of forged Railway Tickets ..	1780
1953	भारतीय चलचित्रों का निर्यात	Export of Indian Films ..	1781
1954	कोट्टायम में रबड़ का सामान बनाने का कारखाना	Rubber Goods Manufacturing Factory at Kottayam	1781
1955	कोट्टायम में माण्ड (स्टार्च) कारखाना	Starch Factory at Kottayam	1781-1782
1956	राजकीय छोटी रेलवे लाइनें	State owned Narrow Gauge Railway	1782
1957	खुरदा, भुवनेश्वर तथा निराकारपुर स्टेशनों पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति	Appointment of Class IV Staff at Khurda, Bhumaneswar and Nirakarpur Stations ..	1782-1783
1959	टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० के इस्पात का विक्रय मूल्य	Selling price of TISCO Steel ..	1783
1960	कोयम्बतूर की घाटे पर चलने वाली कपड़ा मिल	'SICK' Textile Mills of Coimbatore	1783-1784
1961	कोचीन-मंगलौर लाइन को बम्बई तक बढ़ाना	Extension of Cochin-Mangalore line to Bombay — ...	1784
1962	बरेली जंक्शन स्टेशन पर ऊपरी पुल	Overbridge at Bareilly Jn. Station	1784
1963	बख्तियारपुर स्टेशन पर रेलवे का पुल	Railway Bridge at Bakhtiyarpur	1784-1785
1964	कपास पर कानूनी मूल्य नियन्त्रण	Statuory Price Control on Cotton ..	1785

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

1965	कपड़े पर मूल्य नियंत्रण	Price control on cloth ..	1785–1786
1966	कपास पर मूल्य नियंत्रण	Price control on cotton	1786
1967	कपड़े का उत्पादन	Production of cloth ..	1786
1968	टायरों का निर्माण	Manufacture of tyres	1786–1787
1969	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant ..	1787
1970	आसाम मेल में लगाया गया डिब्बा	Bogie attached to Assam Mail	1787
1971	थाईलैंड से पटसन का आयात	Import of jute from Thailand	1787–1788
1972	थाईलैंड से पटसन का आयात	Import of jute from Thailand ..	1788–1789
1973	इस्पात उद्योग	Steel Industries	1789
1974	मेसर्स श्री राम निरंजन बम्बई द्वारा रेलवे को स्लीपरों की जाली सप्लाई	Bogus supply of sleepers to railways by Messers. Shri Ram Niranjan, Bombay	1789–1790
1975	विदेशों में मेलों के लिए कर्मचारी	Personnel for Fairs abroad	1790
1976	इण्डिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स, सेरामपुर	India Belting and Cotton Mills, Serampur...	1790–1791
1978	राज्य व्यापार निगम द्वारा कारों की बिक्री	Sale of Cars by State Trading Corporation...	1791
1979	हिसार जंक्शन के रेलवे फाटक	Level crossing at Hissar Junction ...	1791
1980	दिल्ली में भूमिगत रेल की व्यवस्था	Underground Railway System in Delhi ...	1791–1792
1981	महेन्द्रगढ के पास चलती गाड़ी में चोरी	Theft in Running Train near Mahendragarh	1792
1982	भुवनेश्वर में रेलवे क्वार्टर	Railway Quarters at Bhubaneswar ...	1792
1983	पार्सल रेलगाड़ी के तीसरी श्रेणी के डिब्बे में मार-पीट की घटना	Clash in the Third Class Compartment of a parcel train	1792–1793

1984	रेशे और धागे का उत्पादन	Production of Fibre and Yarn	1793
1985	एस्बेस्टस कम्पनी	Asbestos Company	1793-1794
1986	विदेशों में संयुक्त उपक्रम	Joint ventures abroad	1794-1795
1987	सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public Sector Industries	1795-1796
1988	सहायक उद्योगों सम्बन्धी उप समिति	Ancillary Industries Sub-Committee	1796-1797
1989	दिल्ली में शक्ति नगर के पास रेलवे स्टेशन का निर्माण	Constuction of Station near Shaktinagar, Delhi	1797
1990	इंट्रेग्रल कोच फैक्टरी	Integral Coach Factory	1797
1991	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के कार्मिक संघों के नेता	Trade Union Leaders of H. E. L. Bhopal ...	1797-1798
1992	मैंगनीज के संभरण के लिये जापान के साथ करार	Agreement with Japan for Supply of Manganese	1798
1993	यूरिया और लेको का उत्पादन	Production of UREA and LECO	1798-1799
1994	उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in Orissa	1799
1995	बिजली से चलने वाले हलों का निर्माण	Manufacture of Power Tillers	1799-1800
1996	इन्सपेक्टर आफ वर्क्स की छंटनी	Retrenchment of I. O. Ws.	1800
1997	दिल्ली में हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची का गैस्ट हाउस	Heavy Engineering Corporation, Ranchi Guest House in Delhi	1801
1998	रांची स्थित भारी इंजीनियरी निगम के कर्मचारी	Employees of H. E. C. Ranchi ...	1801
1999	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची में कर्मचारियों के वेतन-क्रम	Pay scales in H. E. C., Ranchi	1802

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WR TTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2000	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची में गंदे नाले के पानी से खाद तथा पानी अलग करने वाला संयंत्र	Sewage Treatment Plant in Heavy Engineering, Corporation, Ranchi	1802
2001	गोरखपुर इलाहाबाद सैक्शन पर रेल दुर्घटना	Accident on Gorakhpur-Allahabad Section...	1802-1803
2002	रेलवे संचालन कार्यों के खर्च में कमी	Economy in Railway operations ...	1803
2003	सूती कपड़ा उद्योग द्वारा निर्यात	Exports by Cotton Textile Industry... ...	1803
2004	दिल्ली और फीरोजपुर के बीच रेलगाड़ी	Train Services between Delhi and Ferozepur	1804
2005	नारियल-जटा बोर्ड का अनुसंधान उप-केन्द्र	Research Sub-Station of the Coir Board ...	1804-1805
2006	लघु उद्योगों द्वारा तैयार किये गये माल का मानकीकरण	Standardisation of Products of Small Scale Industries	1805
2007	हांगकांग में एम्पोरियम	Emporium in Hong Kong	1805
2008	कपड़े का दाम	Price of Cloth	1805-1806
2009	सीमेंट का उत्पादन	Cement Production	1806-1807
2010	बिहार से पटसन की खरीद	Purchase of Jute from Bihar	1807
2012	रूरकेला इस्पात कारखाने में घाटा	Loss in Rourkela Steel Plant	1807
2013	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में प्रोत्साहन योजना	Incentive Scheme in Steel Plants in Public Sector	1807-1808
2014	डीजल से चलने वाले रेल-इंजन	Diesel Locomotives	1808
2015	कठारा में कोयला धोने का कारखाना	Coal Washeries at Kathara	1808-1809
2016	खेत्री तांबा परियोजना	Khetri Copper Project ..	1809-1811

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2017	सोनाई रेलवे स्टेशन	Sonai Railway Station	1811
2018	शराब बनाने के लिये जो का प्रयोग	Use of Barley for Wine Manufacture	1811
2019	रोपड़ नंगल डेम सेक्शन पर यात्रियों के लिये सुविधाएं	Passenger Amenities at Rupar–Nangal Dam Section	1811–1812
2020	दुर्गापुर में केन्द्रीय सरकार का अस्पताल	Central Government Hospital in Durgapur.	1812–1813
2021	बनखेडी रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे)	Bankhedi Railway Station (Central) Railway	1813
2023	थामसन प्रेस (इंडिया) लिमिटेड, फरीदाबाद	Thomson Press (India) Ltd. Faridabad –	1813–1815
2024	कनाडा के सहयोग से उद्योगों की स्थापना	Industries with Canadian Collaboration	1815
2025	अनुसूचित जातियों के यातायात प्रशिक्षणार्थी	Scheduled Caste Traffic Trainees ..	1815–1816
2026	सोफ्ट कोक तथा इंट जलाने वाले कोयले के उत्पादकों द्वारा धरना	'Dharna' by Soft Coke and brick Burning coal producers	1816–1817
2027	स्वामीनाथन समिति का प्रतिवेदन	Swaminathan Committee Report ...	1817
2028	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में आटो ट्रक चालक	Auto Truck Drivers on N.E.F. Railway	1817–1818
2029	तपेदिक रोग से आरोग्य हुए व्यक्तियों की रेलवे में नियुक्ति	Appointment of Ex. T.B. Patients on Railways	1818–1819
2030	रेलवे कर्मचारियों के विकलांग बच्चे	Handicapped Children of Railway Employees	1819
2031	पटसन की किस्म का वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण	Scientific Grade Standard for Jute	1819
2032	भिलाई में अधिक उत्पादन	Excess Production at Bhilai ..	1820

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

2033	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के इस्पात कारखानों में उत्पादन	Production in Public and Private Sector Steel Plants ...	1820–1821
2034	गार्डस प्रमाणपत्र सुविधा	Guards Cartificate Facility	1821
2035	जमालपुर रेलवे वर्कशाप में रोजगार	Employment at Jamalpur Railway Workshop	1821–1822
2036	बरियारपुर पर रेल के पुल के साथ साथ पैदल चलने का रास्ता	Pathway along Railway Bridge Bariarpur...	1822
2037	हिन्दूमलकोट और श्रीगंगा नगर के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Hindumalkote and Sri Ganga Nagar ...	1823
2038	असीरगढ रेलवे स्टेशन के पास फाटक का बन्द किया जाना	Closure of Level Crossing near Asirgarh Station	1823
2039	खंडवा और दोहदा स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन	Railway line between Khandwa and Dohad Stations	1823
2040	बीकानेर--जयपुर सेक्शन पर शयन डिब्बे	Sleeper Coaches on Bikaner Jaipur Section	1824– 824
2041	सिगनल निर्माण कार्यालय, ओलावाकोट को अन्य स्थान पर ले जाना	Shifting of Signal Construction Office, Olavakkot	1823–1825
2042	संसद् सदस्यों की सहायता चाहने वाले रेलवे कर्मचारी	Railway Employees Seeking Help of M. Ps.	1825
2043	इलायची का उत्पादन	Production of Cardamom	1825
2044	छोटे ट्रैक्टर	Small Tractors	1826
2045	खनिज तथा धातु व्यापार निगम	Minerals and Metals Trading Corporation	1826–1827
2046	दक्षिण-पूर्व रेलवे में लोअर गजेटेड सेवा में पद	Posts in Lower Gazetted Service on S. E. Rly.	1827–1828
2047	पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे का स्टोर विभाग	Stores Department of N. E. P. Railway ...	1828

2048	हनोवर में औद्योगिक प्रदर्शनी	Industrial Fair in Hanover	1828–1829
2049	उड़ीसा में औद्योगिक सहकारी समितियां	Industrial Cooperative Societies in Orissa ...	1829
2050	दक्षिण–पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार	Corruption on South Eastern Railway	1829–1830
2051	राजस्थान के लिये अम्बर चर्खे	Ambar Charkhas for Rajasthan	1830–1831
2052	दक्षिण-पूर्व रेलवे में बिजली लगाना	Electrification on S. E. Rly.	1831
2053	उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस	Industrial Licences for Orissa	1831
2054	सेवानिवृत रेलवे कर्म–चारियों को अनुग्रह पूर्वक अदायगी	Ex-gratia payment to retired Railwaymen...	1831–1832
2055	समस्तीपुर जिले में यातायात विभाग के केबिनमेन	Cabinmen of Traffic Department in Samastipur Distt.	1832
2056	मद्रास--अकोनम सेक्शन में रेलगाड़ियों की सुवि–धायें	Train Facilities at Madras – Arkonam Sections	1832
2057	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों की मांगें	Demands of the Employees of N.C.D.C. ...	1832–1833
2058	जी. टी. एक्सप्रेस रेलगाड़ी का रोका जाना	Detention of G. T. Express	1833
2059	कमतौल और जोगियारा स्टेशनों के बीच नया स्टेशन	New Station between Kamtaul and Jogiara Stations ...	1833–1834
2060	इलाहाबाद एक्सप्रेस गाडी का पटरी से उतरना	Derailment of Allahabad Express...	1834
2061	दिल्ली और आगरा के बीच अधिक गति वाली गाड़ी	High Speed Train between Delhi and Agra	1834

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
2062	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा स्वचालित मशीनों की सप्लाई	Supply of Automobile Machines by H.M.T.	1834–1835
2063	गाजियाबाद शटल गाड़ी का मेरठ तक चलाया जाना	Extension of Ghaziabad Shuttle Service to Meerut	1835
2064	पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारी	Railway Employees on N.E. Railway	1835
2065	सोनाई रेलवे स्टेशन पर टिकट घर	Booking Office at Sonai Railway Station ...	1835–1836
2066	विदेशी फिल्मों का आयात	Import of Foreign Films	1836
2067	मशीनी औजार कारखाने	Machine Tool Factories	1836
2068	नालीदार चादरें	Corrugated Sheets	1836–1837
2069	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, लि. रांची का भारी मशीन निर्माण कारखाना	Heavy Machine building plant of H.E.C. Ranchi	1837
2070	भारी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का इस्पात के ढांचे तैयार करने वाला वर्कशाप	Structural Fabrication Workshop of H.E.C. Ranchi	1837–1838
2071	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का कुआं खोदने के बरमों (रिगों) का निर्माण	Manufacture of well drilling Rings in H.E.C. Ranchi	1838
2072	वाराणसी में ट्रैक्टर कारखाना	Tractor Factory in Varanasi	1838–1839
2073	समाहार तथा संग्रह करने की नीति	Procurement and storing policy ...	1839–1840
2074	शिक्षु मैकेनिक	Apprentics Mechanics	1840
2075	सिगनल वर्कशाप में काम करने वाले कर्मचारी	Signal Workshops staff	1840–1841
2076	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	New Bhopal Textile Mills	1841

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS –Contd.

2077	अखिल भारतीय रेलवे कमर्शियल क्लर्क्स संस्था	All India Railway Commercial Clerks Association	1841–1842
2078	पश्चिम रेलवे की अखिल भारतीय गार्ड परिषद्	All India Guard's Council of Western Railway ...	1842
2079	कपास का अधिकतम मूल्य	Celling prices of cotton ...	1842–1843
2080	रेल किराये की वापसी	Refund of Railway Fare ...	1843–1844
2081	भारत में चाय बागानों के अंग्रेज मालिक	British tea planters in India	1844–1845
2082	फिएट कारों का निर्माण	Production of Fiat Cars	1845
2083	मध्य रेलवे की छोटी रेलवे लाइनें	N.G. Railway Lines on the Central Railway ...	1845–1846
2084	मध्य प्रदेश में छोटी रेलवे लाइन	N.G. Lines in M.P.	1846
2085	मध्य रेलवे में उपरि पुल	Overbridges on Central Railway	1846–1847
2086	संसद् सदस्यों के लिये परिचय पत्र तथा रेलवे पास	Identity-cum-Railways Pass for M. Ps. ...	1847
2087	बरेली और भोजीपुरा के बीच रेल की पटरी को दोहरा करना	Doubling of Rail Tract between Bareilly and Bhojeepura	1847
2088	बंदमुंदा पर उपरि पुल	Overbridge at Bondamunda	1848
2089	बड़ौदा कताई तथा बुनाई कारखाना	Baroda spinning and Weaving Unit –	1848
2090	गोहाद और ननेरी स्टेशनों के बीच दुर्घटना	Accident between Gohad and Naneri Stations	1848–1849
2091	खनन पट्टे	Mining Leases .. –	1849
2092	कटक से पारादीप तक बिजली से चलने वाली गाड़ियां	Electric Trains from Cuttack to Paradeep ..	1849–1850
2093	पश्चिमी जर्मनी को इंजीनियरी सामान का निर्यात	Export of Engineering Products to West Germany .. –	1850

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

2094	26 अप आइलैंड एक्सप्रेस का कुप्पम में पटरी से उतर जाना	Derailment of 26 UP Island express at Kuppam	1850-1851
2095	दानापुर और मुगलसराय स्थित रेलवे स्कूलों के क्लर्क	Clerks of Railway Schools at Danapur and Mughalsarai	1851
2096	खादी कपड़े का निर्यात	Export of Khadi Cloth	1851
2097	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का उत्पादन	Production of H.M.T. Ltd. ..	1851-1852
2098	यमुना पुल (आगरा)	Yamuna Bridge (Agra) ...	1852
2100	रूरकेला उर्वरक कारखाना में उत्पादन	Production in Fertiliser Factory, Rourkela..	1852
2101	मैसर्स जी. एस. एम्पोरियम, कलकत्ता	M/s G.S. Emproium, Calcutta	1852-1853
2102	मोतीपुर और कांटी स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन	Halt station between Motipur and Kanti Stations	1853
2103	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा बेची गई रेलों पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on rails sold by Hindustan Steel Ltd. ..	1853-1854
2104	निर्यात	Exports	1854
2105	मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर उपरि पुल	Overbridge at Mirzapur Railway Station..	1854
2106	इंजन मरम्मत वर्कशाप को गोहाटी से मालीगांव ले जाना	Shifting of loco repairing workshop from Gauhati to Maligoan	1854-1855
2107	कोंकण रेलवे	Konkan Railway	1855
2108	बंकुरा दामोदर नदी घाटी कम्पनी को अपने हाथ में लेना	Taking over of Bankura Damodar River Valley Company	1855-1856
2109	रेलवे का वायरलैस विंग	Wireless Wing of Railways	1856

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

2110	पाकिस्तान द्वारा रोके गये माल का लोटाया जाना	Release of Corgo Seized by Pakistan ..	1856–1857
2111	रूरकेला स्टील मिल्स	Rourkela Steel Mills	1857
2112	हसनपुर रोड से साकरी स्टेशन तक रेलवे लाइन	Railway line from Hasanpur Road to Sakri Stations	1857
2113	खादी तथा सूत का जमा होना	Accumulation of Khadi and Yarn ...	1857–1858
2114	रेल के माल डिब्बों का निरिक्षण दल	Inspection Team of Railway Wegons ...	1858
2115	रेलवे माल डिब्बे लेने वाले स्थान पर निरीक्षण	Inspection job at procurement point of Railway Wagons	1858–1859
2116	पश्चिमी जर्मनी को लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to West Germany	1859
2117	लोहे की नालीदार चादरें	Corrugated Iron Sheets	1859–1860
2118	सियालदह सैक्शन में यात्रियों की भीड़	Rush of Passengers in Sealdah Section	1860
2119	हैवी प्लेट तथा वैपल कारखाने का स्थान	Location of Heavy plates and vessaels Project	1861
2120	केरल में कलमासेरी में मशीनी औजार बनाने का कारखाना	Machine tool plant at Kalamassery in Kerala.	1861–1862
	अतारांकित प्रश्न संख्या 525 के उत्तर में शुद्धि	Correction in answer to Unstarred Question No. 525.	1862
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी...	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance- Contd.	1862
	श्री बी. पटनायक के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) की रिपोर्ट उड़ीसा सरकार को देने से केन्द्रीय सरकार के इन्कार के समाचार	Reported refusal of Central Government to make available to Orissa Government C B I Report on Shri B. Patnaik-Contd...	1862–1865
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	

प्रता. प्र. संख्या/ S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1866
नियम समिति	Rules Committee	1866
पहला प्रतिवेदन	First Report ...	1866
राज्य सभा से सन्देश	Massage from Rajya Sabha ...	1867
स्वेज नहर के बन्द हो जाने के कारण खाद्यान्नों के जहाजों के भारत पहुंचने में विलम्ब के बारे में वक्तव्य	Statement Re: delay in the arrival of food ships in India due to closure of Swez Canal	1868
श्री जगजीवनराम	Shri Jagjivan Ram	
सभा का कार्य	Business of the House	1868–1869
सभा का कार्य--जारी	Business of the House–Contd.	1869–1870
स्वेज नहर के बन्द हो जाने के कारण खाद्यानों के जहाजों के भारत पहुंचने में विलम्ब के बारे में वक्तव्य--जारी	Statement Regarding delay in the arrival of food Ships in India due to closure of Swez Canal–Contd. ..	1870–1873
सामान्य आय-व्ययक, 1967-68 सामान्य चर्चा–जारी	General Budget 1967–68–General Discussion –Contd.	1874–1878
श्री कृष्णचन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandeker	
श्री अहमद आगा	Shri Ahmed Aga	
गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	1878
तीसरा प्रतिवेदन	Third Report ..	1878
(1) प्रबन्ध व्यवस्था परिषद् विधेयक, 1967 [श्री राम किशन गुप्त का]	(1) The Managing Council Bill, 1967 by Shri Ram Kishan Gupta	1878–1879
(2) जांच आयोग विधेयक, 1967 [श्री राम किशन गुप्त का]	(2) The Investigation Commission Bill, 1967 by Shri Ram Kishan Gupta ..	1879

अता. प्र. संख्या U.S.Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
(3) सहायक बैंक विलय विधेयक, 1967 [श्री राम किशन गुप्त का]	(3) The Subsidiary Banks Mergers Bill, 1967 by Shri Ram Kishan Gupta ...	1879
(4) राजद्रोह विधेयक, 1967 [श्री यशपाल सिंह का]	(4) The Treason Bills, 1967, by Shri Yashpal Singh ..	1880
(5) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 405 और 406 का संशोधन) [श्री राम किशन गुप्त का]	(5) The Indian Penal Code (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of section 405 and 406) by Shri Ram Kishan Gupta ..	1880
(6) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 77 का संशोधन) (श्री यशपाल सिंह का]	The Representation of the people (Amendment) Bill. 1967 (Amendment of section 77) by Shri Yashpal Singh	1880–1881
(7) उदजनित वनस्पति तेलों के निर्माण तथा आयात का निषेध विधेयक, 1967 [श्री यशपाल सिंह का]	(7) The prohibition of Manufacture and Import of Hydrogenated Vegetable Oils Bill, 1967 by Shri Yashpal Singh. ..	1881
(8) किराया खरीद विधेयक, 1967 (श्री यशपाल सिंह का]	(8) The Hire Purchase Bill, 1967 by Shri Yashpal Singh	1881
(9) मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 1 और 15 का संशोधन तथा नई धारा 13 क का रखा जाना) [श्री स. चं. सामन्त का]	(9) The payment of wages (Amendment) Bill 1967 (Amendment of Section I and 15 and Insertion of new sectien 15A by Shri S.C. Samanta ...	1882
(10 पुस्तकों तथा समाचार पत्रों का दिया जाना (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक, 1967 (धारा 2 और 3 का संशोधन) [श्री स. चं. सामन्त]	(10) The Delivery of Books and News Papers (Public Libraries) Amendment Bill, 1967 (Amenement of section 2 and 3) By Shri S.C. Samanta	1882

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos. विषय Subject पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

(11) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1967 (नई धारा 43 ख और 250 क का रखा जाना और धारा 224, 237 आदि का संशोधन) [श्री दी. चं. शर्मा का]	(11) The Companies (Amendment) Bill, 1967 (Insertion of new sections 43B and 250A and amendment of sections 224, 237, etc.) by Shri Diwan Chand Sharma	1883
(12) दान कर (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 22, 23 आदि का संशोधन) [श्री दी. चं शर्मा का]	(12) The Gift-Tax (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of section 22,23, etc.) by Shri Diwan Chand Sharma	1883
(13) विदेशी मुद्रा विनियम (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 2 और 23 आदि का संशोधन) श्री दी. चं. शर्मा का	(13) The Foreign Fxcange Regulation (Amendment) Bill 1967 (Amendment of sections 2 and 23 etc,) by Shri Diwan Chand Sharma	1884
(14) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 6 का हटाया जाना) (श्री विश्वनाथ पाण्डे का)	(14) The Prevention of corruption (Amendment) Bill, 1967 (Omission of section 6) by Shri Vishwa Nath Pandey	1884
(15) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967 (धारा 127, 128 और 129 का संशोधन) [श्री विश्वनाथ पाण्डेय का]	(15) The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of Sections 127, 128 and 129) by Shri Vishwa Nath Pandey	1884–1885
(16) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1967 धारा 252 का सशोधन [श्री विश्वनाथ पाण्डेय का]	(16) The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of Section 252) by Shri Vishwa Nath Pandey ..	1885
(17) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 134 का संशोधन) [श्री विश्वनाथ पाण्डेय का]	(17) The Construction (Amendment) Bill 1967 (Amendment of article 134 A) by Shri Vishwa Nath Pandey ...	1885
(18) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 13 का सशोघन तथा नये अनुच्छेद 19 क आदि का रखा जाना) [श्री गरोश का]	(18) The Constitutn (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of article 13 and insertion of new Article 19 A etc. by Shri K. R. Ganesh –	1886

प्रश्नों के लिखित उत्तर –(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
(19) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 102 का संशोधन) [श्री गणेश का]	(19) The Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of article 102) by Shri K. R. Ganesh	1886
संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 37, 45 आदि का संशोधन) [श्री मधु लिमये का]	Constitution (Amendment) Bill, 1967 (Amendment of Article 37, 45, etc.) by Shri Madhu Limaye –	1887–1889
परिचालित करने का प्रस्ताव	Motion to circulate	
डा. राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
संविधान (संशोधन) विधेयक, 1967 (अनुच्छेद 368 का संशोधन) [श्री नाथ पाई का]	Constitution (Amendment) Bill, 1967 ..	1889
	(Amendment of article 368) by Shri Nath Pai	1889–1893
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to refer to Select Committee	
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	
श्री दी. चं. शर्मा	Shri D. C. Sharma	
श्री प्र. के. देव	Shri P. K. Deo	
श्री जी. भा. कृपालानी	Shri J. B. Kripalali	
चाय (संशोधन) विधेयक, 1967 पुरःस्थापित	The Tea (Amendment) Bill, 1967--Introduced	1893

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

दिनांक 9 जून, 1967 । 19 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
1763	पंक्ति 3 , `1586 67 ` के स्थान पर `586।67 `पढ़िये ।
1862	पंक्ति 5 , `मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र.चं.सेठी )` के स्थान पर `मंत्री (डा.चेन्ना रेड्डी) पढ़िये ।
1883	पंक्ति 3 , `250क ` के स्थान पर `250 कक ' पढ़िये ।
1884	नीचे से विद्यमान पंक्ति 4 के स्थान पर `(धारा 127, 128 और 129 का संशोधन ) ` पढ़िये ।
1885	(1) पंक्ति 9, `555 ` के स्थान पर `252 `पढ़िये । (2) पंक्ति 21 , `134 क ` के स्थान पर `134 `और पंक्ति 22 , `134 A` के स्थान पर `134 `पढ़िये ।
1886	नीचे से विद्यमान पंक्ति 10 के स्थान पर `(अनुच्छेद 102 का संशोधन) पढ़िये ।
1893	नीचे से पंक्ति 1, `26 `के स्थान पर `22 ` पढ़िये ।

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 9 जून, 1967/19 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

Friday, June 9, 1967 Jyaistha 19, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों को लेने से पूर्व मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि मुझे बहुत से सदस्यों ने लिखा है कि हम एक-एक प्रश्न पर बहुत समय लगा रहे हैं जिसके फलस्वरूप बहुत से अच्छे प्रश्न रह जाते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि चार या पांच अनुपूरक प्रश्नों के पश्चात मुझे अगले प्रश्न देना चाहिए।

Shri Sidheshwar Prasad : Only those members should be permitted to put supplementaries whose names are clubbed to the question.

श्री शिव नारायण : जी नहीं। आप पहले छपे नाम वाले सदस्य को पहले प्रश्न पूछने दें और उसके पश्चात सारे सदन को पूछने की अनुमति होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा सुझाव है।

कम्पनियों के वित्त के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा सर्वेक्षण

* 391. **श्री उमानाथ** : **श्रीमती सुशीला गोपालन** :
श्री सत्यनारायण सिंह : **श्री ई० के० नायनार** :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 1964-65 में छोटी सरकारी लिमिटेड कम्पनियों के वित्त के बारे में रिजर्व बैंक के हाल ही के सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है, जिसमें कहा गया है कि उनकी कुल निधियों का 70-5 प्रतिशत बाह्य श्रोतों से है ;

(ख) क्या सरकार ने इन उपपत्तियों के प्रभाव पर विचार किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है-?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीरघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) इन उपपत्तियों का कोई सार्थक नीति लक्ष्यार्थ नहीं है, क्योंकि इसका अध्ययन केवल एक वर्ष अर्थात् 1964-65 से संबंधित है, तया प्रदत्त पूंजी की संख्या में यह छोटी सरकारी लिमिटेड कम्पनियों का 26 प्रतिशत है । इनमें से अधिकांश कम्पनियां व्यापार से संबंधित हैं व उनका 1964-65 का ऋण साम्य अनुपात अध्ययन में 1-1-93 दिखलाया गया है जो बिल्कुल अनूकूल है ।

(घ) अध्ययन कोई लम्बी अवधि के असाधारण झुकाव की स्थापना नहीं करता, जिससे इस दिशा में कोई पग उठाने की आवश्यकता हो ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या मैं जान सकती हूं कि वित्तीय एजेंसियां, जिनमें बैंक भी शामिल हैं छोटी कम्पनियों पर प्रभाव डाल रही हैं तथा सरकार क्या कदम उठा रही है कि वे इन कम्पनियों पर अनुचित प्रभाव न डालें ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह बात रिज़र्व बैंक ने जो अध्ययन किया है और जो फरवरी 1967 के समाचार में छपा है में स्पष्ट रूप से समझा दी है । उन्होंने स्रोतों को दो श्रेणियों में बांटा है, एक आन्तरिक स्रोत तथा दूसरे बाहरी स्रोत । स्वाभाविक रूप से बैंक बाहरी स्रोतों में आते हैं क्योंकि वे इसमें प्रदत्त पूंजी को शामिल नहीं करते । यह इस प्रकार हैं : बैंक 234 लाख रु०; संविदित वित्तीय संस्थायें 30 लाख रु०, ऋण-पत्र 20 लाख रु०; रहन 8 लाख रु० तथा अन्य 66 लाख रु० ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा था परन्तु आप कुछ और उत्तर दे रहे हैं ।

श्री नायनार : क्या यह सच है "(क) कि 1964-65 में छोटी सरकारी लिमिटेड कम्पनियां ने बाहरी स्रोतों से 36 प्रतिशत बैंक ऋणों की वृद्धि हुई है और यदि हां तो क्या छोटी लिमिटेड कम्पनियों पर बैंकों का काफी प्रभाव बढ़ गया है;

(ख) क्या सरकार इस मामले की गहराई में जायेगी और पता लगायेगी कि पहले दस अनुसूचित बैंकों का कितना प्रभाव है ताकि छोटे पैमाने के क्षेत्र की उन्होंने कितना जकड़ा हुआ है इसका पता चल सके ;

(ग) क्या कम्पनी कानून प्रशासन के अध्ययन से पता चला है कि कम्पनियों से जो उत्पत्ति होती है उसका अधिकांश भाग बड़े उद्योग प्राप्त कर लेते हैं ; और

(घ) क्या सरकार इन प्रतिवेदनों का अध्ययन करने को तैयार है तथा बैंकों तथा अन्य बाहरी स्रोतों द्वारा वित्तीय पूंजी की गतिविधियों को रोकने के बारे में सख्त कार्यवाही करने को तैयार है ? मेरे पास 1964-65 के आंकड़े हैं : छोटी गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियां 909, बाहरी स्रोत 727 लाख रु०; आंतरिक स्रोत 293 लाख रु० । इसका अर्थ यह हुआ कि छोटी कम्पनियों पर बैंकों का प्रभुत्व है ? क्या सरकार बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए तैयार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : सदस्य महोदय प्रश्न से भ्रान्त हो रहे हैं ।

श्री नायनार : मेरा विशेष प्रश्न यह है कि क्या सरकार को पता है कि छोटी कम्पनियों पर बैंकों का प्रभुत्व है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय केवल प्रश्न के इस भाग का ही उत्तर दें, बाकी को छोड़ दें ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : सम्बन्धित प्रश्न तो ऋण-इक्विटी अनुपात का है । जहां तक विशेषज्ञों के विचार का सम्बन्ध है उसका तरीका एक से दो का अनुपात है । इस मामले में रिज़र्व बैंक ने पता लगाया है कि अनुपात 1 से 93 का है जोकि विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किये मांप के बहुत प्रतिकूल नहीं है ।

Shri Sidheshwar Prasad : In reply to the main question it was stated that according to a study made by the Reserve Bank of India of the investment made in small public limited companies it was found that about 70 percent of their income comes from external resources independent of banks and it is not a matter of concern. Whether the Reserve Bank or the Government of India have studied the quantum of investment in small public limited companies during the last 20 years was received from banks and how much of it was received from other resources. If not whether such a study will be made?

Shri F. A. Ahmed : According to the account given here it indicates the amount received from banks and that borrowed from external sources. It is clear that all the money borrowed was a debt. Looking at the amount which the companies have to pay as inventories and as debt it will appear that the position is favourable.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि कर के लिए अधिकांश छोटी कम्पनियों को 104 धारा के अन्तर्गत लिया जाता है जिसका अर्थ यह है कि उन पर बड़ा सरकारी कम्पनियों से भी अधिक कर है ? इसका परिणाम यह होता है कि इस कारण छोटी कम्पनियों का अधिकांश लाभ करों द्वारा ले लिया जाता है और उन्हें बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है । क्या मंत्री महोदय इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : रिज़र्व बैंक की जांच के अनुसार यह स्पष्ट है कि आस्तियों तथा दायित्वों का संतुलन चाहे वह उधार के कारण हो अथवा बाहरी स्रोतों के कारण, बहुत अधिक नहीं है । इसलिए मेरे विचार में जो झुकाव का सदस्य महोदय के विचार में है उसका कुछ तात्पर्य है ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं आप से सहमत नहीं हूं।

श्री बेदव्रत बरुआ : एक ऐसा ही सर्वेक्षण बड़ी मध्यम वर्ग की कम्पनियों का किया था, और उस से पता चला कि उनमें 58% बाहरी स्रोतों से आता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाहरी स्रोत वह है जो जनता बचाती है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर विचार कर रही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

पटसन का आयात

+

* 393. **श्री शारदानन्द :**

श्री जि० ब० सिंह :

श्री रणजीत सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन के आयात पर बहुत विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत में पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा इस बारे में आत्मनिर्भर होने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) देश में निरन्तर फसल कम होने के कारण 1965-66 तथा 1966-67 में आयात की अनुमति देनी पड़ी ताकि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्यात-अभिमुख उद्योग को पर्याप्त कच्चा माल मिल सके।

(ख) आत्मनिर्भर होने के लिए 1970-71 तक पटसन तथा मेस्टा के उत्पादन में 110 लाख गांठों की बढ़ोतरी करने का विचार है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विस्तृत क्षेत्र में दोहरी फसल उगाना अधिक उपज वाली किस्में बोना और घनी खेती की पद्धतियों को अपनाना शामिल है। 1967-68 के लिए सरकार ने जूट के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य 14 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है।

Shri Sharda Nand : Will the hon. minister tell me what is the demand and consumption of cotton in India and how much of it has to be imported ?

Shri Dinesh Singh : I can tell you our demand and how much of it is produced here. In 1965-66 the production was 56.70 lakh bales and in 1964-65 it was 75.50 lakh bales. The average production in our country was 75 lakh and demand our approximately 90 lakh.

Shri Shrada Nand : What are the reasons for lack in production ? It is not a fact that cultivators are not given the facilities which they should have been given.

Shri Dinesh Singh : It is difficult to say so. I feel that facilities should be increased. We are increasing facilities.

Shri J. B. Singh : I want to know the production during the last 3 years and how much of it was exported ?

Shri Dinesh Singh : I have told you about the position of last two years. It was estimated that production in 1966-67 was 70 lakh bales which has not been realised. Perhaps it is 65 lakh.

Shri Madhu Limaye : Has the minister's attention been drawn to the import of jute from Thailand and some irregularities have been created in that. You issue licence to the jute mills and the same is got registered and thereafter the jute controller is rounded about the defaulting firm and they ask permission to buy more. In the meanwhile the prices rise and the same is bought at a higher price. In fact they do not purchase but sell the same produce at a higher rate and the same goes to foreign countries as foreign exchange and the loss is caused to the country. Has your attention been drawn to this and if so what action you are taking on it ?

Shri Dinesh Singh : We import mesta from Thailand. About other matters I will investigate the same.

Shri K. N. Tiwary : Is it a fact that in the beginning of 1966-67 the price of jute was Rs. 60 to Rs. 65/- per maund but when the jute was imported the price came down to Rs. 40 to Rs. 42/-. When jute was available here why was it not bought here and what price we gave for the jute imported and what price has been fixed for the indigenous jute ?

Shri Dinesh Singh : If we had adequate jute here the question of importing it would not have arisen. Regarding price we have to pay more for the imported price. Our prices fluctuate.

श्री प्र० रं० ठाकुर : पाकिस्तान से कितना पटसन आयात किया गया था ?

श्री दिनेश सिंह : पाकिस्तान ने कहा कि भारत से वाणिज्य बन्द है। इसलिए हम उनसे प्रत्यक्ष रूप में आयात नहीं कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पटसन की कमी को निहित स्वार्थ ने बढ़ा चढ़ा कर कहा है। यह मूल्यों के कम होने से सिद्ध हो गया है। जो थाईलैंड से आयात कर रहे हैं वह पटसन नहीं बल्कि मेस्टा है जोकि (ग) श्रेणी का पटसन है। इन परिस्थितियों में क्या मैं जान सकता हूं कि बढ़िया दर्जे का कितना पटसन लंदन की फर्मों के द्वारा आयात किया गया तथा इस कार्य को राज्य व्यापार निगम को क्यों नहीं सौंपा गया ?

श्री दिनेश सिंह : पटसन अधिकांश रूप में मिल तथा आयात करने वाले अपने आप आयात करते हैं। हमने इसका व्यापार राज्य व्यापार निगम द्वारा इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमारा विचार है कि यह अच्छा है कि आयात करने वाले इसे अपने आप सीधे आयात करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : लंदन की फर्मों के द्वारा कितना पटसन आयात किया ? उस ओर से काफी पटसन आता है और प्रश्न अधिक बीजक दिखाने का भी है।

श्री दिनेश सिंह : लंदन की फर्मों की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री दामानी : जो पटसन हम आयात करते हैं वह बढ़िया किस्म का है । अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए इस किस्म का पटसन हम अपने ही देश में उगायें, इस ओर क्या कार्यवाही की है ?

श्री दिनेश सिंह : हम अपने कृषकों को अच्छे पटसन का बीज बोने के लिए दे रहे हैं। साथ ही हम उन्हें सहायक मूल्य दे रहे हैं ताकि वे अच्छे किस्म का पटसन उत्पन्न करें ।

श्री दामानी : इसमें कहां तक सफल हुए हैं ?

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि 1966 के आधे वर्ष में पाकिस्तान ने 1,10,000 टन की बोरियों का निर्यात किया जब कि हम केवल 79,000 टन का ही कर सके । यदि हां तो क्या सूखा ही इसका एक मात्र कारण हैं अथवा और कारण भी हैं ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे बताया गया है कि यही एक मुख्य कारण है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मेरा सुझाव है कि प्रश्न सख्या 394 के साथ ही प्रश्न संख्या 405 को लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

चाय निर्यात संवर्द्धन समिति

\+
* 394. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री जनार्दनन :
श्री अदिचन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय निर्यात संवर्द्धन समिति ने चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कई सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 585/67**]

चाय का उत्पादन तथा निर्यात

\+
* 405. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966 में भारत में चाय का उत्पादन 1965 के आंकड़ों से 9 करोड़ 60 लाख किलोग्राम बढ़ गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस अवधि में निर्यात 2 करोड़ किलोग्राम से अधिक कम हुआ था ; और

(ग) क्या प्रति किलोग्राम पर 2 रुपये निर्यात शुल्क लगाने से निर्यात कम हुआ था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं, 1966 की अवधि में भारत में चाय का उत्पादन 1965 की अपेक्षा 1.05 करोड़ किलोग्राम अधिक था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह तो ठीक है कि अवमूल्यन के बाद मध्यम तथा कम मूल्य की निर्यातित चायों पर 2 रुपये प्रति किलोग्राम की सामान्य दर से लगाया गया निर्यात शुल्क काफी भारी माना जा सकता है, परन्तु 1966 की अवधि में चाय के निर्यात में कमी का कारण पूर्णरूप से इसे या किसी एक बातको मानना उपयुक्त न होगा ।

श्री वासुदेवन नायर : विवरण में हमारे चाय के निर्यात के सम्बन्ध में दी गई शिपिंग सहायता का जिक्र किया गया है । यह समाचार हाल ही में मिले हैं कि कुछ नौवहन कम्पनियों पश्चिम एशिया के युद्ध के बहाने अपने किराये के दाम बढ़ा दिये हैं । इस बढ़ोतरी का हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा क्या सरकार नौवहन कम्पनियों से यह कहने का विचार रखती है कि वे किराया न बढ़ायें ?

श्री दिनेश सिंह : मैं सदस्य महोदय से सहमत हूँ कि नौवहन के किराये नहीं बढ़ने चाहिए । अगले महीने इस पर बातचीत होगी और उसमें हमारा प्रयास यह होगा कि किराये अनुपात से अधिक न बढ़े ।

श्री वासुदेवन नायर : विवरण में चाय के उत्पादन को बढ़ाने के बारे में की गई कुछ कार्यवाहियों का उल्लेख है । इन कार्यवाहियों के कारण गत दस वर्ष में उत्पादन की क्या दर रही ?

श्री दिनेश सिंह : यह कदम गत दस वर्ष से नहीं उठाये गये परन्तु जो हुआ है उसके मेरे पास आंकड़े हैं । उन्हें मैं यदि आप चाहें तो सभा पटल पर रख सकता हूँ तथा सदस्य महोदय के पास भी भेज सकता हूँ ।

Shri Yashpal Singh : How many representatives of the tea.growers sit in this Committee ?

Shri Dinesh Singh : Perhaps the hon. member is talking about the tea-Board. The growers are also represented in that.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि चाय पर जो उत्पादन शुल्क लगाया जाता है उसकी कमी को निर्यात की गई चाय से पूरा कर लिया जाता है और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री दिनेश सिंह : मेरे विचार में वह कमी पूरी कर दी जाती है।

श्री नन्दकुमार सोमानी : उन्हें नहीं दिया जाता। प्रश्न यह है कि क्यों नहीं दिया जाता ?

Shri S. C. Jha : Although devaluation was done to increase export, yet due to good publicity the Ceylonese tea is consumed more in England and other countries even after devaluation. What steps are government taking that Indian tea may be consumed more in this competition ?

Shri Dinesh Singh : It is not publicity alone by which tea is consumed more. We export sufficient quantity of tea to England. There were certain drawbacks which we are now examining. Our best quality tea is sold most and then our medium quality tea. It is only our low quality tea which does not have much sale and we are considering measures for increasing its consumption.

श्री श्रद्धाकर सुपकार : क्या चाय निर्यात प्रोत्साहन परिषद ने सब निर्यात करों को समाप्त करने की सिफारिश की थी तथा मैं जानना चाहता हूं कि भारत की चाय का मूल्य यदि इसमें निर्यात कर भी मिला दिया जाये की लंका की चाय से यदि उनका भी निर्यात शुल्क मिला दिया जाये, किस प्रकार तुलना होती है ?

श्री दिनेश सिंह : इस मूल्य की तुलना हो सकती है तथा इस वर्ष के बजट के सुझावों में हम निर्यात कर को और अधिक घटा दिया है।

श्री कोठारी कमी पूरी कर देने के बारे में बड़े उत्तेजित थे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वह कमी पूरी नहीं की जाती।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा चाय का निर्यात बहुत कम हो गया है, क्या सरकार इसके कारण जानने का प्रयत्न किया है तथा क्या ब्रिटेन के यूरोपीय सांझे बाजार में प्रवेश करने से हमारे चाय के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

श्री दिनेश सिंह : यह हमारा बड़ा प्रयत्न होगा कि ब्रिटेन द्वारा सांझे बाजार में प्रवेश करने से हमारे चाय के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। चाय के निर्यात को बढ़ाने के बारे में हम अगले सप्ताह कलकत्ता में एक गोष्ठी कर रहे हैं तथा वहां इस पर विचार का अवसर मिलेगा।

श्री म० सुदर्शनम: क्या सरकार को पता है कि रुपये में व्यापार करने पर करार किये देश अर्थात पूर्वी यूरोप के देश भारत से चाय आयात कर रहे हैं तथा उसे पश्चिम यूरोप के देशों को निर्यात कर रहे हैं जहां कि पौंड में व्यापार होता है तथा उससे भारत को विदेशी मुद्रा की हानि होती है ?

श्री दिनेशसिंह : हमारे पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा मशीनी औजारों का निर्माण

*395. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० में मशीनी औजारों का निर्माण बहुत कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्यक्रम में कटौती करने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह कम किया गया निर्माण कार्यक्रम कब तक चलेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मशीनी औजारों की मांग कम हो जाने के फलस्वरूप कम्पनी को अपने उत्पादन और स्टाक में कटौती करनी पड़ी है।

(ग) यह मांग के रुख पर निर्भर करेगा। कम्पनी उसके उत्पादन के साथ साथ अन्य चीजों का उत्पादन आरम्भ करने तथा निर्यात बढ़ाने का भी प्रयत्न कर रही है।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्पादन का लक्ष्य आन्तरिक मांग पर तथा निर्यात की मंडी पर आधारित नहीं किया जाता।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : लक्ष्य तथा लाइसेंस क्षमता तक उत्पन्न करने के हिसाब से दिये गये हैं। हमारे पास गत दो वर्ष से बहुत माल का भंडार पड़ा हुआ है। हम अन्य चीजों का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं।

श्री मं० रं० कृष्ण : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की विदेशों में बिक्री बढ़ाने के हेतु विशेषकर एशिया और अरब देशों में बढ़ाने के लिए क्या ऋण आदि की सुविधायें दी गई हैं ? उत्पादन कम होने के कारण इन कारखानों में कितनी छटनी हो रही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : गत कुछ वर्षों में हमारे लिए यह संभव हो सकता है कि अपना निर्यात बढ़ावें। 1965–66 में हमारा निर्यात 17·86 लाख रु० का था तथा 1966–67 में यह बढ़ कर 30·12 लाख रु० का हो गया। यह ध्यान रखना चाहिये कि विदेशों में विशेषकर अमरीका को सामान बेचने में हमें मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। यह देश दक्षिण अमरीका के हैं। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अपने उत्पादकों का क्या और सुविधायें दें कि वे उनका मुकाबला कर सकें।

छटनी के बारे में दूसरे प्रश्न का नोटिस देना होगा।

डा० रानेन सेन : पीछे यह कहा गया था कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स भारत में सरकारी क्षेत्र के कारखानों में सबसे अच्छे कारखानों में से एक है तथा तेजी से बढ़ रहा था। फिर

क्या कारण है कि गत छः महिनों में इसमें यह गड़बड़ क्यों हो गई है तथा यह सरकार को नजर में आई तो उसने इसे ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इसके बहुत से कारण थे जैसे कच्चे माल आदि के भाव बढ़ना, श्रमिकों का वेतन बढ़ना तथा धन के मिलने में कमी होना तथा औद्योगिक क्षेत्र में मन्दा हो जाना। जब हमें पता चला कि उत्पादन कम हो गया है तो हमने अन्य चीजों का उत्पादन आरम्भ कर दिया तथा निर्यात को बढ़ाया।

श्री रा० बरुआ : स्पष्ट है कि यह मशीन के पुर्जे गत दो वर्ष से इकट्ठे हो रहे थे। क्या यह सच नहीं है कि हमने उपभोक्ता देशों की आवश्यकता की ओर ध्यान नहीं दिया और यही कारण है कि हमारा निर्यात घट गया है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह कहना सच नहीं है। हम इस बात को ध्यान में रखकर उत्पन्न कर रहे थे कि जो उत्पन्न करेंगे उसकी हमारे ही देश में खपत हो जायेगी। परन्तु बहुत से कारणों के कारण इन मशीनों की मांग घट गई है और उनके भण्डार बिना बिके पड़े हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : Whether HMT is going into loss. What is the extent of loss and how much stock is there ? Have some cases of corruption and inefficiency come to the notice and if so what action has been taken by him in that regard ?

Shri F. A. Ahmed : Till 30th April, 1966 we had 506 machines with us and their price was Rs. 211 crores. In 1960-61 we made a profit of Rs. 73 lakh. We started production in 1960-61 and our profit was about Rs. 73 lakh. In 1963-64 our profit was Rs. 2.44 crores. In 1964-65 it was less and in 1965-66 it came to Rs. 1.05 crores, It is not a fact that now we are going into loss. Our profit has gone down. But it is not due to inefficiency.

Shri Kanwar Lal Gupta : Have some cases of corruption and embezzlement also come to your notice and if so what steps were taken ?

Shri F. A. Ahmed : I have no knowledge about it. If the hon. member has got some information about it he can send it to me.

श्री श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार अपने लिए मशीन टूल्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स से खरीदने के स्थान पर गैर-सरकारी कारखानों से खरीदना ठीक समझते हैं तथा क्या यह सच है कि इसी कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स बोनस आदि नहीं दे सकते जब कि गैर-सरकारी कारखाने दे रहे हैं। क्या यह शिकायत सरकार की नजर में आई है और यदि हां तो क्या सरकार ने निर्देश दे दिये हैं कि वह हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के सामान को प्राथमिकता दें।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह सत्य नहीं है। जहां तक मुझे पता है सब राज्य सरकारें ने अपनी आवश्यकता हिन्दुस्तान मशीन टूलसके पास भेजी हैं।

श्री पं० वेंकटासुब्बया : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स हमारे सरकारी क्षेत्र के कारखानों में सबसे अच्छा है। क्या सरकार अथवा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के प्रबन्ध कर्त्ताओं ने आगे आने मंदे तथा श्रमिकों की छटनी को ध्यान में रखते हुए पहले से योजना नहीं बनाई ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका कि जो हम उत्पन्न करेंगे उसकी खपत नहीं होगी। अन्य वस्तुओं के उत्पादन की बात जब आई जब हमारे पास भण्डार इकट्ठे हो गये तथा हमने यह कदम एक दम उठाया कि कहीं कारखाना खाली न रहे।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि आगे आने वाले 5 वर्षों के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के बढ़ने का क्या कार्यक्रम है तथा उनका मंदे के समाप्त होने के बारे में क्या अनुमान है तथा कारखाना पूरी क्षमता पर कब कार्य करने लगेगा ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमारा विचार है कि अन्य वस्तुओं के उत्पन्न करने के कार्यक्रम को हाथ में लेने तथा निर्यात का कार्य बढ़ने के पश्चात कारखाना बेकार रहने की क्षमता घट जायेगी। यदि वर्षा अच्छी हुई तो इन वस्तुओं की आंतरिक मांग भी बढ़ जायेगी और फिर यह बेकार रहने की क्षमता और भी कम हो जावेगी।

बढ़ाने के बारे में इस समय हमारे कारखाने बंगलौर, कालामेसरी तथा हैदराबाद में हैं और हमारा इन तीनों में उत्पादन को दो गुना करने का कार्यक्रम था। हमारा उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में दो और कारखाने खोलने का विचार है।

श्री दी० चं० शर्मा : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के नाम तथा उत्पादन में कमी होने से जनता की सरकारी क्षेत्र के कारखानों से विश्वास उठ जाता है। सरकार का देश में ही खपत के लिये अन्य चीजों के उत्पादन तथा निर्यात के बारे में क्या ठोस कार्यक्रम है, कहा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का सामान निर्यात किया जा रहा है तथा किस प्रकार निर्यात बढ़ाया जा रहा है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हम बहुत से कार्य करने वाले हैं तथा बहुत से कारखाने खोलने का विचार रखते हैं जैसे ऊंचे मांप के ऑटोमेट, रेडियल पहिये, पीसने की मशीन, चक्की की मशीन, खराद आदि। निर्यात के लिये भी हम नई तथा आधुनिक मशीन बनाने का विचार रखते हैं।

श्री पीलू मोदी : यह कहा गया था कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में मशीनों की भरमार है लेकिन फिर भी कहा गया है 3 कारखानों में कार्य को दो गुना करने की योजना है। इन भण्डारों तथा मंदे को ध्यान में रखते हुए इनमें दो गुना उत्पादन क्यों किया जा रहा है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमारा विचार चौथी योजना में दो गुना करने का था परन्तु अब बिक्री तथा अगले 5 वर्षों में मांग का ध्यान में रखते हुए इस पर पुनः विचार करना होगा।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अमरीका में सामान का स्तर बहुत ऊंचा है तथा वहां मुकाबला होने के कारण हमारा सामान प्रतियोगिता में पूरा

नहीं उतर सकता क्या मैं जान सकती हूँ कि ईरान तथा अन्य मध्य पूर्व के देशों के साथ ट्रेड का लाभ क्यों नहीं उठाया जब कि इन्हें कुछ साधारण से परिवर्तन ही करने थे। क्या मंत्री महोदय ने इस पर विचार किया है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हम विभिन्न देशों में अपने बिक्री एजेंट नियुक्त करने का विचार रखते हैं ताकि उनकी मांग का पता चल सके तथा उन्हें किस प्रकार की विशेष मशीन की आवश्यकता है। जो भी सम्भव होगा वही निर्यात बढ़ाने के लिए किया जायेगा।

व्यापारिक मोटर-गाड़ियों का निर्माण

+

* 396. **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री मधु लिमये :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हलकी व्यापारिक मोटर गाड़ियों का, जिनकी देश में बहुत कमी है, निर्माण करने के लिये कुछ और फर्मों को लाइसेंस दिये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कारखाने कितने हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री स० मो० बनर्जी : ऐसा दिखाई देता है कि चार पहिये की गाड़ियां निर्माण करने का एकाधिकार श्री बिरला को है तथा दो पहिये की गाड़ियां बनाने का श्री बजाज को। क्या कारण है कि केवल इन दो कारखानों को ही लाईसेंस दिये जाते हैं अन्य को नहीं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : हमने चार गैर-सरकारी फर्मों को लाईसेंस दे रखे हैं जिनमें इसके बनाने की क्षमता है। उनके नाम है मैसर्ज प्रीमियर आटोमोबाइल्स, दी स्टेन्डर्ड मोटर प्रोडक्टस, दी बजाज टैम्पो लिमिटेड तथा मैसर्ज महिन्दरा एण्ड महिन्दरा लिमिटेड। इन चार फर्मों को 13,000 हलकी व्यापारिक मोटर बनाने के लाईसेंस दिये हैं। हमें पता चला है कि वे केवल 3,700 मोटर ही बना सके हैं और उन्हें भी बेच नहीं सके। 1966 के अन्त तक उनके पास 146 गाड़ियां बची थीं। यह उनकी लाईसेंस क्षमता का 25 प्रतिशत भाग है। इन परिस्थितियों में और आवेदन पत्रों का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय के वक्तव्य से ऐसा पता लगता है कि यह गाड़ियां बाजार में बिक्री के लिए हैं परन्तु क्या इन्हें पता है कि उनका मूल्य अधिकतम मूल्य से भी 2,000 रु० से 6,000 रु० तक और अधिक है अर्थात यह चोर बाजारी का मूल्य है। क्या यह सच है कि

रूसियों ने मान लिया है कि वे पश्चिमी बंगाल सरकार की सहायता से भारतीय फर्मों के साथ सहयोग करके व्यापारिक गाड़ियां बनाने को तैयार हैं, क्या यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है अर्थात अभी विचाराधीन है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य इस फर्म के बारे में हमें कई बार लिख चुके हैं उन्हें हमने बता दिया है कि यह सामान प्रतिबन्ध लगाये गये सामान की सूची में है और जब तक इसकी कोई आवश्यकता नहीं उसके लिए लाईसेंस देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Madhu Limaye : What will be the demand of these light commercial vehicles during the next five years and in view of that are you considering issue of licences to one or two firms ?

Shri F. A. Ahmed : It was estimated by Planning Commission once that we would be requiring 25 to 26 thousand light commercial vehicles during the Fourth-Five Year Plan period. We can expand the existing licensing capacity but now it appears we will not be able to utilise all the 13,000 vehicles for which licences have been issued. Hence it is not possible to reach the target of 26,000 vehicles.

Shri Sidheshwar Prasad : Whenever the question of motor cars came in the House it was stated that only a few persons have monopoly to manufacture it. In view of these why the government did not take any action ?

Secondly full use of the motor vehicles production capacity is not made and hence they are sold in the black market at exorbitant price. Why full use is not made of the production capacity of motor vehicles ?

Shri F. A. Ahmed : This question pertains to light commercial vehicles but the hon. member is asking question about motor vehicles.

श्री विश्वनाथन : क्या सरकार का ध्यान छोटी गाड़ी बनाने की परियोजना........

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न हल्की व्यापारिक मोटर गाड़ियों के बारे में है।

Shri S. M. Joshi : When capacity was only for manufacture of 2,000 vehicles, why licence was issued for production of 30,000 vehicles and did it not increase price ?

Shri F. A. Ahmed : I did not mention 30,000. I only stated about the capacity for 13,000 but on the basis of demand they have manufactured only about 3,700 vehicles. We once thought that it would reach 26,000 by the end of 4th 5 year Plan but now it does not appear to be possible.

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड को उत्पादन बन्द करना पड़ा तथा बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से हटाना पड़ा क्योंकि वह अपना माल नहीं बेच सके ? क्या यही कारण है कि मूल्य अधिक करों की वजह से हैं जिससे लोगों के लिए ट्रक खरीदना असंभव है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह सच है कि इन हल्की व्यापारिक मोटरों की मांग कम है और कई उत्पादक अपने कार्यक्रम में कमी करने की सोच रहे हैं जिसके कारण कुछ कर्मचारियों को नौकरी से हटाना होगा ।

श्री कृष्ण मूर्ति : क्या सरकार को पता है कि सरकार ने टाटा मरसीडीज की गाड़ियों के जो मूल्य निर्धारित कर रखे उससे उन गाड़ियों का मूल्य 3,000 रु० से 5,000 तक अधिमूल्य है क्योंकि इन गाड़ियों की मांग बहुत है ? इस चोर बाजारी की रोक थाम के के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार टाटाओं की क्षमता को बढ़ाये बिना कोई अपना उद्योग आरम्भ करने का विचार रखती है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हम हल्की व्यापारिक गाड़ियों के बारे में विचार कर रहे है । और इन पर कोई अधिमूल्य नहीं है । शायद सदस्य महोदय गैर-सरकारी गाड़ियों का जिक्र कर रहे हैं ।

श्री म० वी० पाटिल : बजाज टैम्पों ने तो चार पहियों के टैम्पो बनाये हैं उनका मूल्ल क्या है ? क्या यह सच नहीं है कि एकाधिकार होने के कारण तथा प्रतियोगिता न होने के कारण इसका मूल्य बहुत अधिक है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मेरे पास मूल्य बताने के लिए इस समय आंकड़े नहीं है ।

आयात लाईसेंस

+

* 397. **श्री मधु लिमये** :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवमूल्यन के पश्चात कुल कितने मूल्य के आयात लाइसेंस जारी किये गये;

(ख) इन लाइसेंसों के लिये कितनी पार्टियों ने आवेदन पत्र दिये थे;

(ग) कितनी पार्टियों ने उनका उपयोग किया है;

(घ) कुल कितने मूल्य के आयात लाइसेंसों का उपयोग हुआ है;

(ङ) इन लाइसेंसों के पूरी तरह तथा शीघ्रता से उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(च) इन आयात लाइसेंसों का उपयोग न किये जाने का औद्योगिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (च)) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें यथा-लब्ध जानकारी दी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 1586 67]**

श्री स॰ मो॰ बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह पूछा था कि (क) अवमूल्यन के पश्चात आयात के लिए दिये गये लाइसेंसों का मूल्य क्या था तथा (ख) इन लाइसेंसों के लिए कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिये। हम इन फर्मों के नाम जानना चाहते हैं। अब उत्तर यह दिया गया है कि फर्मों के हिसाब से लाइसेंसों के आंकड़े नहीं रखे जाते। लाइसेंसों पर कुछ ही व्यक्तियों का एकाधिकार होने के बारे में प्रश्न पहले भी पूछा गया था और वह प्रश्न प्रधान मंत्री स्व॰ श्री नेहरू तक गया और एक विवरण सभा पटल पर रखा गया। इसलिए मन्त्री महोदय फर्मों के नाम न बता कर सदन से सूचना छुपाना चाहते हैं। मैं इसके बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप यह प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : The hon. member's contention is that information should be furnished as per convention of the House.

The hon. minister has informed that import licences for a sum of Rs. 1,826 crores were issued and out of these licences to the tune of Rs. 447 crores related to raw materials and spare parts. The licences to the tune of Rs. 1380 remain as balance. I want to know how much money of it was spent on the consumer goods especially on goods used by rich men or licences issued for that ?

Shri Dinesh Singh : Rs. 447 crores mentioned just now was meant for maintenance licences which is for essential things and parts, The luxury goods mentioned by members does not come in this category.

Shri Madhu Limaye : He has given facts about raw material and parts, I want to know out of the remainder how many licences were issued for consumer goods especially for production of luxury goods.

Shri Dinesh Singh : If the hon. member names very especial thing in the luxury goods I can give information to him.

Shri Madhu Limaye - The hon. minister stated about utilisation. Sometime back there was a mention of Kashmir Ceramics factory which is a firm of Aminchand Pearey lal. They were regularly issued licences. They had assured Shri Subramanium that the production in their factory would begin in July 1963 but the same has not started even after about four years. They sold out their licences in the black market. I want to tell the hon. minister that since he has liberalised exports after devaluation to produce more, will he make enquiries that those who were issued licences themselves used the same or sold them in the black market. If they have not used licences they should be punished for that. What action is government going to take against them ?

Shri Dinesh Singh : It is proper that government will take action against those who instead of utilising their licences sold the same in black market. But since the imports have been much liberalised now there is not much of black market in that as they are contradictory to each other. Our import policy is now "need-based."

श्री स० मो० बनर्जी : क्या 1967 में सलफर के आयात के लिए कुछ आयात लाइसेंस दिये गये थे तथा क्या श्री तारापाड़ा चक्रवर्ती की फर्म को 3 करोड़ रुपये के आयात लाइसेंस सलफर के आयात के लिए दिये गये थे तथा क्या यह बात केन्द्रीय जांच विभाग को बताई गई थी ?

श्री दिनेश सिंह : मैं इसका पता करके सदन को बताऊंगा। सरकारी व्यापार निगम तथा कुछ गैर-सरकारी पार्टियों ने सलफर का आयात किया है।

Dr. Ram Manohar Lohia : About the import licences whether government have made a study as to how many of them were used for consumer goods especially for fashionable things. Will government ascertain as to how many of its own people and millionaires have obtained or likely to obtain import licences for fashionable commodities like Coca-cola, refrigerators. He may inform the import of fashionable goods and of the goods which are meant for production purposes ?

Shri Dinesh Singh : Production is done for consumption. If there is no consumption, there is no use of production. If the hon. member is interested to know about any particular item I can give information to him.

Dr. Ram Manohar Lohia : We are under a debt of Rs. 8000 crores and of it Rs. 4000 crores were spent on these useless things. The hon. minister is not following the trend of the question.

Shri Dinesh Singh : I would request the hon. member to go through our red book concerning imports which has been published and from that he can know how much of it was on useful items and how much on useless items.

Shri Kameshwar Lal Gupta : The hon. minister informed that there is import of Rs. 1826 crores. I want to know the number of people whom you gave licences for Rs. 50 crores and above. If you do not have the figures just now, will you place it before the House later on ? (b) Is it a fact that one has to obtain the prior permission of the government to prosecute those who sell their licences in the black market. If so, what is the reason for this and whether government will do away with this ?

Shri Dinesh Singh : Shri Banerjee asked this question and there is no intention on our part to conceal this information. According to our prevalent policy we keep the information commodity-wise and not firm-wise. If the hon. member can name any particular firm, I will try to ascertain the same and will place it before the House.

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

नर्मदा परियोजना

अ. सू. प्र. 10. श्री प्र. न. सोलंकी : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री नर्मदा परियोजना के बारे में विचार-विमर्श करने तथा उसके ब्योरे को अन्तिम रूप देने के लिये 23 मई, 1967 को पंचमढ़ी में मिले थे; और

(ख) यदि हां, तो उनकी बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (डा. कु. ल. राव) : (क) और (ख) गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री मंगलवार 23 मई 1967 को पंचमढ़ी में मिले तथा इस विषय पर बातचीत की। वह बातचीत इस महीने भी जारी रहेगी।

श्री प्र. न. सोलंकी : दो वर्ष पूर्व केन्द्रीय सरकार ने खोसला आयोग नियुक्त किया था। हरबार बातचीत होती है परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। क्या केन्द्रीय सरकार इस राष्ट्रीय परियोजना के अन्दर इस प्रकार दखलअन्दाजी करती रहेगी ? इस समय जबकि हमारे देश में खाद्य समस्या है। क्या सरकार इस परियोजना के बारे में कुछ करेगी ?

डा. कु. ल. राव : खोसला आयोग का प्रतिवेदन सितम्बर 1965 में प्राप्त हुआ था तथा सभा पटल पर रखा गया था। इसके पश्चात सिंचाई और बिजली मंत्रालय ने राज्य सरकारों से बातचीत की और अन्त में अगस्त 1966 में कुछ सुझाव प्राप्त हुए। उस बैठक में यह फैसला हो गया था कि दोनों मुख्य मन्त्री इस समस्या को मित्रता से बातचीत करके हल करेंगे और मुख्य मन्त्रियों ने यह बात मान ली। हम उनकी बातचीत के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसे ही यह प्राप्त हो जायेगा हम आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री प्र. न सोलंकी : जब यह बातचीत होती है तो क्या उसमें उनके मतभेदों को दूर करने के लिए कोई केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधि भी मौजूद रहता है ?

डा. कु. ल. राव : यही तो मैंने कहा है। एक बैठक में जिसमें केन्द्र के मन्त्रियों तथा दोनों मुख्य मंत्रियों के अतिरिक्त और भी सम्बन्धित व्यक्ति मौजूद थे और जो अगस्त 1966 में हुई कुछ सुझाव रखे गये थे और यह निर्णय हो गया था जिसको मध्य प्रदेश तथा गुजरात के मुख्य मंत्रियों ने भी मान लिया था कि पहले वे आपस में ही बात करें और इस समस्या को मित्रतापूर्वक सुलझाने का प्रयत्न करें। इसी कारण उनकी यह बैठक हुई और जैसे ही उसके परिणाम पता लगेंगे, केन्द्रीय सरकार आगे कार्यवाही करेगी।

श्री मनुभाई पटेल : इस बात का ध्यान रखते हुए कि नर्मदा परियोजना एक राष्ट्रीय परियोजना समझी जाती है जिसकी नींव कोई छह–सात वर्ष पूर्व स्व० प्रधान मंत्री श्री जवाहर-लाल नेहरू ने रखी थी। क्या मैं जान सकता हूँ कि माननीय सिंचाई तथा बिजली मंत्री दोनों राज्यों को समझौता करने के लिए एक तारीख निश्चित करेंगे कि यदि उस तक कोई करार नहीं हुआ तो केन्द्रीय सरकार अंत-क्षेप करेगी और निर्णय लेगी तथा कार्यवाही करेगी ?

डा. कु. ल. राव : यह सच है कि नर्मदा नदी हमारी एक बहुमूल्य नदी है और इसके विकास के बारे में हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारी तीव्र इच्छा है कि कुछ समझौता हो जावे और आशा है कि 1967 में हम किसी हल पर पहुंच जावेंगे।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में न केवल इस सदन ने अपितु गुजरात ने भी चिंता व्यक्त की है। क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि खोसला आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार नर्मदा परियोजना पर कितनी लागत आयेगी तथा देश को उसकी सिंचाई, अन्न उत्पादन तथा बिजली उत्पादन से कितना लाभ होगा ?

डा. कु. ल. राव : जब तक उनका समझौता नहीं हो जाता, यह आंकड़े देना समय से पूर्व होगा। परन्तु सामान्य रुप से मैं यह कह सकता हूँ कि लगभग मध्य प्रदेश तथा गुजरात दोनों में लगभग 1 करोड़ एकड़ भूमि की इन परियोजनाओं से सिंचाई होगी।

Shri Y. S. Kushwah : Will the hon. minister please tell if the two Chief Ministers do not come to any agreement by mutual discussion, will the central government take some steps ?

डा० कु० ल० राव : हमें पता चला है कि अभी तक बातचीत बड़ी मित्रतापूर्वक चल रही हैं। जैसे ही समझौता होता है केन्द्रीय सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री याज्ञिक : इस बात का ध्यान रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार ने कुछ जिम्मेदारी ली थी तथा नर्मदा नदी बहुत से राज्यों में से होकर गुजरती है, नर्मदा के पानी का उपयोग राष्ट्रीय हित में है तथा भारत सरकार ने खोसला आयोग की नियुक्ति की थी कि वह दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर एक व्यापक नीति बनायें। क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार ने नर्मदा नदी के पानी के उपयोग के बारे में खोसला आयोग की सिफारिशों के अनुसार कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया तथा वे अब तक दोनों मुख्य मंत्रियों के समझौते की प्रतीक्षा करते रहे जो कि अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके ?

दूसरे क्या मध्य प्रदेश सरकार ने रूस के इंजिनियरों को इस मामले में लगा दिया है कि वे पुनासा परियोजना बनाने में सहयोग दें तथा क्या भारत सरकार ने भी रूसी इंजिनियरों से कहा है कि वे नर्मदा परियोजना के कार्यान्वित करने के बारे में व्यापक योजना बनायें जो एक से अधिक राज्यों के काम में आ सके ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि मैंने पहले कहा है केन्द्र इस मामले में कोई पहल नहीं कर रहा है क्योंकि केन्द्र तथा मुख्य मंत्रियों की बातचीत में यह करार पाया गया कि दोनों मुख्य मंत्री आपसी बातचीत से इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करें और उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को दें और उसके बाद ही केन्द्र सरकार कार्यवाही करेगी। हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

रूसी इंजिनियरों के बारे में तथ्य इस प्रकार है : रूसी सरकार ने बहुत सी परियोजनाओं के लिए मशीनरी दी। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने पुनासा परियोजना के लिये जिसे नर्मदा सागर परियोजना भी कहते हैं के लिए मशीनरी देने में उनकी सहायता मांगी। परन्तु भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा कि नर्मदा नदी पर इस परियोजना के आरंभ करने से पूर्व उस झगड़े को निबटाना होगा। इस लिए इस समय रूसी सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shrimati Janyaben Shah: When there is a problem between the states regarding rivers or on other subjects it takes long to settle them. I want that a mahcinery to be created to solve those problems early in an objective manner. Now regarding this Narmoda although Madhya Pradesh will be in some difficulty yet work is not going on even in Gujarat. Hence to settle such disputes early, a machinery should be created.

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि नदियों के झगड़ों को जल्दी से निबटाया जाये। नर्मदा के बारे में मैं यह मानता हूं कि इसे शीघ्र ही हल कर दिया जायेगा।

श्री रा० की० अमीन : दोनों राज्यों के झगड़ों को दूर करने के लिए खोसला आयोग नियुक्त किया था। जब 15 दिन की अवधि दी थी कि उस बीच में दोनों राज्य अपने उत्तर दें तो क्या कारण है कि उस 15 दिन की अवधि की समाप्ति पर भी उत्तर न मिलने पर केन्द्रीय सरकार इसको जारी रखने दे रही है। इन मामलों को शीघ्र निबटाने के बारे में भारत सरकार ने क्या किया है ?

डा० कु० ल० राव : यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब खोसला आयोग नियुक्त किया था यह एक केवल परामर्श समिति थी और इसकी सिफारिशें किसी पर अवश्य लागू करने के लिए नहीं थी। इसलिए जब आयोग की सिफारिशें प्राप्त हुईं तो यह आवश्यक था कि दोनों सरकारें एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकें। इस कारण हम खोसला आयोग की सिफारिशों पर एक दम अमल नहीं कर सकते।

श्री नरेन्द्रसिंह महीडा : यदि यह भी मान लिया जाये कि दोनों मुख्य मंत्री मान जाते हैं तो क्या इसको पूरा करने में 15 वर्ष लगेंगे ? क्या बजट में इसके लिए जो राशि रखी है वह इस परियोजना के लिए इसी वर्ष उपयोग की जायेगी ?

डा० कु० ल० राव : नर्मदा नदी के उपयोग में कोई इंजिनियरिंग की कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होंगी जैसी कि हिमालय की नदियों के बारे में होती हैं क्योंकि वहां अच्छी चट्टानें हैं। परियोजना की प्रगति के बारे में प्रश्न उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री से पूछने चाहिएं।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह न केवल आर्थिक महत्व की है अपितु राजनीतिक महत्व की भी है तथा मंत्रालय भी दोनों राज्य सरकारों को सहमत कराने में असमर्थ रहा है, तो फिर क्या कारण है कि दस वर्ष पूर्व इस संसद ने एक कानून पास किया था उसके अनुसार इस मामले को निबटाने के लिए सरकार एक न्यायाधिकरण नियुक्त नहीं करती ? वह क्यों इस मामले में देरी करने दे रहे हैं यह कह कर कि आयोग तो केवल सिफारिश करने के लिए था ?

डा० कु० ल० राव : इस मामले में राजनीति का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह तो केवल राज्यों की सुविधाओं का प्रश्न है कि किसे इससे लाभ अथवा हानि होती है। विवाचन के बारे में यह महत्वपूर्ण है कि नदियों के झगड़ों के बारे में अन्तिम चीज न्यायाधिकरण है। हमें न्यायाधिकरण के पास नहीं भेजना चाहिए बल्कि उसे मित्रता से सुलझाना चाहिए। ऐसा

सारे संसार में होता है। नर्मदा एक बड़ी नदी है और इसके मामले में एक या दो वर्ष लग गये हैं वह अधिक नहीं हैं। 1966 में मुख्य मंत्रियों से हमने बातचीत की और इसे निबटाने के निकट पहुँच गये परन्तु चुनावों के कारण इसमें देर हो गई अन्यथा अब तक यह निबट जाता।

श्री शिव नारायण : यह राष्ट्रीय परियोजना है। इसमें उत्तर प्रदेश अथवा मध्य प्रदेश का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Jagannath Rao Joshi : You have listened to only the point of view of Gujarat. I want to put forward the point of view of Madhya Pradesh. I agree with Shri Ranga that this should be solved as a national problem. Its three-fourth part flows through Madhya Pradesh. The land for embankment will be that of Madhya Pradesh but its proifit will go to Gujarat. This is the crux of the problem. How will it be solved unless the centre puts forward some principle about it. It is not a dispute of Narmoda alone. The same thing applies to Krishna and Godavri dispute. Hence we should settle it with some principle.

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा सुझाव है। इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

डा० कु० ल० राव : मैंने कहा है कि केन्द्रीय सरकार ने इनमें पहल की, कुछ सुझाव दिये तथा वही समझौते का आधार है और आशा है इस पर अन्तिम निर्णय शीघ्र होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

रेलगाड़ी में अनाज लाने ले जाने में अनाज की बर्बादी

*** 392 श्री काशीनाथ पाण्डे :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में वर्षवार, सभी रेलों में अनाज रखने की उचित व्यवस्था न होने अथवा लापरवाही के कारण अनाज को लाने ले जाने में अनाज की कितनी बर्बादी हुई; और

(ख) क्या मंत्रालय ने इस बात के लिए कोई कार्यवाही की है कि भविष्य में ऐसी बर्बादी न होने पाये ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Accumulation of stocks in cotton textile mills

***398. Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is an unprecedented accumulation of stocks in Cotton Textile Mills ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सूती कपड़े के मूल्य पर नियंत्रण

399. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के व्यापार संघ के संयुक्त मंडल ने सरकार से अनुरोध किया है कि सूती कपड़े के उत्पादन और मूल्य पर से नियंत्रण हटा लिया जाये, क्योंकि इससे मूल्यों में कमी करने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी है तथा मिलों तथा थोक व्यापारियों के पास काफी मात्रा में कपड़ा पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) दिल्ली के व्यापार संघ के संयुक्त मण्डल ने सूती कपड़े के उत्पादन और मूल्य पर से नियंत्रण हटाने के लिये अभ्यावेदन दिया था :

(ख) और (ग) : इन नियंत्रणों को आरम्भ करने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर जनसाधारण के उपभोग के लायक कपड़े की किस्मों का पर्याप्त रूप से मिलना सुनिश्चित करना था। सरकार को संतोष है कि यह प्रयोजन लगभग सिद्ध हो रहा है इसलिये इन नियंत्रणों को हटाने का सरकार का इस समय कोई विचार नहीं है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में कोयले का उत्पादन

* 400 : **श्री जार्ज फरनेन्डीज** :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिये कोकिंग तथा ब्लैडेबल (मिश्रण योग्य) कोयले के अनुमानित उत्पादन में कमी की गई है; और

(ख) क्या हमारे इस्पात कारखानों की क्षमता को बढ़ाने के लक्ष्य पर इस कटौती का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

"नैरो गेज (सकरी) रेलें

* 401 **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री य० प्र० प्रसाद :
श्री न० कु० सांघी :
श्री पार्थसार्थी :
श्री हेमराज :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी "नैरोगेज" (सकरी) रेलें भारी घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने नेरो गेज रेलों के स्थान पर मीटर गेज रेलें तथा बड़ी रेलें बिछाने का विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) आम तौर पर सभी छोटी लाइन खण्ड घाटे में चल रहे हैं लेकिन थोड़े से अपवाद भी हैं।

(ख) इनमें से अधिकांश खण्डों पर यातायात इतना कम है कि उनका आर्थिक-संचालन नहीं हो सकता।

(ग) छोटी लाइन को बड़ी लाइन/मीटर लाइन में बदलने के प्रश्न की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

घ) इसी समीक्षा के फलस्वरूप सौराष्ट्र के आदिपुर–भुज छोटी लाइन को मीटर लाइन में बदला गया।

Railway Public Service Commission in Bihar

402. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 113 on the 4th November, 1966 and state -

(a) whether in view of the fact that the population of Bihar State is more than five crores, Government propose to set up a fullfledged Railway Service Commission in Bihar instead of the present Branch Office of the Railway Service Commissions, Allahabad and Calcutta at Danapur; and

(b) if so, when Government propose to set up such a Commission ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No, Sir, as it is not the policy of Government to set up Railway Service Commissions on the basis of States or regions.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का पुनर्गठन

403. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्रधानी :
श्री हीरजी भाई :
श्री शारदा नन्द :
श्री भारत सिंह :
श्री रणजीत सिंह :
श्री रामसिंह आयरवाल :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री 7 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 817 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का पुनर्गठन करने के प्रश्न पर इस बीच विचार किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के पुनर्गठन का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खेत्री तांबा परियोजना की स्थापना

404. श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन विदेशी फर्मों के साथ खेत्री तांबा परियोजना की स्थापना के बारे में बातचीत हो रही है उनके नाम क्या हैं ;

(ख) क्या इस परियोजना का कार्य आरम्भ हो गया है और यदि हां, तो कितने विदेशी विशेषज्ञों को काम पर लगाया है तथा उन पर किये जा रहे व्यय का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या परियोजना के काम में पर्याप्त संख्या में स्थानीय लोगों को लगाया गया है तथा परियोजना पर कुल कितना धन व्यय हुआ है और उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) इस समय किसी भी विदेशी फर्म के साथ खेत्री तांबा परियोजना की स्थापना के बारे में बातचीत नहीं चल रही है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने पहले से ही निम्न समझौते किये हुये हैं :–

(1) फ्रेंच कन्सोरटियम क्रेडिट के अधीन प्लांट, उपकरण और इन्जीनीयरी सेवाओं के लिए मैसर्स वीनोट-पिक, ऐनसा और अन्य फ्रांसीसी कम्पनियों के समूह के साथ समझौता ; और

(2) निगम के परामर्शदाताओं के रूप में कार्य करने के लिये अमरीका की कम्पनी मैसर्स वेस्टर्न नैप इन्जीनियरिंग कम्पनी के साथ समझौता, यह कम्पनी फ्रांसीसी बोलीयों का मूल्य निश्चित करने में, लागत पूंजी के अनुमानों और लाभप्रदता, बनावट और विवरण आदि के पुनरीक्षण में और कूपक खोदने के कार्य में सहायता देगी।

(ख) हां, महोदय। कूपक खोदने के कार्य के लिये मैसर्स वेस्टर्न नैप इन्जीनियरिंग कम्पनी ने 6 विशेषज्ञ भेजे हैं। इस उद्देश्य के लिये अब तक विदेशी मुद्रा में 3,35,469 डालर और भारतीय मुद्रा में 1,13,794 रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(ग) हां, महोदय । 95 प्रतिशत के लगभग अकुशल और अर्धकुशल मज़दूर, जो कर्मचारियों की संख्या का अधिकांश भाग है, स्थानीय लोग हैं । निम्न श्रेणी के तकनीकी और कुशल पदों पर और लिपिक पदों पर काम करने वाले स्थानीय लोगों की संख्या 50 प्रतिशत के लगभग है । योग्य स्थानीय लोगों के न उपलब्ध होने के कारण उच्च श्रेणियों में लगाये जाने वाले तकनीकी लोग अधिकतर बाहर के हैं ।

मार्च 1967 के अन्त तक परियोजना पर लगभग 7 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं । इस खर्चे का ब्योरा इस प्रकार है :–

	(रुपयों में)
खनन	46 लाख
पूर्वेक्षण (भारतीय खान ब्यूरो को दी गई राशि को मिला कर)	41 लाख
सिविल कार्य	90 लाख
परामर्श सेवा	78 लाख
औजार, प्लांट और मशीनें	81 लाख
गोदाम, स्थापन और अन्य विविध	364 लाख
	700 लाख

रेलवे अधिकारियों के लिए सैलून, आरामदेह डिब्बे तथा वातानुकूलित डिब्बे

406. श्री रणधीर सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मितोपयोग तथा मितव्ययता करने के हेतु विशिष्ट व्यक्तियों तथा उच्च रेलवे अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले सैलूनों, आरामदेह डिब्बों तथा वातानुकूलित डिब्बों को समाप्त करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) चूंकि वातानुकूल डिब्बे विदेशी पर्यटकों के लिए और सैलून सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए, और निरीक्षण-डिब्बे रेलवे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग समाप्त करने का विचार नहीं है ।

जहां तक विलास-यानों (Luxury cars) का सवाल है, इस तरह के कोई यान नहीं हैं ।

जमालपुर के रेलवे कर्मचारियों को सहायता

407. श्री देवेन सेन :

श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकाल/अत्यधिक कमी वाले मामलों तथा उससे पीड़ित कर्मचारियों को सहायता/ अनुदान/ अग्रिम मजूरी देने के बारे में रेलवे बोर्ड ने कोई नियम/आदेश बनाये हैं ;

(ख) क्या जमालपुर (पूर्व रेलवे) झाझा तथा बिहार के अन्य अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों से सहायता के संबंध में कोई याचिका प्राप्त हुई है ;

(ग) क्या जमालपुर वर्कशाप के महाप्रबन्धक ने इस संबंध में कोई सिफारिश की है ; और

(घ) इस प्रार्थना/याचिका के संबंध में रेलवे अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) नियम/आदेश सिर्फ वेतन अग्रिम के भुगतान के सम्बन्ध में हैं ।

(ख) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पटसन का माल बनाने की लागत

• 408, श्री फ० गो० सेन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन की वस्तुओं की प्रतियोगिता करने की क्षमता को बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् की सिफारिश के अनुसार पटसन का माल बनाने की लागत कितनी घटाई गई है ; और

(ख) क्या प्रयोग में लाये जाने वाले घटिया किस्म के पटसन की कीमत तथा पटसन पैदा करने वाले क्षेत्रों में कलकत्ता से बाहर के स्थानों में पटसन मिलों की विद्यमानता ध्यान में रखी गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद के प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पहिले ही कुछ मिल समूह निर्माण की लागत कम करने के उपायों की ओर तत्काल ध्यान दे रहे थे । फिर भी, तब से उद्योग ने उत्पादिता बढ़ाने सम्बन्धी, परिषद की खास खास सिफारिशों को क्रियान्वित करने का प्रायः प्रयास किया है परन्तु इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने से जिन लाभों के होने की जो आशा थी यह प्राप्त नहीं हो सके क्योंकि उनसे अधिक मूल्य स्तरों में वृद्धि हो गई जो उद्योगों के सभी क्षेत्रों, प्रमुखतः श्रम, माल, बिजली आदि क्षेत्रों में, व्यापक रूप से हुई है ।

2. रेशे की कमी के कारण उद्योग द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग न कर पाना और मेस्टा जैसे घटिया किस्म के रेशे को अधिक प्रतिशत में प्रयोग करने की आवश्यकता ने भी इसकी कठिनाइयों को बढ़ाने में योगदान दिया है । फिर भी, सम्पूर्ण उद्योग में लागत कम करने के लिये उतरोत्तर प्रयास किये जा रहे हैं और इस संदर्भ में कार्य अध्ययन, प्रोत्साहन योजनाओं का निष्पादन, गुण नियंत्रण और मशीनों का आधुनिकीकरण उल्लेखनीय प्रयास हैं । इस समय भारतीय प्रबन्ध संस्थान कई मिलों के सहयोग से फर्मों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है । इस अध्ययन से यह पता लग जायेगा कि निर्माण की लागत घटाने के लिये और क्या किया जा सकता है ।

तांबे और जस्ते की कमी

* 409. श्री निहाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री रामसेवक यादव :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तांबे और जस्ते की अत्यधिक कमी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) इन धातुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार का इरादा चालू वर्ष में इन धातुओं के आयात बढ़ाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी :) (क) हां, महोदय ।

(ख) अपेक्षित सूचना एक विवरण में दी गई है जो सभा के पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 587/67]

(ग) और (घ) सन् 1967-68 के दौरान सन् 1966-67 की अपेक्षा तांबे और जस्ते के आयात में कुछ वृद्धि की आशा है, परन्तु इस अवस्था में वृद्धि की मात्रा बताना सम्भव नहीं ।

बोकारो इस्पात कारखाना

* 410. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने के पहले चरण पर कुल लागत 650 करोड़ रुपये से कम नहीं आयेगी ;

(ख) क्या तैयार माल की एक टन की लागत 1,1000 रुपये से कम नहीं होगी ;

(ग) क्या उपरोक्त लागत वर्तमान औसत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से काफी अधिक होगी; और

(घ) क्या ऐसी परियोजना से, जिसमें उत्पादन आरम्भ होने में काफी समय लगेगा तथा जिसमें उत्पादन की लागत काफी अधिक होगी देश में मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) बोकारो इस्पात कारखाने का प्रायोजना प्रतिवेदन 4 मिलियन टन इस्पात पिण्ड की वार्षिक क्षमता वाले कारखाने के लिए बनाया गया है । कारखाने के प्रथम चरण में जिसमें इसकी क्षमता 1.7 मिलियन टन पिण्ड होगी एक टन तैयार इस्पात पर आने वाली लागत निकाली जा रही है । प्रथम चरण की उत्पादन लागत अपेक्षाकृत बहुत अधिक होगी । यदि साधन उपलब्ध हुये तो सरकार का ऐसा इरादा है कि शीघ्रातिशीघ्र कारखाने की

क्षमता बढ़ाई जाय जिससे उत्पादन लागत में कमी हो सके। कारखाना 'फ्लैट प्राडक्टस' का उत्पादन करेगा जिनकी इस समय भी कमी है। कारखाने के प्रथम चरण के उत्पादन से ही 10 लाख टन या इससे अधिक 'फ्लैट प्राडक्टस' के आयात में कमी हो जायगी जिससे प्रति-वर्ष 90 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

व्यापारियों को बन्दरगाह की सुविधायें

* 411. श्री य० प्र० प्रसाद :
श्री न० कु० सांघी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात-निर्यात का व्यापार करने वाले उत्तर भारत के व्यापारियों को बन्दरगाह की सुविधायें प्रदान करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन सुविधाओं के प्रदान किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली में एक शुष्क पत्तन की स्थापना करके व्यापारियों को पतन सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने का एक सुझाव सरकार को मिला है, जिस पर सम्बन्धित मन्त्रालयों से सलाह लेकर अभी विचार किया जा रहा है। अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं किया गया है।

Demurrage Charges

* 412. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state -

(a) whether it is a fact that an amount of Rs. 14,113 had to be paid by the Iron and Steel Controller as demurrage as a result of the delay in the appointment of loading agents for unloading of steel strips imported from the U. K. at the port of Calcutta during March-April 1964; and

(b) if so, the reason for the delay and the action being taken to avoid the reccurrence of such cases in future ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b) The subject matter of the question finds a place in the Audit Report (Civil) 1967, which was placed on the Table of the House on April 7, 1967. All the points mentioned in the Question will be examined in detail by the Public Accounts Committee. It would not be appropriate for Government to make a statement on these matters till they are examined by the Commitee.

समवाय विधि न्यायाधिकरण

* 413. श्री प्र० के० देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समवाय विधि बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि समवाय विधि न्यायाधिकरण समाप्त किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) : **और** (ख) :समवाय विधि बोर्ड ने इस प्रकार की सिफारिश नहीं की, परन्तु सरकार ने समवाय न्यायाधिकरण को समाप्त करने तथा समवाय अधिनियम में परिणामी संशोधन करने का प्रस्ताव किया है । न्यायाधिकरण को समाप्त करने के प्रस्ताव के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) प्रथम तीन वर्षों में, न्यायाधिकरण का कार्य करने का अनुभव, उन उद्देश्यों के प्राप्त करने, अर्थात् शीघ्र निष्कर्ष निकालने में, जिसके लिये इसे स्थापित किया गया था, अधिक प्रोत्साहन देने वाला नहीं है, क्योंकि इसे अति सावधान तथा अवधि उपयोग करने संबंधी अदालती क्रियाविधि तथा कार्यवाहियों को अपनाना पड़ा, जिससे इसे, अपने अन्तरिम आदेशों पर, अपील कर देने, अथवा उच्च न्यायालय में लिखित याचिका दायर कर देने से, रुकना पड़ता था ।

(2) न्यायाधिकरण का भौतिक कार्यभार बहुत ही हल्का रहा है, तथा दिल्ली के बाहर के स्थानों के पुरुषों ने इसकी शक्तियों को उपलब्ध करना कठिन तथा व्यययुक्त पाया है ।

पूर्व रेलवे के महा प्रबन्धक (जनरल मैनेजर)

414. डा० महादेव प्रसाद :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री यशवंत सिंह कुशवाह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 मई, 1967 को रेलवे कर्मचारियों ने पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक (जनरल-मैनेजर) को घेर लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की क्या मांगें हैं तथा इनके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) ईस्टर्न रेलवेमैन्स यूनियन के एक असन्तुष्ट गुट, जिसे अभी तक मान्यता नहीं दी गयी है, के पदाधिकारियों के नेतृत्व में बहुत से कर्मचारियों ने 21 मई को नहीं बल्कि 20 मई को, पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया । जब महाप्रबन्धक कार्यालय से चलने लगे, तो प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार को घेर लिया । महाप्रबन्धक को कुछ समय तक वहां रोके रखने के बाद, प्रदर्शनकारियों ने उन्हें एक ज्ञापन दिया और फिर वहां से हट गये । ज्ञापन में ईस्टर्न रेलवेमेन्स यूनियन के असन्तुष्ट गुट को मान्यता देने और ट्रेड यूनियन के अधिकारों आदि से सम्बन्धित अनेक मांगें

थीं । इनमें से अधिकांश मांगों पर पहले विचार किया जा चुका है और उन्हें स्वीकार करने योग्य नहीं पाया गया । फिर भी, इन मांगों के गुण-दोष के आधार पर इनकी जांच की जाती रहेगी ।

जापान को लोह-अयस्क का निर्यात

* 415. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापानी फर्मों ने लोह-अयस्क के लिये प्रति टन 15 शिलिंग अधिक मूल्य देने की इच्छा व्यक्त की है, यदि इसका निर्यात उड़ीसा की पारादीप बन्दरगाह से किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो पारादीप बन्दरगाह से लौह-अयस्क के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या यह सच है कि एम० एम० टी० सी० में कलकत्ता जैसी बन्दरगाहों से लौह-अयस्क के निर्यात को स्वीकार करने पर जापानी फर्मों के सामने कम मूल्य लेने का प्रस्ताव रखा था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

Railway freight outstanding against Industrial Concerns of Kanpur

416. Shri Shiv Charan Lal - Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the amount outstanding against the industrial establishments of Kanpur, such as, the industrial establishments of Juggilal Kamlapat, Laxmi Ratan Cotton Mills, British India Corporation, Singh Engineering Works, Muir Mills etc. as railway freight and the maintenance charges of the railway sidings constructed by the Railways at these establishments for the period upto the Ist April, 1966; and

(b) the steps taken by the Railway Administration so far to recover these huge arrears ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) A statement showing the freight charges and maintenance charges outstanding against the firms mentioned and some others is laid on the Table of the House. [Placed in Library, See No. Lt. 588/67]

(b) The Railway administration contacts individual firms and writes to them requesting them to pay up the amounts outstanding. If that does not produce results, they warn them that if the outstandings are not cleared within a certain period, the Railway would detain their goods, on which the Railways have a lien under Section 55 of the Act, or discontinue placement of wagons on the siding. If such notice is also not heeded, the action threatened is taken.

700-एच० पी० डीज़ल इंजन

* 417. श्री हेमराज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन ने छोटी लाइन (नैरो गेज) वाले सैक्शनों के लिये 700-एच० पी० डीज़ल इंजन के डिजाइन तैयार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका निर्माण आरम्भ कर दिया गया है और किस स्थान पर ; और

(ग) ये इंजन छोटी लाइन वाले सैक्शनों पर कब तक चला दिये जायेंगे और इस प्रयोजन के लिये कौन से सैक्शन चुने गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) अभी यह सवाल ही नहीं उठता ।

Production of Steel

*418 **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) India's place in the production of steel amongst the countries declared independent after 1947; including China;

(b) whether it is a fact that China, is producing more steel than India; and

(c) the scheme under contemplation of Government to increase the production of steel rapidly ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) and (b) Reliable information on production of steel in China is not available. From the available reports, it appears that in crude steel production, India's place is next to China.

(c) For increasing production in steel, the following schemes are under consideration :

(i) Expansion of production capacity of Bhilai, Durgapur, Rourkela, TISCO and IISCO's steel plants and the private sector electric furnace units;

(ii) setting up of two new steelworks apart from Bokaro; and

(iii) adoption of better production techniques.

In addition, our capacity to manufacture steel plant machinery and equipment is being developed so that we should shortly be in a position to set up new plants largely on our own.

एकाधिकार आयोग

*419. **श्री रा० को० अमीन** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा एकाधिकार कायम करने के लिये अपनाये जाने वाले अवांछनीय तरीकों की जांच को एकाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर क्यों रखा गया था;

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा एकाधिकार कायम करने के लिये अपनाये जाने वाले तरीके की जांच करने के लिये एक अन्य एकाधिकार आयोग बनाने का है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन बड़े-बड़े संघों, जिनका मजदूरों की सप्लाई करने में बड़ा प्रभुत्व है, के हाथों में जमा हुई सत्ता के बारे में जांच करने के लिये एक आयोग बनाने का है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में एकाधिकार कायम करने के अवांछनीय तरीकों को बढ़ने से रोकने के लिये एक निकाय स्थापित करने के अतिरिक्त जिसका सुझाव एकाधिकार आयोग ने दिया है, और कोई महत्त्वपूर्ण उपाय करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) यह कहना सही नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में एकाधिकार कार्य प्रणाली है। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की कार्यविधि, अपनी समितियों के माध्यम से, संसद के नियंत्रण के अधीन है, इस कारण सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को एकाधिकार जांच आयोग के विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत रखना ठीक नहीं समझा गया।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

(घ) अवांछनीय एकाधिकार कार्य प्रणाली को बढ़ने से रोकने में, सरकार द्वारा अपनाने के लिये विभिन्न प्रस्तावित उपाय, दिनांक 5 सितम्बर, 1966 के सरकारी संकल्प में, जो इस सदन के पटल पर 6 सितम्बर, 1966 को रखा गया था; उल्लिखित हैं।

रेलवे के भोजनालयों में प्रति व्यक्ति भोजन की दर

***420. श्री कंडप्पन :**
श्री नम्बियार :
श्री सूपकार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के भोजनालयों तथा स्टालों में प्रति व्यक्ति भोजन की दर में 15 मई, 1967 से कोई बढ़ोतरी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) खाद्य पदार्थों की कीमत और कर्मचारियों आदि पर आने वाले खर्च के बढ़ जाने के कारण लागत में जो वृद्धि हुई है उसे देखते हुए भारतीय ढंग से दिये जाने वाले शाकाहारी और सामिष पूरे भोजन, जो अखिल भारतीय आधार पर मानकीकृत किये गये हैं, की कीमतें 15-5-1967 से बढ़ा दी गयी हैं।

चौथी योजना में नई रेलवे लाइनें

1950. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उत्तर रेलवे नई रेलवे लाइनों के निर्माण का प्रस्ताव अन्तिम रूप से तैयार हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) चौथी योजना में जिन सारी नयी लाइनों का निर्माण किया जाना है उनके बारे में अभी तक अन्तिम रूप से फैसला नहीं किया गया है। लेकिन उत्तर रेलवे पर चौथी योजना की अवधि में निम्नलिखित दो नयी रेलवे लाइनों को बनाने के लिए अनुमोदन किया गया है :—

(1) पोकरन-जैसलमेर—मीटर लाइन, लगभग 2.99 करोड़ रुपये की लागत से 105 किलोमीटर लम्बी लाइन।

(2) कठुआ--जम्मू —बड़ी लाइन, लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से 80 किलोमीटर लम्बी लाइन।

कोटकपुरा तथा फाजिल्का के बीच मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन बनाना

1951 **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में कोटकपुरा और फाजिल्का के बीच मीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री० चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जाली रेलवे टिकटों की बिक्री

1952. **श्री घुलेश्वर मीना** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री ख० प्रवानी :
श्री हीरजी भाई :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री रामसिंह आयरवाल :

क्या रेलवे मन्त्री 7 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 816 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली टिकटों की बिक्री के बारे में की जाने वाली जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय चलचित्रों का निर्यात

1953. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में निर्यात की गई भारतीय फिल्मों की संख्या कितनी है और उन देशों के नाम क्या हैं जहां वे भेजी गई हैं;

(ख) इस अवधि में इन फिल्मों ने देशवार, कितनी विदेशी मुद्रा कमाई;

(ग) उन चलचित्रों में से प्रथम बारह चलचित्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने सर्वाधिक विदेशी मुद्रा इसी अवधि में कमाई और उन्होंने ठीक कितनी राशि कमाई; और

(घ) उपरोक्त अवधि में इन बारह चलचित्रों के निर्माताओं को चलचित्र तैयार करने अथवा यात्रा के लिये कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क से घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 589/67]**

कोट्टायम में रबड़ का सामान बनाने का कारखाना

1954. **श्री अब्राहम :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोट्टायम में जो रबड़ बागान का प्रमुख केन्द्र है रबड़ का सामान बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोट्टायम में माण्ड (स्टार्च) कारखाना

1955. **श्री अब्राहम :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोट्टायम में, जहां टेपिओका प्रचुर मात्रा में पैदा होता है, एक मांड कारखाना खोलने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) सरकार का कोट्टायम में स्टार्च का कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी कोट्टायम के निकट कन्जिरापल्ली नामक स्थान पर टेपिओका से स्टार्च तथा ग्लुकोज़ बनाने के लिए मेसर्स कमला शुगर मिल्ज़ लि० नामक एक नए एकक का

पंजीकरण करने की स्वीकृति दे दी गई है। इस कारखाने की क्षमता निम्न प्रकार होगी :—

स्टार्च	3,000 मी० टन प्रति वर्ष
ग्लुकोज़	3,000 मी० टन प्रति वर्ष
डेक्स्ट्रोज़	312 मी० टन प्रति वर्ष।

राजकीय छोटी रेलवे लाइनें

1956. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकीय छोटी रेलवे लाइनें कुल कितने मील लम्बी हैं;

(ख) उन रेलों से कुल कितनी वार्षिक आय होती है;

(ग) इन रेलों पर कुल कितना वार्षिक खर्च आता है;

(घ) इन रेलों के कौन-कौन से सैक्शन घाटे में चल रहे हैं; और

(ङ) उन सैक्शनों के नाम क्या हैं तथा उनमें कुल कितना वार्षिक घाटा होता है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 4050 मार्ग किलोमीटर।

(ख) 1965--66 में 537 लाख रुपये।

(ग) 1965--66 में 1136 लाख रुपये।

(घ) और (ङ) छोटी लाइन के प्रत्येक खण्ड की आमदनी और खर्च का व्यौरा अलग से उपलब्ध नहीं है। 1965–66 के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में छोटी लाइन खण्डों के संगणित आंकड़े सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये हैं **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 590/67]**

खुरदा भुवनेश्वर तथा निराकारपुर स्टेशनों पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति

1957. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में खुरदा, भुवनेश्वर तथा निराकारपुर रेलवे स्टेशनों पर कितने व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किये गये;

(ख) उनमें कितने व्यक्ति उसी क्षेत्र के निवासी हैं; और

(ग) उनमें कितने व्यक्ति कार्य-भारित कुलियों में से लिये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) खोरधा रोड -- 27

भुवनेश्वर — 1

निराकारपुर — कोई नहीं

(ख) खोरधा रोड	--	15
भुवनेश्वर	--	कोई नहीं
(ग) खोरधा रोड	--	12
भुवनेश्वर	--	1

टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० के इस्पात का विक्रय मूल्य

1959. **श्री शिवपूजन शास्त्री :**
श्री मधु लिमये :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान टाटा आयरन एंड स्टील कं० के अधिकारी द्वारा दिनांक 13 मई, 1967 के 'इकानामिक टाइम्स' में दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि टाटा आयरन एंड स्टील के इस्पात का विक्रय मूल्य, उत्पादन शुल्क को निकाल कर 'किसी अन्य देश' में देशीय मूल्य से कम है;

(ख) क्या यह वक्तव्य वस्तुतः सही है;

(ग) क्या भाग (क) में उल्लिखित देशीय मूल्य में हमारे उत्पादन शुल्क के बराबर कर सम्मिलित है; और

(घ) यदि हां, तो टाटा आयरन एंड स्टील कं० के विक्रय मूल्य में तथा पश्चिमी जर्मनी और जापान जैसे देशों में इस्पात के मूल्यों में शामिल होने वाली विभिन्न चीजों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) वक्तव्य प्रायः सही है। वास्तव में मेंहताब समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अवमूल्यन से पहले भी भारत के इस्पात के निर्माणी वाह्य मूल्य अन्य देशों के देशीय मूल्य की तुलना में बहुत खराब नहीं है। संलग्न ब्यौरे में कुछ विशेष उत्पादों के अवमूल्यन के पश्चात् भारतीय मूल्य और उनके समकक्ष विदेशी मूल्यों की तुलना की गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 591/67]**

(ग) और (घ) विदेशों के मूल्यों में कर और शुल्क, यदि सम्मिलित हैं तो उनके बारे में पूरी जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

कोयम्बतूर की घाटे पर चलने वाली कपड़ा मिल

1960. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोकनाथन समिति ने कोयम्बतूर की घाटे पर चलने वाली कपड़ा मिलों की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिशें हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : पता लगा है कि मद्रास सरकार द्वारा डा० लोकनाथन के सभापतित्व में बनाई गई समिति ने मई, 1967 के अन्त में एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ।

कोचीन-मंगलौर लाइन को बम्बई तक बढ़ाना

1961. श्री शिवपूजन शास्त्री :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर और महाराष्ट्र सरकारों ने कोचीन-मंगलौर लाइन को पश्चिमी तट के साथ-साथ बम्बई तक बढ़ाने का सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) न तो मैसूर सरकार और न ही महाराष्ट्र सरकार ने कोच्चिन-मंगलूर लाइन को बम्बई तक बढ़ाने की सिफारिश की है । लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सुझाव दिया है कि हाल ही में बनायी गयी दीवा-आपटा लाइन को दासगांव और उससे आगे गोआ तक बढ़ाया जाना चाहिए ।

(ख) इस लाइन के निर्माण पर बहुत अधिक खर्च······आयेगा और चौथी योजना में नयी लाइनों के लिए सीमित निधि उपलब्ध होगी जिसे देखते हुए इस लाइन के निर्माण की संभावना कम है ।

बरेली जंक्शन स्टेशन पर ऊपरी पुल

1962. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के बरेली जंक्शन स्टेशन पर तीन प्लेटफार्मों के बीच पुराने लकड़ी के ऊपर पुल का पुनर्निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि यात्रियों के अतिरिक्त बहुत सा यातायात इसके ऊपर से गुजरता है; और

(ग) इसके पुनर्निर्माण में कितना समय लगने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं । लेकिन, स्टेशन की इमारत के मुगलसराय वाले सिरे पर 1968-69 में एक अतिरिक्त ऊपरी पैदल पुल बनाने के प्रस्ताव पर रेल प्रशासन विचार कर रहा है, बशर्ते इसके लिए रकम उपलब्ध हो ।

(ख) जी हां ।

(ग) सवाल ही नहीं उठता ।

Railway Bridge at Bakhtiyarpur

1963. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the construction of the Railway bridge at Bakhtiyarpur Station on the Eastern Railway has been started ;

(b) if so, the progress made so far and the time by which the bridge would be completed ;

(c) if the work has not been started so far or only a little progress has been made, the reasons therefore ; and

(d) when a high level platform would be constructed at the aforesaid station for the trains running on Bakhtiyarpur-Rajgir line ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. Construction of a road overbridge at Bakhtiarpur has been started.

(b) The foundation work and earthwork in approaches are in progress. The Railway's portion of the work is expected to be completed by March, 1968.

(c) Some delay has occurred in progressing this work so far in settling the technical details ect. with the State Government.

(d) The work on the high level platform on the Rajgir line is in progress and is expected to be completed shortly.

कपास पर कानूनी मूल्य नियन्त्रण

1964. श्री म० प्रमरसे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास पर, जो एक कृषिजन्य वस्तु है, अब भी कानूनी मूल्य नियंत्रण रखने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि कपास के अधिकतम मूल्य अधिक कपास उगाने में निरुत्साह पैदा करते हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) कपास के मूल्यों पर नियंत्रण का यह औचित्य है कि इसका उद्देश्य :

(1) कपास के उत्पादकों के लिए उचित लाभ सुनिश्चित करना है;

(2) मिलों को उचित मूल्यों पर कपास की पूर्ति सुनिश्चित करना है; और

(3) नियंत्रित तथा अनियंत्रित किस्मों के कपड़े के मूल्यों का सामान्य स्तर स्थिर रहना है तथा भारतीय कपड़े को विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता के योग्य बनाना है।

(ख) जी, नहीं। सरकार के विचार से ऐसा नहीं होता।

कपड़े पर मूल्य नियंत्रण

1965. श्री म० प्रमरसे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों (अर्थात् कपड़ा मिलों, हथकरघों तथा विद्युत चालित करघों) के कपड़े के कुल उत्पादन की तुलना में कितने प्रतिशत कपड़े पर कानूनी मूल्य नियंत्रण है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : लगभग 23 प्रतिशत ।

कपास पर मूल्य नियंत्रण

1966. (श्री म० अमरसे) : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपास के 95 प्रतिशत उत्पादन पर कानूनी मूल्य नियंत्रण है जब कि कपड़े के कुल उत्पादन के अर्थात् कपड़ा मिलों, हथकरघों तथा विद्युत् चालित करघों के केवल 25 प्रतिशत पर कानूनी मूल्य नियंत्रण है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कपास के मूल्यों पर नियंत्रण का यह औचित्य है कि इसका उद्देश्य :

(1) कपास के उत्पादकों के लिए उचित लाभ सुनिश्चित करना है;

(2) मिलों को उचित मूल्यों पर कपास की पूर्ति सुनिश्चित करना है; और

(3) नियंत्रित तथा अनियंत्रित किस्मों के कपड़े के मूल्यों का सामान्य स्तर स्थिर रहना है तथा भारतीय कपड़े को विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता के योग्य बनाना है ।

कपड़े का उत्पादन

1967. श्री म० अमरसे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूती कपड़ा मिलों में (हथकरघों तथा विद्युत् चालित करघों को मिला कर) कपड़े के कुल उत्पादन में से कितने प्रतिशत कपड़े का निर्यात किया जाता है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : 1964, 1965 तथा 1966 की अवधि में कपड़े के कुल उत्पादन में से निर्यातित कपड़े का प्रतिशत निम्नलिखित आता है :—

(10 लाख मीटर)

	1964	1965	1966
उत्पादन	7720	7643	7336
निर्यात	536.6	546.6	461.3
उत्पादन में से निर्यात का प्रतिशत	6.95	7.15	6.28

Manufacture of Tyres

1968. Shri Ram Chandra Veerappa : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be plesed to state :

(a) whether it is a fact that advance licences have been issued to the foreign firms manufacturing tyres in India with a view to give incentives to them ; and

(b) if so, the firms to which the said advance licences have been issued ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) Advance import licences for the import of capital goods and rew materials.

have been issued to M/s. Dunlop Rubber Co. (India) Ltd., which is a foreign majority holding company registered in India.

Durgapur Steel Plant

1969. Shri Ram Chandra Veerappa : Will the Minister of Steel, mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that with a view to increasing production, the Durgapur Steel Plant authorities have evolved a new method of effective uiilisation of coke-oven gas;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) to what extent it has resulted in reducing the consumption of coke ?

The Minister of Steel Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) To overcome the shortage of coke oven gas, the Durgapur Steel Plant is using furnace oil in the Steel Melting Shop. Further, by staggering planned shut down of Rolling Mills for maintenance, available gas is put to the most effective use.

The use of furnace oil has reduced the consumption of coke oven gas, but not that of coke.

आसाम मेल में लगाया गया डिब्बा

1970. श्रीमती ज्योत्सना चंदा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी से सिल्चर तक जाने वाली आसाम मेल में जोड़े जाने वाले पहले तथा तीसरे दर्जे के डिब्बे अब उसमें नहीं लगाये जाते; और

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : बरौनी और सिलचर के बीच पहले और तीसरे दर्जे का जो मिला-जुला सीधा डिब्बा 3/4 आसाम डाकगाड़ियों में चलता था, उसे 15--2--66 से हटा लिया गया क्योंकि लमडिंग-बदरपुर खण्ड पर उन सवारी गाड़ियों के समय में परिवर्तन हो गया है, जो इन डाकगाड़ियों से मेल लेती थीं। मेल लेने वाली इन गाड़ियों के समय में परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सुरक्षात्मक कारणों से इस खण्ड पर सवारी गाड़ियों के रात में चलने पर प्रतिबन्ध है।

थाइलैंड से पटसन का आयात

1971. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री शिवपूजन शास्त्री :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री मधु लिमये :
श्री रबि राय :
श्री मनोहरन :
श्री ही० ना० मुकर्जी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थाइलैंड से जूट के आयात के मामले में कुछ पार्टियां जिनसे जूट-मिलों ने माल खरीदा था भारतीय पार्टियां निकली जो कि थाइलैंड की कुछ फर्मों के अभिकर्त्ताओं के रूप में नहीं अपितु मुख्य फर्मों के रूप में काम कर रही हैं;

(ख) मुख्य फर्मों के रूप में काम कर रही इन भारतीय फर्मों के नाम क्या हैं जिनसे जूट मिलों ने माल खरीदा था;

(ग) क्या इन आयातों में विदेशी मुद्रा की जो बरबादी हुई उसकी और सरकार का ध्यान दिलाया गया है क्योंकि इन आयातों के मामले में भारतीय फर्मों को मुख्य फर्मों के रूप में काम करने दिया गया; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस समूचे काण्ड की जांच कराने तथा उन पार्टियों के विरुद्ध जो कि सरकार के साथ धोखा-धड़ी करने के जिम्मेदार हैं, कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) केवल पटसन मिलों के लिए 13 जुलाई से 31 मार्च 1967 की अवधि के दौरान पटसन और मेस्टा के आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आते थे। मिलों को माल खरीद कर के उसके आयात की व्यवस्था करने की छूट थी। सरकार के पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि माल की खरीद मुख्य फर्मों के रूप में काम कर रही भारतीय पार्टियों से की गयी थी।

(ग) और (घ) इसमें विदेशी मुद्रा की किसी बरबादी अथवा धोख-धड़ी का सरकार को पता नहीं है। जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

थाइलैंड से पटसन का आयात

1972. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री शिवपूजन शास्त्री :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री रबि राय :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री मनोहरन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थाइलैंड से पटसन का आयात करने के लिये पिछले दो अथवा तीन वर्षों में पटसन-मिलों को आयात-लाइसेंस दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कुल कितना तथा कितने मूल्य का पटसन आयात किया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि पटसन मिलों द्वारा खरीदी गई तथा पटसन नियंत्रक, कलकत्ता के पास इन आयातों के सम्बन्ध में पंजीकृत मात्रा में पटसन पुनः खरीदने की अनुमति दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो उन पार्टियों/फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें इस आधार पर, कि जिन पार्टियों के माध्यम से मूल-मात्रा में पटसन खरीदा गया था, उन्होंने माल भेजने में देरी कर दी है अथवा माल नहीं भेजा है, इस मात्रा में पटसन खरीदने की अनुमति दी गई थी;

(ङ) कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का माल खरीदा गया; और

(च) मूल खरीद तथा सरकार द्वारा फिर से खरीदने की मंजूरी के माल के मूल्य के बीच कितना अन्तर है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तमाम अनुमेय स्थानों से (जिसमें थाइलैंड भी शामिल है) पटसन मेस्टा के आयात के लिये पटसन मिलों को लाइसेंस दिये गये थे। 13 जुलाई, 1966 से 31 मार्च, 1967 तक आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत किया गया था।

(ख) 1964–65 तथा 1965–66 में थाइलैंड से मेस्टा के आयात का परिणाम तथा मूल्य निम्न प्रकार रहा था :

	परिमाण ('000' गांठें)	मूल्य (लाख रु०)
1964–65	23.3	43
1965–66	889.4	1590

(ग) जी नहीं। मिलें माल खरीदने के लिये स्वतन्त्र थीं। सरकार ने माल की खरीद पर कोई नियन्त्रण नहीं रखा था और पटसन आयुक्त के पास खरीदारियों के पंजीकरण की भी कोई शर्त नहीं थी।

(घ) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

इस्पात उद्योग

1973. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की तुलना में इस्पात उद्योग अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) सम्भवतः प्रश्न में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों के बारे में पूछा गया है जो साधारण इस्पात का उत्पादन करते हैं। इस समय देश में छः ऐसे कारखाने हैं। इनमें से दो कारखाने नामतः टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जिनकी वार्षिक क्षमता 3 मिलियन टन पिण्ड की है, निजी क्षेत्र में हैं। इनके मुकाबले में 4 कारखाने नामतः राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और मैसूर आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, जिनकी सम्भावी क्षमता 6 मिलियन टन पिण्ड की है, सरकारी क्षेत्र में है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Bogus Supply of Sleepers to Railways by Messers Shri Ram Niranjan, Bombay

1974. Shri Jukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4250 on the 2nd September, 1966 and state :

(a) whether the judgment in the case against M/s. Shriram Ram Niranjan, Bombay regarding the supply of bogus sleepers to the Railway Department, pending in the court of Special Judge, Poona has been delivered; and

(b) if not, the time likely to be taken in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No. The case, however, relates to a contract finalised by Director General, Supplies and Disposal for supply of bottom boards of inferior quality to Central Railway and not bogus sleepers as has already been clarified in the reply to Unstarred Question No. 4250.

(b) Special Counsel for Special Police Establishment who have initiated prosecution in this case has indicated that case is likely to be taken up by the Special Judge Poona in July next.

विदेशों में मेलों के लिए कर्मचारी

1975. **श्री कृष्णमूर्ति :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में आयोजित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भारतीय मण्डप चलाने के लिये लोगों के चयन के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम तथा विनियम बनाये हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) भारतीय मण्डपों को चलाने के कार्य के दो पहलू हैं : (1) संगठनात्मक अर्थात् मण्डप की स्थापना, प्रबन्ध और समापन तथा (2) जनता और व्यापारी दर्शकों का स्वागत । प्रथम कार्य के लिये प्राप्यता, उपयुक्तता और अन्य आवश्यक बातों के आधार पर प्रशिक्षित व्यक्ति चुने जाते हैं जबकि दूसरे कार्य के लिये वही दल, जहां आवश्यक हो, दुभाषियों की तथा उपयुक्त स्थानीय कर्मचारियों की सहायता से कार्य करता है ।

न्यूयार्क विश्व मेले तथा सार्वभौमिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी माण्ट्रियल जैसे विशेष महत्वपूर्ण समारोहों के लिये भारत और विदेश में सार्वजनिक विज्ञापनों के द्वारा भी कर्मचारियों का चयन किया जाता है ।

India Belting and Cotton Mills, Serampur

1976. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that papers which were tampered with in the Office of the Registrar for Companies were recovered from the India Belting and Cotton Mills, Serampur (West Bengal) :

(b) if so, the action taken by Government in this regard; and

(c) the number of persons against whom the action has been taken.

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F A Ahmed): (a) to (c) Some complaints were received about the tampering of certain records of the

company as maintained in the office of the Registrar of Companies, West Bengal. Enquiries made by the Vigilance Officer of the Department do not lend support to this allegation. However, further inquiries have been initiated by the Special Police Establishment in this connection. They are still in progress.

Sale of Cars by State Trading Corporation

1978. **Shri Ranwar Lal Gupta :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the names of Ministers who purchased cars from the State Trading Corporation during the last three years;

(b) the number of cars and their make purchased by each one of them during the above period;

(c) whether tenders were invited from them for the sale of these cars; and

(d) if not, the procedure adopted for the sale of these cars ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) No Minister has purchased a car from the State Trading Corporation for his personal use during the last three years.

(b) to (d). Do not arise.

हिसार जंक्शन के रेलवे फाटक

1979, **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी रेलवे के हिसार जंक्शन पर नगर के क्षेत्र में दो रेलवे के फाटक हैं;

(ख) क्या इन दोनों फाटकों पर रेल के यातायात तथा रेलवे शंटिंग के कारण सड़क पर चलने वाले यात्रियों तथा गाड़ियों को बहुत देर तक इन्तजार करना पड़ता है;

(ग) क्या उपरोक्त कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए सरकार इन फाटकों के ऊपर पुल बनाने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, कभी-कभी।

(ग) एक ऊपरी सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव था किन्तु उसे स्थगित कर देना पड़ा क्योंकि राज्य सरकार और नगर निगम दोनों ने, जिन्हें वर्तमान नियमों के अनुसार पहुँच-मार्गों का निर्माण करना होता है, इस काम के लिए धन जुटाने में अपनी असमर्थता प्रगट की थी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में भूमिगत रेल की व्यवस्था

1980. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** **श्री शारदानन्द :**
श्री ना. स्व. शर्मा : **श्री बृजभूषणलाल :**
श्री रामसिंह आयरवाल :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिए भूमिगत रेल की व्यवस्था करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे. मु. पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Theft in Running Train Near Mahendragarh

1981. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some miscreants escaped from the running train with jewellery worth four thousand rupees and a box near Mahendragarh Station on the Delhi-Bikaner Section as reported in the "Nav-Bharat Times", dated the 29th March, 1967; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) There is no report of such an incident to have occurred between Rewari and Mahendragarh stations on the Delhi-Bikaner Section.

(b) Does not arise.

भुवनेश्वर में रेलवे क्वार्टर

1982 **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में भुवनेश्वर स्टेशन में नियुक्त सभी वर्गों के रेलवे कर्मचारियों के लिये कितने क्वार्टर बनाये गये हैं;

(ख) क्वार्टरों की आवश्यकता पूरी करने के लिये और अधिक क्वार्टर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिये वर्ष 1967-68 में कितने क्वार्टर बनाने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 38 यूनिट।

(ख) और (ग) 10 यूनिट मकानों का निर्माण-कार्य चल रहा है और 1967-68 में और 5 यूनिट मकान बनाने का कार्यक्रम बनाया गया है।

Clash in the Third Class Compartment of a Parcel Train

1983. **Shri Mohan Swarup :** **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Jushi : **Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a serious fracas took place in a Third Class Compartment of a parcel train on the 20th April, 1967 between Lakho and Begu Sarai railway stations on the North Eastern Railway resulting in the death of one person and injuries to dozens;

(b) if so, the details of the incident; and

(c) the action taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) and (b) Yes. On 20-4-67, at about 13-40 hours, when 443 Up Parcel train was running between Danauli Phulwaria and Lakho stations, a sudden altercation took place between one Kabuliwala and a group of passengers travelling in the same third class compartment, in which one passenger was stabbed. The train was stopped by pulling alarm chain near Down Home Signal of Danauli Phulwaria station, where free fighting took place. The Kabuliwala became more violent and stabbed 4 other passengers besides injuring several others. In the meantime, the villagers assembled there and gave fatal blows to Kabuliwala who died on the spot. Out of the injured persons, one succumed to injuries at Patna Medical College Hospital on 21-4-67, and others are reported to have been discharged from hospital.

(c) Government Railway Police Begusarai has registered a case under sections 302/148/147/337 I. P. C. and vigorous investigation is in progress.

रेशे और धागे का उत्पादन

1984. **श्री राममूर्ति :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लुगदी न मिलने के कारण सिरू सुमाई, जिला कोयम्बटूर में स्थित साउथ इन्डियन विस्कोज कम्पनी में रेशे और धागे के उत्पादन पर बहुत बुरा असर पड़ा;

(ख) यदि हां, तो 1965 और 1966 में उत्पादन में कितनी कमी हुई; और

(ग) पर्याप्त मात्रा में लुगदी का संभरण सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेशसिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 1965 में विस्कोस स्टेपल रेशे के उत्पादन में लगभग 565 में टन तथा विस्कोस तन्तु के उत्पादन में 82 मे. टन की कमी हुई । 1966 में विस्कोस स्टेपल रेशे के उत्पादन में लगभग 2,070 मे. टन और विस्कोस तन्तु के उत्पादन में 632 मे. टन की कमी हुई । परन्तु यह बताना कठिन है कि 1966 में उत्पादन में काष्ठ लुगदी की कमी के कारण कितने प्रतिशत एवं राज्य में लागू बिजली की कटौती के कारण कितने प्रतिशत कमी हुई ।

(ग) मानव-निर्मित रेशा उद्योग अब अनुरक्षण आयातों के विषय में प्राथमिकता सूची पर है । तमाम कारखानों की, जिनमें यह कारखाना भी शामिल है, समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति उनको लुगदी के आयात की अनुमति देकर की जा रही है ।

एस्बेस्टस कम्पनी

1985. **श्री राममूर्ति :**
श्री . क. गोपालन :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966 में एस्बैस्टस कम्पनी को अपना उत्पादन कम करने को बाध्य किया गया था क्योंकि प्रतिरक्षा विभाग ने अपने कोटे का माल नहीं उठाया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे तथा उत्पादन में कितनी कमी की गई थी और वर्ष में बेरोजगार होने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी; और

(ग) उत्पादन को सामान्य स्तर पर लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री ("श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

1966 में ऐम्बसटस सीमेन्ट्स लि० ने उत्पादन में कटौती कुछ हद तक रक्षा विभाग द्वारा माल की कम खरीद और कुछ आयातित रेशे का पर्याप्त सम्भरण न होने के कारण की थी।

(ख) वास्तविक उत्पादन तथा दर-संविदा पर प्राप्त कुल आर्डरों, रक्षा विभाग सहित, के आंकड़े नीचे दिये जा रहे हैं :—

वर्ष	वास्तविक उत्पादन मीट्रिक टन	दर संविदा पर प्राप्त कुल आर्डर
1964-65	1,90,078	1,19,070
1965-66	1,85,934	74,023
1966-67	1,34,526	33,465

1966 में कम्पनी को अक्टूबर-नवम्बर, 1966 के दौरान एक मास की अवधि के लिये अपने चार कारखानों में 3,604 मजदूरों को निकालना पड़ा था।

(ग) 1967 में पहले छः महीनों में कम्पनी को रेशे के आयात के लिए अपनी पूरी क्षमता के आधार पर 95 प्रतिशत हकदारी के बराबर तक विदेशी मुद्रा दे दी गई है और इसलिए आशा की जाती है कि उत्पादन सामान्य स्तर तक पहुंच जायगा।

विदेशों में संयुक्त उपक्रम

1986. श्री दामानी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 में सरकार ने विदेशी उद्योगपतियों के साथ उनके अपने-अपने देश में सम्मिलित उपक्रम करने की अनुमति दी है; और

(ख) इन सम्मिलित उपक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेशसिंह) : (क) और (ख) अप्रैल, 1964-मार्च, 1965 की अवधि में भारत सरकार ने भारतीय सहयोग से संयुक्त औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिये निम्नलिखित मामलों में अनुमति दी है :—

क्रमांक	सहयोग का क्षेत्र	सहयोग का देश
1.	एक विद्यमान तेल मिल का विस्तार	नाइजीरिया
2.	तांड़गिरी पीसने का संयंत्र	नाइजीरिया

3.	पेन्सिल फैक्टरी	नाइजीरिया
4.	रेजर ब्लेड फैक्टरी	नाइजीरिया
5.	साबुन का कारखाना	इथोपिया
6.	चीनी	युगाण्डा
7.	तामचीनी की वस्तुएं	जम्बिया
8.	कपड़ा	केन्या
9.	रेफ्रिजेरटर, एअरकण्डीशनर और एअरकूलरों आदि का निर्माण	दक्षिण अफ्रीका
10.	बिजली के मोटर तथा ट्रान्सफार्मरों का निर्माण	ईरान
11.	एस्बेस्टस सीमेण्ट के उत्पादों का संयंत्र	उत्तरी आयर्लैण्ड
12.	हलके इन्जीनियरी माल का संयंत्र	उत्तरी आयर्लैण्ड

ये संयुक्त उपक्रम भारतीय सहयोगियों द्वारा अत्यल्प भागीदारी के आधार पर हैं और उनका भाग पूंजीगत माल और उपकरण, संरचनात्मक माल आदि के निर्यात से पूरा किया जाता है। सामान्यतः यहां से कोई भी नकद राशि भेजने की अनुमति नहीं दी जाती।

सरकारी क्षेत्र के उद्योग

1987. श्री दामानी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से उपक्रम लाइसेंस की गई पूर्ण क्षमता तक काम नहीं कर रहे हैं; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०, नई दिल्ली, भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्स लिमिटेड, नई दिल्ली और भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि०, नई दिल्ली के एककों की अभी स्थापना की जा रही है और इसलिए उनमें लाइसेंस प्राप्त क्षमता तक उत्पादन करने का अभी प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, ऊटकमण्ड में फरवरी 1966 से ही उत्पादन आरम्भ हुआ है, इसलिए इस एकक में उत्पादन को लाइसेंस प्राप्त क्षमता तक पहुंचने में अभी कुछ समय लगेगा। हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इन्डिया) लि० भोपाल और हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि० रांची के 3 एकक निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में है, इसलिए इन्हें भी लाइसेन्स प्राप्त क्षमता तक उत्पादन करने में कुछ और समय लगेगा। माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लि०, दुर्गापुर अपनी लाइसेन्स प्राप्त क्षमता का 50 से 60 प्रतिशत तक उत्पादन कर रहा है और इसका कारण कोयले के उत्पादन के लक्ष्य में कमी होना और विद्यमान खानों में मशीनीकरण की गति धीमी होना है जिसके कारण कोयला खोदने के उपकरणों की मांग घट गई है।

इन्जीनियरी उद्योग में अस्थाई सस्ती आ जाने के कारण और रेलवे तथा इस एकक के उत्पादों के अन्य मुख्य उपभोक्ताओं की मांग कम हो जाने के कारण नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०, कलकत्ता को अपना उत्पादन लाइसेन्स प्राप्त क्षमता से कम करना पड़ा था।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, बंगलौर और इसके अन्य एककों को स्वयं अपनी मशीनों के उत्पादन में 30 प्रतिशत तक कटौती करनी पड़ी जिसका कारण मांग में कमी हो जाना और इस बात का ध्यान रखना था कि स्टाक इकट्ठा न होने पाये।

तुंगभद्रा प्रोडक्टस् लि०, बेलारी भी जो पहले आंध्र प्रदेश तथा मैसूर राज्यों का संयुक्त उपक्रम था, धन तथा स्थान की कमी होने के कारण लाइसेन्स प्राप्त क्षमता तक उत्पादन नहीं कर सका अपने अधिकार में लेने के पश्चात् इस एकक को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जा रही है।

सहायक उद्योगों सम्बन्धी उप समिति

1988. श्री दामानी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहायक उद्योगों सम्बन्धी उपसमिति ने अब तक किये गये कार्य के बारे में अपना प्रथम प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : माननीय सदस्य का अभिप्राय शायद मध्य प्रदेश की सहायक उद्योग उप-समिति से है। उप-समिति ने पहली दो बैठकों के दौरान किए गए कार्य के सम्बन्ध में अपना प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। जो कार्य किया गया है उसका व्यौरा इस प्रकार है :

(1) उप-समिति ने प्रस्तावित भारी मोटर गाड़ी परियोजना, जबलपुर के लिए आवश्यक ऐसी चीजों की एक सूची तैयार करली है जो सहायक कारखानों द्वारा बनवाई जा सकती हैं;

(2) उप-समिति ने गन कैरिज फैक्ट्री, जबलपुर द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की एक सूची और उनके यहां दर्ज छोटे कारखानों की एक सूची तैयार की है;

(3) उप-समिति ने सहायक कारखानों के विकास के सम्बन्ध में हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि०, भोपाल और हिन्दुस्तान इस्पात संयंत्र भिलाई द्वारा की गई प्रगति के बारे में जांच कर ली है;

(4) उप-समिति ने बताया है कि मध्य प्रदेश उद्योग निगम या मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा चलाये जाने वाले सरकारी उपक्रमों के लिए सहायक कारखानों की

कोई गुंजाइश नहीं है किन्तु मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड, जबलपुर आदि जैसे संगठनों की आवश्यकताएं सहायक कारखानों से पूरी कराने की सम्भावनाओं का पता लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है;

(5) उप-समिति ने ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार की है जो नेपा मिल्स, नेपा नगर बाहर से खरीद रहा है।

Construction of Station Near Shaktinagar Delhi

1989. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have received any representation to provide a railway station near Shakti Nagar, Delhi; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) The proposal was examined but could not be accepted for want of adequate justification.

इंटैग्रल कोच फैक्टरी

1990. श्री नायनार :
श्री उमानाथ :
श्री प० गोपालम :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंट्रेग्रल कोच फैक्टरी, पैराम्बूर ने सवारी डिब्बों के फर्श के लिये एक नये किस्म के पदार्थ पर, जो कि दोषपूर्ण पाया गया, कुछ व्यय किया था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितना व्यय हुआ; और

(ग) क्या इस पर विदेशी मुद्रा भी खर्च हुई है और यदि हां, तो कितनी?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सवारी डिब्बा कारखाने को बिजली गाड़ी के जिस उपनगरीय स्टाक का आर्डर मिला था, उसके फर्श में इस कारखाने ने आयात सामग्री अर्थात् कार्क और फैरोबेस्टास, जिसका पहले इस्तेमाल किया जाता था, के स्थान पर एक नयी देशी सामग्री का इस्तेमाल किया। वास्तविक प्रयोग की स्थिति में, अपने मूल रूप में, यह सामग्री पूर्ण रूप से संतोषप्रद सिद्ध नहीं हुई।

(ख) 1.67 लाख रुपये।

(ग) जी नहीं। वास्तव में आयात सामग्री का स्थान ले सकने वाली देशी सामग्री के विकास के उद्देश्य से ही इस सामग्री का इस्तेमाल किया गया।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के कार्मिक संघों के नेता

1991. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के कुछ कर्मचारियों को जो कार्मिक संघ के नेता थे तथा जिन्हें वर्ष 1964 में नौकरी से निकाल दिया गया था, इस बीच पुनः नौकरी पर रख लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) कम्पनी के स्थायी आदेशों के अनुसार कुछ कर्मचारी, जिन्हें जेल भेजा गया था अथवा जो गायब हो गये थे, कर्मचारी नहीं रहे थे। एक विशेष मामले के रूप में कम्पनी के प्रबन्धक ने सामान्य छानबीन करने के पश्चात् उन भूतपूर्व कर्मचारियों को पुनः रखने के लिये सहमत हो गये, जो प्रबन्धकों से लिखित रूप में क्षमा मांगें अथवा खेद प्रकट करें और अच्छे व्यवहार का आश्वासन दें। ऐसे भूतपूर्व कर्मचारियों को उन विभागों में रखा जा रहा है जिनमें रिक्त स्थान उपलब्ध हैं।

मैंगनीज के संभरण के लिये जापान के साथ करार

1992. श्री मधु लिमये :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज के संभरण के लिये भारत के खनिज तथा धातु व्यापार निगम और जापान की फ्यूजी आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बीच हाल ही में एक व्यापार करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस करार के अंतर्गत कुल कितनी मात्रा में मैंगनीज का आयात किया जायेगा और कितने मूल्य का ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख): जी, हां। खनिज तथा धातु व्यापार निगम के एक प्रतिनिधि मण्डल ने, जो मार्च/अप्रैल, 1967 में जापान गया था, जापान के स्टील मिल्स के साथ 2.45 लाख में, टन लौहयुक्त मैंगनीज अयस्क की बिक्री के लिये एक करार किया जिसका मूल्य लगभग 10 लाख पौंड था।

यूरिया और लेको का उत्पादन

1993. श्री कृष्णमूर्ति : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नेवेली उद्योग समूह में लिग्नाइट की कमी होने के कारण "यूरिया" तथा "लेको" के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) नेवेली औद्योगिक समूह में "यूरिया" तथा "लेको" के उत्पादन में गिरावट, पूरा तरह या मुख्य रूप से, भूरे कोयले की कमी के कारण नहीं हुई है।

उर्वरक प्लांट में मार्च 1966 में कार्य शुरू हुआ। वाल्वों द्वारा चूना, मोटरों में स्फुरण, धातुओं का संक्षारण जैसी आरम्भिक कठिनाईयां हुईं जिन के परिणाम स्वरूप नाजुक पुर्जे जल्दी घिस गये। इन कठिनाइयों का यूरिया के उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ा है। इन आरम्भिक कठिनाईयों पर काबू पाने के लिये निगम प्रदायकों और विशेषज्ञों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये हुये है। घिसे हुए पुर्जों के स्थान पर काम आने वाले आवश्यक अतिरिक्त पुर्जों के लिये निगम ने आर्डर कर दिया है।

जहां तक "लेको" का सम्बन्ध है यह एक नया घरेलू ईन्धन है और इसके उत्पादन को मंडी की मांग तक सीमित रखा गया है। यही मुख्य रूप से उत्पादन में कमी का कारण है। इस ईन्धन को बाजार में अच्छा स्थान दिलवाने के उद्देश्य से निगम ने जोरदार विक्रय-वर्धक कार्यक्रम हाथ में ले लिये हैं।

Industrial Estates in Orissa

1994. **Shri Onkar Singh :**
Shri Hukam Chnnd Kachwai :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 336 on the 31st March, 1967 and state -

(a) whether Government have received any information regarding the setting up of industrial estates in Orissa during 1967-68;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether it is proposed to set up such industrial estates in other States also during the Fourth Five Year Plan ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) Five new Industrial Estates are proposed to be set up by the Government of Orissa during 1967-68 at Cuttack, Rurkela, Sunabeda, Talcher and Paradeep and an expenditure of Rs. 4.16 lakhs is proposed to be incurred during 1967-68.

(c) Yes, Sir.

(d) It is proposed to set up industrial estates/industrial areas in other states also during the Fourth Five Year Plan, but the details thereof have not yet been finalised.

बिजली से चलने वाले हलों का निर्माण

1995. **श्री प्र० के० देव :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री डी० एन० देब :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जापानी किस्म के बिजली से चलने वाले हल बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) इस कारखाने में कब तक उत्पादन आरम्भ हो सकेगा ; और

(ग) इस कारखाने में बिजली से चलने वाले हलों के निर्माण पर कितनी लागत आयगी और इस कारखाने में ऐसे कितने हल बनाये जा सकेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) शक्ति चालित हलों का निर्माण करने के लिये पहले से ही चार फर्मों को लाइसेंस दिये जा चुके हैं। जिनकी कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता 25,000 प्रति वर्ष है। शक्ति चालित 10,000 प्रति वर्ष हलों का निर्माण करने के लिए एक और पार्टी को आशय पत्र दे दिया गया है। 27,000 प्रति वर्ष की कुल क्षमता के लिए दो अन्य योजनाओं को सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दे दी गई है। इन सभी योजनाओं में जापानी फर्मों से सहयोग करने का विचार है।

(ख) लाइसेंस प्राप्त एककों में से एक एकक में पहले से ही उत्पादन हो रहा है। शेष तीन एककों में से एक एकक में इस वर्ष के अंत तक तथा शेष दो में अगले वर्ष के मध्य तक उत्पादन होने लाने की संभावना है। इस समय यह बता सकना कठिन है कि सिद्धान्त रूप में स्वीकृत अन्य तीन योजनाओं में कब तक उत्पादन होने लगेगा।

(ग) इस समय देश में निर्मित शक्ति संचालित हलों का विक्रम मूल्य (संलग्न सामान बिना) 4,200 रु० है। जिन एककों में अभी उत्पादन शुरू होना है उनमें बनाये जाने वाले शक्ति चालित हलों का विक्रय मूल्क इस समय बता सकना संभव नहीं है।

Retrenchment of I.O.Ws.

1996. Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that I.O.Ws on the Western Railway who have been working for the last four or five years are to be retrenched;

(b) whether it is also a fact that these technicians have passed three years' Diploma Course in Civil Engineering and they were recruited by the Railway Service Commission;

(c) whether it is also a fact that for some posts lying vacant in the Northern Railway, outsiders are to be recruited ignoring these technicians;

(d) whether some I.O.Ws. have been promoted and some have retired in the various zones; and

(e) if so, the steps taken to absorb these technicians in other zones?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) All these I.O.Ws are not Diploma Holders. There is no direct recruitment of I.O.Ws through Railway Service commission.

(c) No.

(d) Yes, on some Railways.

(e) In view of reply to part (a) being in the negative, the question of absorption does not arise.

दिल्ली में हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन रांची का गैस्ट हाउस

1997. श्री प्र० कु० घोष : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कार्पोशन लिमिटेड, रांची का दिल्ली में एक गैस्ट हाउस है ;

(ख) यदि हां, तो कार्पोरेशन ने 1966-67 में इस गैस्ट हाउस की देख-रेख पर कुल कितनी धनराशि व्यय की तथा इस गैस्ट हाउस से कितनी आय हुई ; और

(ग) वर्ष में गैस्ट हाउस में प्रतिदिन ठहरने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या कितनी है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनी का नयी दिल्ली में अपना कोई गैस्ट हाउस नहीं है। कम्पनी के सम्पर्क कार्यालय के भवन का एक भाग उसके उन अधिकारियों व प्रशिक्षणार्थियों के निवास व भोजन की व्यवस्था करने के लिए उपयोग में लाया जाता है जो सरकारी काम पर दिल्ली बुलाये जाते है। माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन लि०, दुर्गापुर इन सुविधाओं एवं व्यय में हिस्सा बंटाता है और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रम तथा राज्य सरकारें उन सुविधाओं का लाभ उठाती हैं।

(ख) उपर्युक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने में वर्ष 1666-67 में 24,279 रु० खर्च हुआ। इस वर्ष 2,421 रुपये की आय हुई।

(ग) इसमें प्रतिदिन ठहरने वाले व्यक्तियों की ओसन संख्या तीन थी।

रांची स्थित भारी इंजीनियरी निगम के कर्मचारी

1998. श्री प्र० कु० घोष : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इंजीनियरी निगम, राँची के कितने कर्मचारियों ने इस निगम के निर्णयों से क्षुब्ध होने के कारण निगम के विरुद्ध मुकदमें दायर किये हैं :

(ख) कितने मामलों में न्यायालय की उपपत्तियां इस निगम के विपक्ष में थी तथा कितनी पक्ष में थीं : और

(ग) पिछले तीन वर्षो में इस निगम ने इस मुकदमों पर कितना कुल खर्च किया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 68।

(ख) एक मामले में श्रम न्यायालय का निर्णय कम्पनी के विरुद्ध था और उच्च न्यायालय में उसकी अपील विचाराधीन है। ग्यारह मामलों में जांच के परिणाम कम्पनी के पक्ष में हैं।

(ग) 1,100 रुपये।

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची में कर्मचारियों के वेतन-क्रम

1999. **श्री क० कु० घोष : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची में कर्मचारियों के लिये कितने वेतन-क्रम हैं ; और

(ख) उसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 73

(ख) एक विवरण साथ में नत्थी है । [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 592/67]

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची में गंदे नाले के पानी से खाद तथा पानी अलग करने वाला संयंत्र

2000. **श्री प्र० कु० घोष :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, रांची ने गन्दे नाले के पानी से खाद तथा पानी अलग करने वाला संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने पर कुल कितना धन खर्च होगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : कम्पनी की एक योजना मल निकासी की है जिसमें औद्योगिक बेकार माल भी शामिल है । इस योजना का अनुमानित व्यय 216 लाख रुपये है और इसे क्रमबद्ध रूप से लागू किया जाना है ।

Accident on Gorakhpur-Allahabad Section

2001. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand kachwai :

Will the Miniser of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two goods trains collided at the Mau Junction on the Gorakhpur-Allahabad Section as reported in the Hindustan dated the 6th December, 1966;

(b) it so, the causes of the accident;

(c) the loss of life and property as a ressult thereof; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The accident occurred on 4-12-1966.

(b) The accident was caused due to reception of a train on the occupied line.

(c) In this accident, 2 railway employees, a driver and a fireman who were off duty and taking rest in the crew van, were killed. The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 3.500/-,

(d) Suitable disciplinary action against the staff held responsible is in progress.

रेलवे संचालन कार्यों के खर्च में कमी

2002. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

श्री जे० एच० पटेल :

श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे संचालन कार्यों में खर्च में कमी करने के लिये रेलवे मंत्रालय द्वारा अपनाए गए तरीकों का भारतीय रेलों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों ने विरोध किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के बड़े अधिकारियों के विरुद्ध सरकारी धन के अपव्यय के बारे में गम्भीर आरोप लगाए गये हैं ; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इन विरोधों के कारण खर्च में कमी करने के सभी उपायों को त्याग दिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलों में विभिन्न स्तरों पर प्रशासन को गतिशील बनाने और प्रशासन-व्यय में किफायत बरतने के उद्देश्य से विभिन्न पदों के कार्यभार और उनके औचित्य की समीक्षा की गयी है । इस सम्बन्ध में अधिकारियों की कुछ संस्थाओं से कुछ अभ्यावेदन मिले है ।

(ख) और (ग) जी नहीं ।

सूती कपड़ा उद्योग द्वारा निर्यात

2003. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के सूती कपड़ा उद्योग ने गत पांच वर्षों में निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की थी ;

(ख) उस उद्योग ने गत पांच वर्षों में (एक) रूई (दो) अन्य कच्चा माल (तीन) फालतू पुर्जे तथा बदल पुर्जे और (चार) पूंजीगत सामान के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की थी ; और

(ग) इस उद्योग के लिये गत पांच वर्षों में किन-किन देशों से सामान आयात किया गया था तथा प्रत्येक देश से कितने-कितने मूल्य का सामान आयात किया गया था ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 593/67]

दिल्ली और फिरोजपुर के बीच रेलगाड़ी

2004. श्री स्वैल : श्री किकर सिंह :
डा० कर्णीसिंह : श्री बैरो :
श्रीमती निर्लेप कौर : श्री कोलाई बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई रेलवे लाइनें बिछाने की कसौटी क्या है ;

(ख) क्या दिल्ली-फिरोजपुर लाइन पर यात्रियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण दिल्ली और फिरोजपुर के बीच अधिक रेलगाड़ियां चलाई जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) देश के विभिन्न मार्गों में नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के प्रश्न पर भारी औद्योगिक परियोजनाओं, परीक्षित खनिज और प्राकृतिक साधनों के दोहन और उपयोग, बन्दरगाह सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार जहां कि भारी मात्रा में यातायात होता है, सामरिक महत्व और रेलवे की अपनी परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर योजना में निर्धारित आर्थिक सीमा के अन्तर्गत गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

(ख) और (ग) मार्ग में पड़ने वाले खण्डों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता तथा दिल्ली स्टेशन पर टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण दिल्ली-फिरोजपुर खण्ड पर परिचालन की दृष्टि से अतिरिक्त गाड़ियां चलाना व्यावहारिक नहीं है। जब और जैसे ही अतिरिक्त क्षमता और टर्मिनल सुविधाएं, जिनके विकास के लिए कामों की योजना बनाली गयी है, उपलब्ध हो जायेगी इस मार्ग पर अतिरिक्त गाड़ी चलाने के प्रश्न पर यथावत विचार किया जायेगा।

नारियल-जटा बोर्ड का अनुसंधान उप-केन्द्र

2005. श्री दत्तात्रेय कुन्ते : श्री स० चं० सामन्त :
श्री ह० प० चटर्जी : श्री यशपाल सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) केरल में स्थित मुख्य अनुसंधान केन्द्र से कितनी बार विशेषज्ञ पश्चिम बंगाल में उलूबेरिया में स्थित नारियल जटा बोर्ड के उप-केन्द्र में गये तथा उन्होंने तकनीकी मार्ग दर्शन किया;

(ख) क्या इस समय उप-केन्द्र के लिए कोई स्थानीय समिति काम कर रही है ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में उप-केन्द्र ने क्या मुख्य कार्य किया ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेशसिंह) : (क) नारियल-जटा बोर्ड की केन्द्रीय नारियल-जटा अनुसंधान संस्था के निदेशक गत वर्ष एक बार उस केन्द्र पर गये।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस अनुसंधान केन्द्र में उस स्थान पर उपलब्ध नारियल-जटा से कड़े रेशे तथा गद्दों में काम आने वाले रेशे निकालने के विषय में अध्ययन किया गया। पैर से चलने वाली कताई मशीन पर नारियल-जटा के धागे की कताई का प्रशिक्षण भी स्थानीय व्यक्तियों को दिया गया था।

लघु उद्योगों द्वारा तैयार किये गये माल का मानकीकरण

2006. डा० कर्णीसिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बड़े कारखानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले लघु उद्योगों के उत्पादों का मानकीकरण करने की कोई योजना है जिससे इन कारखानों को अच्छी किस्म के उत्पादों की सप्लाई की जा सके; और

(ख) यदि हां तो उसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : सूचना संलग्न विवरण में दे दी गई है। **(पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 594/67)**

हांगकांग में एम्पोरियम

2007. डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निर्मित वस्तुओं के प्रदर्शन के लिये हांगकांग में जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश-द्वार के एम्पोरियम खोलने का कोई प्रभाव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब खोला जायेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : जी, नहीं। परन्तु भारतीय हस्त शिल्प तथा हाथकरघा निर्यात निगम लि०, विदेशों में कुछ नमूना केन्द्र/प्रदर्शन कक्ष खोलने का विचार कर रहा हैं। हांगकांग उन में एक है।

कपड़े का दाम

2008. श्री अटलबिहारी वाजपेयी :
श्री ना. स्व. शर्मा :
श्री शारदा नन्द :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री गोपाल साबू :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल में कपड़े पर कंट्रोल वाली किस्मों के कपड़े के मूल्यों में 5 प्रतिशत वृद्धि करने के लिये सहमत हो गई है और यदि हां, तो क्या वृद्धि से मूल्यों में और वृद्धि हुई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार कंट्रोल के कपड़े पर उत्पादन-शुल्क कम करने का है जिससे उपभोक्ता पर भार कम हो जाये ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) कच्चे माल की लागत में तथा सांविधिक मजदूरी के स्तरों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, कपड़े की नियन्त्रित किस्मों (जैसे धोती; साड़ी, कमीजों का कपड़ा, लट्ठा और ड्रिल) के मिल से बाहर निकलते समय के मूल्यों पर, जो अक्टूबर 1966 से चल रहे थे, $4\frac{1}{2}$% की वृद्धि की 15 अप्रैल, 1967 से अनुमति दी गई है। कपड़े की नियन्त्रित किस्मों की लागत का मूल्य स्तर पर अत्यन्त सीमित प्रभाव पड़ेगा।

(ख) मोटे तथा मध्यम वर्ग के कपड़े की सभी नियंत्रित किस्मों के और स्तर पर (जिन्हें अधिकांश उपभोक्ता पसंद करते हैं) जो मूल उत्पादन शुल्क लिया जाता था उसे 1 अक्तूबर, 1966 से समाप्त कर दिया गया है। अन्य कोई प्रस्ताव नहीं है।

सीमेंट का उत्पादन

2009. श्री रा. कृ. बिड़ला : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना का 2 करोड़ 50 लाख टन सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने का है;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सीमेंट उत्पादकों के पास पर्याप्त धन नहीं है, क्या सरकार का विचार देश की वित्तीय संस्थाओं को यह कहने का है कि वे सीमेंट उत्पादकों को उदार शर्तों पर ऋण दे ताकि विस्तार तथा नये कारखानों की स्थापना तेजी से हो सके; और

(ग) यदि हां, तो वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल कितनी राशि का ऋण दिये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में सीमेंट की क्षमता तथा उत्पादन के अस्थायी लक्ष्य क्रमशः 230 लाख मी० टन तथा 210 लाख मी० टन है। इस उद्योग की वर्तमान क्षमता 128 लाख मी० टन है। अनिर्णीत योजनाओं के आधार पर जिनमें पहले से ही निर्माण हो रहा है, 1969 तक बढ़कर क्षमता 192 लाख मी० टन तक पहुंच जाने की आशा है। शेष कमी को निम्न प्रकार पूरा किया जायगा :—

(1) सीमेंट के वर्तमान निर्माताओं द्वारा जिनको उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन स्वरूप 1 जनवरी, 1966 से मूल्य में वृद्धि की अनुमति दी गई है।

(2) सरकारी क्षेत्र द्वारा यदि उसको साधन उपलब्ध कराये जाये।

(ख) वित्त व्यवस्था करने वाली संस्थाओं द्वारा सहायता देने के लिये सीमेंट उद्योग से प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों जैसा व्यवहार किया जा रहा है।

(ग) वित्त व्यवस्था करने वाली संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले ऋण की कुल राशि उपलब्ध साधनों तथा उन संस्थाओं की प्रत्येक वर्ष की आय व्यय सम्बन्धी स्थिति पर निर्भर करेगा।

Purchase of Jute from Bihar

2010. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government propose to assign the work relating to the purchase from Bihar to the State Trading Corporation; and

(b) if so, when this work is going to be started ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b) There is no proposal at present for Government to purchase Jute in Bihar or elsewhere. Government will authorise purchases if and when Jute prices tend to decline below the minimum support levels. The agencies which will be assigned this task will be deeided shortly.

रूरकेला इस्पात कारखाने में घाटा

2012. श्री काशीनाथ पांडे :
श्री न० प्र० यादव :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाना भारी घाटे में चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो घाटे को समाप्त करने तथा इसे लाभप्रद कारखाना बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : मूल्य ह्रास तथा सरकारी ऋणों पर ब्याज की व्यवस्था कर लेने के पश्चात् राउरकेला इस्पात कारखाने को 1964-65 में 35·02 मिलियन रुपये और 1965-66 में 50-36 मिलियन रुपये का लाभ हुआ है। 1966-67 का हिसाब-किताब अभी तैयार नहीं हुआ है।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में प्रोत्साहन योजना

2013. श्री काशीनाथ पांडे :
श्री न० प्र० यादव :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में कोई प्रोत्साहन योजना लागू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना से वांछनीय उद्देश्य की कहां तक पूर्ति हुई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) यह योजना सर्व प्रथम दिसम्बर 1961 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तीन कारखानों में शुरू की गई थी, जिस समय उत्पादन निर्धारित क्षमता से बहुत कम था ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके। इस योजना से उत्पादन में वृद्धि करने में बहुत सहायता मिली है और इससे उत्पादन के उच्च-स्तर को बनाये रखने में प्रोत्साहन मिल रहा है।

डीजल से चलने वाले रेल-इंजन

2014. श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री बृजभूषण लाल :
श्री शारदानन्द :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री अटलबिहारी वाजपेयी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में डीजल से चलने वाले कितने रेल इंजन तैयार किये गये और उनके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) इन रेल-इंजनों का निर्यात् किन-किन देशों को किया जा रहा है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) पिछले दो वर्षों (1965-66 और 1966-67) में 94 डीजल रेल-इंजन तैयार किये गये और इन सब का इस्तैमाल देश के अन्दर ही किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कठारा में कोयला धोने का कारखाना

2015. श्री रा० बरुआ : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कठारा में कोयला धोने का काम निर्धारित कार्य-क्रम के अनुसार पूरा हो जायेगा;

(ख) क्या कठारा के इस कारखाने में धोये गये कोयले का प्रयोग लाभप्रद रूप से किया जायेगा; और यदि हां, तो किस प्रकार;

(ग) क्या इस कारखाने की कुल लागत मूल प्राक्कलन के अन्दर-अन्दर ही रखी जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो इसमें वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) कठारा का कोयला धोने का कारखाना सन् 1966 की पहली तिमाही में पूर्व हो जाना अपेक्षित

था, परन्तु अब आशा की जाती है कि यह कार्य सन् 1968 की पहली तिमाही में पूरा होगा।

(ख) कठारा के कोयला धोने के कारखाने का धुला हुआ कोयला भिलाई और राउरकेला के इस्पात कारखानों को दिया जाना प्रस्तावित है।

(ग) नहीं, महोदय।

(घ) लागत में वृद्धि के कारण निम्न लिखित हैं :—

1 मैगनेटाईट तैयार करने वाले अनुभाग का अतिरिक्त मद के रूप में सम्मेलन;

2 सिविल कार्य की मात्रा में वृद्धि;

3 परियोजना रिपोर्ट में दी गई आयात ड्यूटी में बड़ी वृद्धि; और

4 अवमूल्यन का प्रभाव।

खेत्री तांबा परियोजना

2016. श्री वेणीशंकर शर्मा **श्री शारदा नन्द :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री म० सुदर्शनम :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेत्री तांबा परियोजना के स्थान पर खोज का कार्य कब आरम्भ हुआ था तथा राष्ट्रीय धातु विकास निगम ने कब यह कार्य अपने हाथ में लिया और अपना कार्य आरम्भ किया ;

(ख) तांबे का पहला ढला निकालने के लिये आरम्भ में निगम ने कौन सी तारीख निर्धारित की थी ;

(ग) यदि आरम्भ में निश्चित की गई तारीख निकल चुकी है और अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है तो उसके क्या कारण है ; और

(घ) निगम को किस नई तारीख से उत्पादन आरम्भ होने की आशा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) खेतरी क्षेत्र में पूर्वेक्षण का कार्य भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था द्वारा सन् 1954 में हाथ में लिया गया। मार्च 1961 में यह परियोजना राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सौंपी गई। निगम ने इस क्षेत्र में कार्य जून 1961 में शुरू किया।

(ख) परियोजना शुरू में सन् 1966 के अन्त तक पूरी होनी प्रस्तावित थी।

(ग) परियोजना के चालू करने में देरी इस कारण हुई कि इस की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विदेशी ऋण उपलब्ध न हुआ। इस देरी का अन्य कारण यह भी था कि परियोजना को क्रियान्वित करने संबंधी निर्णय ले लेने के बाद इस के कार्य क्षेत्र के बारे में पुनः विचार हुआ। वास्तव में परियोजना की अर्थ-व्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से, गौण-उत्पादनों को प्राप्त करने और उपयोग सम्बन्धी विशिष्ट की गई। इस से परियोजना की परिधि में विस्तार हो गया।

तथापि काफी प्रगति की जा चुकी है । इस प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है :–

1 व्यवन और एडिटिंग के द्वारा खोज कार्य पूरे हो चुके हैं और अयस्क संचयों का संस्थापन किया जा चुका है । अयस्क के लक्षणों का पता लगाने के लिये पर्याप्त नमूने ले लिये गये हैं और उनका विश्लेषण किया गया है । अयस्क के व्यवहार तथा तांबा उत्पादन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करने तथा तांबा के लिए प्रायोगिक-सयंत्रपरीक्षण किये गये हैं ।

2 617. 62 लाख रुपये के खर्च पर आधारित एक कार्य-क्रम बनाया गया है जिसके अनुसार खेतरी की खानों का विकास कार्य शुरू हो गया है । कोलिहान खान की मुख्य एडिट पर भी काम शुरू हो चुका है ।

3 खान में आदमियों और उपकरणों को भीतर ले जाने और खान में से अयस्क के दैनिक उत्पादन के निकास के लिये दो कूपक खोदे जा रहे हैं । अभी तक क्रमशः 450 फुट और 230 फुट की गहराई तक उत्पादन और सर्विस कूपक खोदे गये हैं। सर्विस कूपक में 300 मीटर के स्तर पर एक सर्विस स्टेशन खोला गया है जिसका चलाव 101 फुट है । कूपकों की खुदाई के कार्य को तेज करने के विचार से भारी यन्त्रीकृत उपकरण लगाये और चालू किये गये हैं ।

4 फ्रांसीसी कम्पनीओं के समूह के साथ सारे प्लांट के डिजाइन के लिए समझौता हो गया है ।

5 स्फुरण प्रदावण प्रक्रिया में किसी प्रयोग के लिये फिनलेंड की एक कम्पनी मैसर्स ओटो कुम्पु ओइ के साथ भी एक समझौता किया गया है । इस प्रक्रिया के लिए कम्पनी के पास संसार के एकस्व अधिकार हैं ।

6 समझौते की शर्तों के अनुरूप फ्रांसीसी कम्पनीओं के समूह ने प्लांट और गवेषण उपकरण, लपेटने वाले उथकरण आदि विभिन्न प्रकार के उपकरणों तथा संकेन्द्रक आदि के लिये बोली प्रस्तुत की । इन बोलियों तथा उपकरणों सम्बन्धी तकनीकी पक्षों की जांच की गई और फ्रांसीसी कम्पनी समूह के प्रतिनिधिओं के साथ देहली में हुई अनेक बैठकों में इन का विवेचन हुआ । इन विवेचनों के परिणाम-स्वरूप 70 लाख फ्रांसीसी फ्रैंक की लागत के उपकरणों की सप्लाई के लिये फ्रांसीसी कम्पनियों के समूह के साथ ठेकों पर हस्ताक्षर किये गये हैं । बाकी बोलियां विचाराधीन है तथा आवश्यक उपकरणों के आयात के लिये शीघ्र ही आर्डर किया जायेगा । इंजीनियरिंग सेवाओं के ठेके की शर्तों और नियमों पर सहमति हो गई है और ठेके पर हस्ताक्षर हो गये हैं ।

7 देशी उपकरणों की प्राप्ति के लिये भी कारवाई की गई है ।

8 निगम और परामर्शदाताओं के स्टाफ की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 561 रिहायशी इकाइयों को निर्माण किया गया है । 958 अतिरिक्त क्वाटरों के बनाने के लिये भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

9 चौनरा और जोधपुरा से प्रति दिन 90 लाख गैलन पानी सप्लाई करने वाली 269 लाख रुपये की लागत की एक योजना बनाई गई है और कार्य प्रगति पर है।

(घ) अब परियोजना के 1969-70 के अंत तक चालू किये जाने की आशा है।

Sonai Railway Station

2017 Shri Bharat Singh :
Shri Hukam ChandK achwai
Shri Ram Singh Ayarwal:

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that though a waiting hall has been constructed at Sonai station on Mathura-Hathras metre gauge line, there is no arrangement for issue of tickets and for residence of the Booking clerk;

(b) whether it is also a fact that the tickets at this station are issued in the quarters of gangmen where the Booking clerk and gangmen along with their families reside;

(c) whether it is also a fact that a large number of letters were sent to his Ministry by the people in this regard; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha): (a) No.

(b) Tickets are not issued from the residence of booking clerk or gangmen but are issued from booking office housed in a separate unit of a block of gang hut close to the waiting hall.

(c) No.

(d) Does not arise.

Use of Barley for Wine Manufacture

2018. Shri O.P Tyagi : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state:

(a) the quantity of barley being used for the manufacture of wine in India anually; and

(b) whether Government propose to ban the use of barley, which is a nutritive foodgrain, for manufacture of wine in view of the present food-crisis?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed) : (a) and (b) : Wine is not being manufactured from barley in India. However, about 4000 tonnes of barley are being used for the manufacture of beer. There is no proposal to ban the use of barley for such purpose.

रोपड़-नंगल डेम सेक्शन पर यात्रियों के लिये सुविधाएं

2019. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार के साथ करार होने के बावजूद रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे के रोपड़-नंगल डैम सैक्शन पर यात्रियों तथा कर्मचारियों की सुविधाओं सम्बन्धी बुक कार्यों को न करने का निर्णय किया है ;

(ख) इस समय क्या कार्य किया जा रहा है ;

(ग) किन-किन योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है ; और

(घ) इसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) पंजाब सरकार के साथ करार खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण तथा संचालन के सम्बन्ध में है। उसमें यात्रियों अथवा कर्मचारियों की सुविधाएं निर्दिष्ट नहीं है। फिर भी, क्षेत्रीय रेलों को यह हिदायत है कि वह यात्रियों और कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की योजना बनाये।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 595/67]**

(ग) और (घ) विवरण के मद (iv) में उल्लिखित कीरतपुर साहिब के तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय के विस्तार का काम छोड़ दिया गया है क्योंकि तीसरे दर्जे का 600 वर्गफुट क्षेत्र-फल का मौजूदा प्रतीक्षालय वर्तमान यात्री-यातायात के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

दुर्गापुर में केन्द्रीय सरकार का अस्पताल

2020. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन के लिए केन्द्रीय सरकार का कोई अस्पताल है ;

(ख) यदि हां, तो 1 दिसम्बर, 1966 को और 1 अप्रैल, 1967 को उसमें कितने रोगियों के लिए शय्याओं की व्यवस्था थी ;

(ग) क्या सरकार को पिछले छः महीनों में अस्पताल के काम के बारे में कोई शिका-यतें मिली हैं ;

(घ) यदि हां, तो कितनी

(ङ) 1 दिसम्बर, 1966 को वहां कितनी नर्सें और अप्रैल के अन्त में कितनी थीं; और

(च) ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा निर्धारित माल के अनुसार वहां पर वस्तुतः कितनी नर्सों की आवश्यकता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं। डाइनिंग और एलाइड मशीनरी कारपोरेशन का दुर्गापुर में एक अपना अस्पताल है।

(ख) 1 दिसम्बर, 1966 तथा 1 अप्रैल, 1967 को पुरुषों की संख्या क्रमश; 40 और 80 थी।

(ग) जी, नहीं। सरकार को अस्पताल के कार्य संचालन के बारे में कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ङ) 1 दिसम्बर, 1966 तथा 30 अप्रैल, 1967 को नर्सों की संख्या क्रमशः 19 और 18 थी । इस संख्या में एक मैट्रन और एक मिस्टर इंचार्ज शामिल है ।

(च) ट्रेंड नर्सेज़ एसोसिएशन आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित अनुसार आवश्यक नर्सों की संख्या 16 है ।

बनखेड़ी रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे)

2021 श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनखेड़ी (मध्य रेलवे) में स्टेशन की नई इमारत बनाई गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि वहां कोई बरामदा अथवा ऊंचे दर्जे के यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय नहीं है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस स्टेशन पर अप तथा डाउन प्लेटफार्मों पर कोई शौचालय तथा पेशाब घर नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्टेशन पर इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) स्टेशन की इमारत में एक बरामदे की व्यवस्था की गयी है, लेकिन इस स्टेशन पर ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षालय की व्यवस्था नहीं है ।

(ग) जी नहीं । अप प्लेटफार्म पर पुरुषों के लिए शौचालय और पेशाब घर का एक ब्लाक तथा महिलाओं के लिए एक दूसरे ब्लाक की व्यवस्था है । डाउन प्लेटफार्म पर इसकी व्यवस्था नहीं है ।

(घ) इस स्टेशन पर ऊंचे दर्जे का यातायात इतना कम है कि इसके लिए ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षालय का औचित्य नहीं है । जहां तक डाउन प्लेटफार्म पर शौचालय और पेशाब घर का सम्बन्ध है, इस व्यवस्था को भी इस समय आवश्यक नहीं समझा जाता क्योंकि यह प्लेटफार्म अप प्लेटफार्म से एक ऊपरी पैदल पुल द्वारा जुड़ा हुआ है जहां पर्याप्त संख्या में शौचालय और पेशाब घर बनाये गये हैं ।

थामसन प्रेस (इंडिया) लिमिटेड, फरीदाबाद

2023. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद में थामसन प्रेस (इंडिया) लिमिटेड नाम से एक नया उपक्रम स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस उपक्रम के संस्थापक तथा सहयोगकर्ताओं के नाम क्या है और यह किस उद्देश्य के लिए आरम्भ किया गया है और सरकार ने इस उपक्रम को क्या सहायत प्रदान की है ;

(ग) पुस्तकों के प्रकाशन के लिये थामसन प्रेस की आवश्यकता किन कारणों से पड़ी है जब कि सरकार का अपना राष्ट्रीय पुस्तक न्याय है और वह अन्य न्यायों की सहायता भी करता है ; और

(घ) क्या इस उपक्रम का समाचार पत्रों की एक श्रृंखला चालू करने का भी विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, हां।

(ख) अक्टूबर, 1963 में भारत सरकार ने निम्नलिखित शर्तों पर एक प्रिंटिंग संयंत्र की स्थापना के लिए मेसर्स थामसन प्रेस इण्डिया लि०, नई दिल्ली तथा मेसर्स थामसन प्रिंटर्स लि०, लन्दन, ब्रिटेन के बीच सहयोग करार के लिए सहमति दी थी :–

(1) कम्पनी की कुल निर्गम पूंजी 25 लाख रुपये होगी जिसमें से मेसर्स थामसन प्रिंटर्स लि०, लन्दन 49 प्रतिशत देंगे ;

(2) विदेशी विनियोजन का उपयोग एक आधुनिक किस्म के पुस्तक मुद्रण तथा जिल्द साजी संयंत्र की स्थापना करने के लिए आयातित संयंत्र और मशीनें खरीदने के लिए किया जायेगा ;

(3) संयंत्र की स्थापना के लिए अपेक्षित आयातित उपकरणों की शेष राशि की लागत को मेसर्स थामसन प्रिंटर्स लि०, लन्दन द्वारा दिये जाने वाले एक लाख पौंड के ऋण से पूरी की जायेगी जिस पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगेगा और जिसके भुगतान की अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी ;

(4) कम्पनी का व्यापार प्रमुख रूप से वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रमाणित पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण और पुर्नमुद्रण तक ही सीमित रहना चाहिए ;

(5) पूंजी गत उपकरणों और कागज का आयात, यदि किया गया ? तो वह समय-समय पर लागू किये गये आयात नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत ही होगा ;

(6) ऋण की अदायगी विदेशी प्रकाशन गृहों से मुद्रण के आर्डरों के द्वारा निर्यात से होने वाली आय से किया जायेगा ; और

(7) करार की अवधि 10 वर्षों की होगी। करार की इस अवधि में 10 वर्ष से अधिक की वृद्धि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति लेकर ही की जा सकेगी।

(ग) 'नेशनल बुक ट्रस्ट' नामक सोसाइटी की स्थापना करने वाली संस्था के ज्ञापन पत्र के उद्देश्य वाले खंड में यह व्यवस्था है ; (1) सत्याहित्य का निर्माण और उसे प्रोत्साहन देना तथा जनता को उचित मूल्य पर उसे उपलब्ध कराना ; और (2) भारत के उत्कृष्ट साहित्य की पुस्तकों का अंग्रेजी एवम् अन्य भारतीय भाषाओं में से प्रकाशन, भारतीय भाषाओं से लिखी गई भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट रचनाओं तथा एक भाषा से दूसरी भाषा में उनका अनुवाद करवाना ; विदेशी भाषाओं की उल्लेखनीय पुस्तकों के अनुवाद तथा लोकप्रिय बनाने के लिए आधुनिक ज्ञान की प्रसिद्ध पुस्तकों का प्रकाशन करना । इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य लोगों में पुस्तकों के प्रति रुचि पैदा करना है । थामसन प्रेस और नेशनल बुक ट्रस्ट को चलाने में प्रमुख अंतर यह है कि जहां थामसन प्रेस वैज्ञानिक और तकनीकी प्रमाणित पाठ्य पुस्तकों से संबंध

रखता है वहां नेशनल बुक ट्रस्ट स्कूल और कालेज के छात्रों की अपेक्षा सामान्य पाठकों की आवश्यकता पूरी करता है।

(घ) मेसर्स थामसन प्रेस (इण्डिया) लि० के पास से अभी तक ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है।

कनाडा के सहयोग से उद्योगों की स्थापना

2024. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने भारत में उद्योगों की स्थापना के लिये सहयोग देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से उद्योग स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) क्या इस प्रस्ताव के स्वीकार किये जाने की सम्भावना है और यदि हां, तो कब तक ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) भारतवर्ष तथा ब्रिटिश कोलम्बिया के बीच व्यापार तथा संयुक्त औद्योगिक क्षेत्रों में निकट सहयोग के अर्थोपायों का पता लगाने के लिए ब्रिटिश कोलम्बिया (कनाडा) के एक व्यापारिक शिष्टमण्डल ने हाल ही में भारत का दौरा किया और भारत में निम्नलिखित उद्योगों की स्थापना में रुचि दिखाई :

(क) गन्ने की खोई से गत्ते तथा दृढ़ कागज का निर्माण

(ख) वनस्पति या मटर के तेल से मक्खन बनाना

(ग) उर्वरक

(घ) लट्ठे बनाने का उद्योग

(ङ) बिस्कुट बनाना

शिष्टमण्डल के साथ अधिकारियों तथा देश के व्यापारियों से जो बातचीत हुई वह केवल जानकारी प्राप्त करने के बारे में थी और अभी यह देखना है कि क्या इसका कोई ठोस परिणाम निकलेगा।

Scheduled Caste Traffic Trainees

2025. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he is aware that two persons belonging to the Scheduled Castes selected for the post of Traffic Trainees by the Railway Service Commission, Allahabad in 1961 were not actually appointed;

(b) the reasons due to which the percentage kept in view while making the initial selection was done away with while making actual appointments;

(c) whether he is also aware that a non-Scheduled Caste plucked Traffic Trainee has been offered an alternative post in the same pay-scale in the Northern Railway Head-quarters,

(d) the steps being taken by Government to make up such deficiency in the representation of the Scheduled Castes; and

(e) the steps taken against the officers guilty of such discrimination ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Despite application of relaxed standards, those candidates failed to qualify in the final examination, though the maximum number of chances permissible was given to them.

(c) Yes.

(d) Shortfall is carried forward for being made good in the subsequent selections.

(e) Does not arise as in the cases of the candidates referred to in part (a), they failed although given several chances and were found unsuitable for alternative employment whereas in the case of the candidate referred to in part (c), he was found suitable for an alternative appointment although he had failed in the Traffic Apprentices course.

सोफ्ट कोक तथा ईंट जलाने वाले कोयले के उत्पादकों द्वारा धरना

2026. डा० रानेन सेन : श्री केदार पस्वान :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के साफ्ट कोक तथा ईंट जलाने वाले कोयला के उत्पादकों ने हाल ही में पूर्वी रेलवे के महाप्रबन्धक (जनरल मैनेजर) के सामने 'धरना' देने की धमकी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) साफ्ट कोक प्रोड्यूसर्स कोलियरीज़ एसोसिएशन के सदस्य पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलों के मुख्य परिचालन अधीक्षकों से 4.5.67 को मिले और उन्होंने उनसे पश्चिम बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों से विनियंत्रित कोयले के लिए अधिक मालडिब्बों के आबंटन की स्थिति के बारे में बातचीत की।

इन सदस्यों को बताया गया कि मालडिब्बों के आबंटन के प्रयोजन के लिए साफ्ट कोक और ईंट पकाने वाले कोयले को निम्न अग्रता दी गयी है। इसके बावजूद पिछले वर्षों में इन्हीं महीनों की तुलना में इस वर्ष कहीं अधिक मालडिब्बों आबंटित किये गये। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के प्रथम चार महीनों में, पश्चिम बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों से विनि-

यंत्रित कोयले की ढुलाई के लिए 11,586 अधिक मालडिब्बे आवंटित किये गये जिसके लिए सदस्यों ने सन्तोष प्रकट किया।

फिर भी, उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि उन छोटी कोयला खानों को, जो राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विनियंत्रित कोयले की पूरी गाड़ी में ढुलाई की योजना में भाग लेने में असमर्थ होने के कारण नुकसान उठाती हैं, सहायता पहुंचायी जाये, क्योंकि रेलें, उन्हें फुटकर मालडिब्बे सप्लाई करने की स्थिति में नहीं थी। कोयला नियंत्रक और कोयला उद्योग के परामर्श से रेल प्रशासन इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

स्वामीनाथन समिति का प्रतिवेदन

2027. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया
श्री रा० बरुआ :
श्री चं० चु० देसाई :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़ा उद्योग पर से लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने के बारे में स्वामीनाथन समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) सरकार ने इस बीच किन-किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ;

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने सूती कपड़ा उद्योग से आंशिक रूप से लाइसेंस हटाना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है और यह छूट इस हद तक होगी कि निम्नलिखित वस्तुओं के लिये लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रहेगी :–

(1) एक नई सूती कताई मिल की स्थापना के लिये जिसकी क्षमता 25,000 तकुओं से अधिक न हो।

(2) एक सूती मिल का 25,000 तकुओं की क्षमता तक विस्तार करना।

(3) नए सूत परिष्करण एककों अथवा विद्यमान परिष्करण एककों का विस्तार करना।

(4) प्रत्येक सूती कपड़ा मिल को कताई अथवा परिष्करण के लिये देश में उपलब्ध कच्चे माल के प्रयोग की अनुमति होगी।

फिर भी रुई की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सूती कपड़ा प्रउद्योग को लाइसेंस से आंशिक छूट के निर्णय को अभी स्थगित रखा जा रहा है।

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में आटो ट्रक चालक

2028. श्री देवेन सेन :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम केन्द्रीय वेतन आयोग से पहले लिस्टर आटो ट्रक चालकों को कुशल कर्मचारी को श्रेणी में रखा जाता था ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई विरोधपत्र प्राप्त हुआ है कि उनको केन्द्रीय वेतन आयोग ने अर्ध-कुशल कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में उसी श्रेणी के अथवा उसी प्रकार का काम करने वाले कर्मचारियों को कुशल कर्मचारी की श्रेणी में रखा जाता है ;

(ङ) यदि हां, तो पूर्वोत्तर सीमा रेलवे तथा अन्य रेलवे खण्डों में आटो ट्रक चालकों के वेतन-मान में क्या अन्तर है ; और

(च) क्या सरकार का विचार इस समूची स्थिति पर पुनविचार करने का और काम का वैज्ञानिक आधार पर मूल्यांकन करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (च) सूचना मंगायी जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

तपेदिक रोग से आरोग्य हुए व्यक्तियों की रेलवे में नियुक्ति

2029. श्री देवेन सेन :
श्री मधु लिमये :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में इस आशय का नियम अथवा विनियम है कि उन "रोगियों" को, जिनका न्युमोनेक्टोमी के लिये आपरेशन किया जाता है, क्षय रोग के विशेषज्ञों द्वारा काम करने योग्य घोषित कर दिये जाने के बावजूद भी हल्के काम वाले पदों, जैसे ट्रेसर के पद पर भी नियुक्त नहीं किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो यह नियम कब बनाया गया था तथा कब लागू किया गया था ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं में हो, तो क्या ऐसे "रोगियों" के आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे या उन आवेदनकर्ताओं को जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है, जब उपयुक्त पद खाली हों, नियुक्त किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जी हां, ऐसा रेल चिकित्सा प्राधिकारियों के विवेक पर किया जायेगा ।

उम्मीदवारों या कर्मचारियों की स्वास्थ्य परीक्षा यह देखने के लिए की जाती है कि किसी पद विशेष के लिए, उसकी ड्यूटी और जिम्मेदारियों को देखते हुए, वे उपयुक्त है या नहीं । तदनुसार, जिस रोगी का न्यूमोनेक्टोमी का आपरेशन हुआ हो उसे किसी ऐसे पद पर

लगाने के बारे में ही विचार किया जायेगा जिसमें बैठे-बैठे काम किया जा सके और कर्मचारी को कठिन शारीरिक श्रम न करना पड़े।

रेलवे कर्मचारियों के विकलांग बच्चे

2030. श्री देवेन सेन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों के विकलांग बच्चों को यह आश्वासन दिया गया था कि रोजगार के लिये उनके आवेदन पत्रों पर रेलवे अधिकारी बहुत सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो स्वतंत्रता के बाद रोजगार के लिये कितने विकलांग बच्चों ने आवेदन पत्र दिये थे ;

(ग) उनमें से कितने बच्चों को रोजगार दिया गया था ; और

(घ) रेलवे कर्मचारियों के विकलांग बच्चों के लिये, विशेषत : पूर्व रेलवे में रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) में दिये गये उत्तर के फलस्वरूप कोई आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) श्रम और नियोजना मंत्रालय द्वारा शुरू की गयी योजना के अन्तर्गत नियोजन कार्यालयों द्वारा प्रायोजित विकलांग व्यक्तियों को रेलों पर उपयुक्त काम दिलाने के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है। लेकिन रेल कर्मचारियों के विकलांग बच्चों में कोई भेद-भाव नहीं बरता जाता।

पटसन की किस्म का वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण

2031. श्री प. गो. सेन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन और मेस्टा रेशों की किस्मों का वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण करने के लिये गठित विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति के समाप्त होने के साथ साथ विशेषज्ञ समिति को भी भंग कर दिया गया तथा उसके कार्य को भारतीय मानक संस्था ने संभाल लिया। वर्गीकृत मानक तैयार करने के लिये बनाये गये तदर्थ कार्यकारी दल का प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भिलाई में अधिक उत्पादन

2032. श्री निहाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई तथा अन्य इस्पात कारखानों के रेलें बनाने के विभागों में अधिक क्षमता/अधिक उत्पादन हुआ है ;

(ख) क्या उन्होंने इस्पात कारखानों में इस्पात के सामान के ढेरों को कम करने के लिये नई रेलवे लाइनें बिछाने का सुझाव दिया है ;

(ग) क्या मंत्रालय ने कोयला खानों के मुहानों पर जमा पड़े कोयले को निकालने के उद्देश्य से यह सुझाव भी दिया है कि डीजल से रेल गाड़ियां चलाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस सुझाव के बारे में रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) : जी, हां। रेल की पटरी बनाने की कुल क्षमता 7,50,000 टन प्रति वर्ष की है जबकि 1966-67 में रेलवे ने कुल 2, 33,000 टन के लगभग रेल की पटरी के आर्डर दिये थे। इस वित्त-वर्ष में भी जबतक रेलवे को अतिरिक्त निर्माण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए साधन नहीं मिल जाते स्थिति में सुधार होने की कोई आशा नहीं है रेल की पटरी का निर्यात करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) : जी हां, परन्तु रेलवे के विचार में ऐसे सैक्शनों पर जहां यातायात बहुत अधिक है और कोयला इंजनों से काम नहीं चल सकता वहां डीजल से गाड़ियां चलानी जरूरी है।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के इस्पात कारखानों में उत्पादन

2033 **श्री निहाल सिंह :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के इस्पात कारखानों ने उत्पादकता बढ़ाने तथा लागत कम करने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या लागत कम करने तथा उत्पादकता को बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के इस्पात कारखानों के बीच कोई विचार-विमर्श हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस विचार-विमर्श के फलस्वरूप क्या सुधार हुआ है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग) : निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के इस्पात कारखाने उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी करने संबंधी कई उपायों का प्रयोग कर रहे हैं अथवा करने की सोच रहे हैं। ये उपाय है :—ब्लास्ट फर्नेस वर्डन तैयार करना, आक्सीजन का इन्जेक्शन देना, धमन भट्टियों में फ्युएल आयल और। अथवा ह्य‌ुमिनडिटी को लगातार पहुँचाना, आक्सीजन का इन्जेक्शन और आक्सीजन लैंसिंग तथा खुले मुंह की भट्टियों की छतों को एसिड के बजाय बेसिक में बदलना आदि। इस प्रकार के तकनीकी सुधारों को प्रयुक्त करने के बारे में दोनों क्षेत्रों के कारखानों में विभिन्न स्तरों पर औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से विचार विनिमय चलते रहते हैं। विभिन्न बेलन मिलों में लाभदायक बेलन के लिए, बेलन कार्यक्रम का समन्वय करने, कर्मचारियों के लिए एक जैसा वेतन क्रम और सेवा-नियम बनाने जैसे प्रश्नों पर भी विचार विनिमय होते हैं। कुछ तकनीकी सुधार जैसे सिन्टरिंग को कुछ इस्पात कारखानों में लागू कर दिया गया है और दूसरों में इस पर विभिन्न स्तरों पर विचार चल रहा है।

गार्डस प्रमाणपत्र सुविधा

2034. श्री निहाल सिंह :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुसाफिर तथा रेलवे कर्मचारी गार्डस प्रमाणपत्र सुविधा का अनुचित लाभ उठा रहे हैं ;

(ख) क्या ऐसा करने का विचार है कि बिना टिकट यात्रा करने वाले मुसाफिरों से, जो गार्ड को सूचित कर देते हैं, नियमित टिकट पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों के मुकाबले कुछ प्रतिशत अधिक भाड़ा लिया जायेगा ; और

(च) यदि हां, तो कितना ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस आशय की कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जमालपुर रेलवे वर्कशाप में रोजगार

2035. श्री केदार पस्वान :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 अगस्त, 1947 के बाद से जमालपुर वर्कशाप में रोजगार कम होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले 20 वर्षों में कितना अन्तर आया है ; और

(ग) रोजगार का स्तर बनाये रखने तथा बढ़ाने के उददेश्य से इस वर्कशाप में नये कार्य आरम्भ करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जमालपुर कारखाने में डीज़ल और भाप क्रेन, हाइड्रालिक जेक, एलेक्ट्रो मेकैनिकल लिफि्टंग हायस्ट, पेट्रोल टंकी माल डिब्बे, बी० ओ० एक्स० मालडिब्बों के पुर्जे आदि जैसे नये सामान का निर्माण पहले से किया जा रहा है।

बरियारपुर पर रेल के साथ साथ पैदल चलने का रास्ता

2036. श्री केदार पस्वान :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बरियारपुर लूप लाइन (पूर्वी रेलवे) पर रेल के पुल के साथ एक पैदल चलने के रास्ते की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे प्राधिकारी वहां के लोगों की सुविधा के लिए पुल के साथ एक पैदल चलने का रास्ता बनाने का विचार कर रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : सम्भवतः माननीय सदस्यों का आशय बरियारपुर स्टेशन के समीप किलोमीटर 348/1 पर बने रेलवे पुल नं० 165 से है। यदि ऐसा है तो स्थिति इस प्रकार है :–

(क) जी हां। श्री जे० पी० यादव ने पूर्व रेल प्रशासन द्वारा 11.3.67 को बुलायी गयी क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद की बैठक में इस प्रश्न को उठाया था। उन्हें सूचित किया गया था कि इससे पहले कि रेलें इस काम को शुरू करें, यह जरूरी है कि यह योजना राज्य सरकार/सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रायोजित की जाये और वह इसकी लागत देने के लिए सहमत हो।

(ख) वर्तमान नियमों के अनुसार रेलें किसी रेलवे पुल पर जनता के इस्तेमाल के लिए पैदल पथ की तभी व्यवस्था करती हैं, जब राज्य सरकार या सम्बन्धित प्राधिकारी उसका खर्च देने को तैयार हो और बशर्ते कि नये पैदल पथ परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक हो।

अभी तक राज्य सरकार या सम्बन्धित प्राधिकारी से बरियारपुर के रेलवे पुल पर पैदल पथ की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Railway Line Between Hindumalkote and Sri Ganga Nagar :

2037. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the date by which the work on the proposed scheme regarding the laying down of a railway line between Hindumalkote and Sri Ganga Nagar would be completed;

(b) the total expenditure to be incurred on this scheme;

(c) whether Government of Rajasthan have assured help in the form of labour or money ; and

(d) if so, the amount offered by them ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (d) : A Statement on the construction of Hindumalkot-Sri Ganganagar Rail Line is attached. **[Placed in Library, see No. LT-596/67]**

Closure of Level Crossing near Asirgarh Station

2038. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that vechicular traffic on the main road is obstructed on account of frequent closure of level crossing situated in the west of Asirgarh Road Railway Station on the Bombay-Delhi line of the Central Railway ; and

(b) if so, whether Government propose to construct an overbridge on this level crossing with a view to remove inconvenience to the people ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No serious detentions to road traffic have been reported at the level crossing referred to.

(b) Does not arise, nor has the State Government who should sponsor such proposals according to the rules, done this so far.

Railway line between Khandwa and Dohad Stations

2039. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the survey for the construction of a Railway line between Khandwa and Dohad Stations has been completed ; and

(b) if so, the progress made in the said construction work ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) : No survey for a new direct rail line between Dohad and Khandwa has been carried out. These two places are already connected by rail.

(b) Does not arise.

बीकानेर-जयपुर सेक्शन पर शयन डिब्बे

2040. डा० कर्णी सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर और जयपुर के बीच तथा इनके बीच के स्टेशनों, अर्थात नोखा और नागौर से सीधे यात्रा करने वाले तीसरी श्रेणी के यात्रियों की संख्या बहुत अधिक होने तथा समस्त यात्रा रात्रि की होने और गाड़ियों में शयन डिब्बे न होने के कारण यात्रियों को होने

वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 95 अप मारवाड़ मेल, जो बीकानेर से जयपुर जाती है तथा 7 अप तेज सवारी गाड़ी और जयपुर तथा बीकानेर के बीच चलने वाली गाड़ियों में शयन डिब्बे लगाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) तीसरे दर्जे के साधारण डिब्बों की जगह गाड़ियों में उनकी चालन-दूरी के अनुसार निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर तीसरे दर्जे के शयन यान लगाने के उद्देश्य से एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शयन यानों का निर्माण किया जा रहा है ।

इस समय बीकानेर और जयपुर के बीच 95 अप/96 डाउन मारवाड़ डाक और मेल लेने वाली गाड़ियों में पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे का एक मिला-जुला सवारी डिब्बा चलता है । इस मिले-जुले सवारी डिब्बे के बदले तीसरे दर्जे का शयनयान चलाने से इस सीधे चलने वाले सवारी डिब्बे का उपयोग करने वाले ऊंचे दर्जे के यात्रियों को असुविधा होगी । अत : ऐसा करना व्यावहारिक नहीं समझा जाता ।

इस समय बीकानेर और आगरा फोर्ट के बीच 95 अप/96 डाउन मारवाड़ डाक तथा मेल लेने वाली गाड़ियों में तीसरे दर्जे के दो सवारी डिब्बे चलते हैं । जब और शयनयान बनकर तैयार हो जायेंगे, तब बारी आने पर इन दो सवारी डिब्बों में से एक के बदले तीसरे दर्जे का एक शयनयान लगाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा । जब बीकानेर और आगरा फोर्ट के बीच शयनयान चलने लगेगा, तब बीकानेर और जयपुर से चलने वाले यात्री शयनयान का उपयोग कर सकेंगे ।

सिगनल निर्माण कार्यालय, ओलावाकोट को अन्य स्थान पर ले जाना

2041. श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :
श्री अदिचन :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओलावाकोट (दक्षिण रेलवे) के सिगनल निर्माण कार्यालय को पोडानूर ले जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस प्रस्ताव के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) इस कार्यालय को दूसरे स्थान पर ले जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) कार्यालय का स्थानान्तरण किया जा रहा है क्योंकि निर्माण यूनिट के कार्यभारी अधिकारी को पोत्तनूर के पूर्व और उत्तर तथा मदुरै मण्डल में भी सिगनल के अनेक महत्वपूर्ण काम करने पड़ते हैं। पोत्तनूर में कार्यालय होने से इन कामों के करने और पोत्तनूर स्थित सिगनल कारखाने और सिगनल भण्डारों से विभिन्न कार्य-स्थलों पर सामानों को पहुंचाने में बड़ी सुविधा होती है।

Railway employees seeking help of M. Ps.

2042. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Railway Board have framed a rule under which no railway employee can either seek help of Members of Parliament for ventilation of his grievances or can establish contact with them ;

(b) if so, whether any cases of harassment of Railway employees by some Railway Officers on this account have come to the notice of Government ; and

(c) the action taken in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Rule 20 of the Railway Services (Conduct) Rules, 1966, provides that no railway servant shall bring or attempt to bring any political or other influence to bear upon any superior authority to further his interests in respect of matters pertaining to his service under the Government. There is no specific rule governing the approach of railway employees of Members of Parliament apart from the afore-said general provision.

(b) and (c) No specific complaint of harassment has come to the notice of Government.

इलायची का उत्पादन

2043. डा० रानेन सेन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के कुछ वर्षों में इलायची का उत्पादन कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इलायची के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां, फिर भी 1966-67 के उत्पादन में पिछले दो वर्षों के उत्पादन की अपेक्षा कुछ सुधार हुआ है।

(ख) उत्पादन में कमी प्रमुखत : इलायची उगाने वाले क्षेत्रों में 'कट्टे' नामक बीमारी के व्यापक रूप में फैलने से हुई है।

(ग) इलायची के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव किये गये हैं :-

(i) कट्टे नामक बीमारी से बच सकने वाली किस्मों के सघन पुनर्रोपण को प्रोत्साहन देना क्योंकि यह बीमारी उत्पादन बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा बताई जाती है ;

(ii) नये क्षेत्रों में बागानों के विस्तार को प्रोत्साहन देना ; और

(iii) उर्वरक, नाशिकीटमार आदि पर्याप्त मात्रा में दे कर इलायची उगाने वालों को प्रोत्साहन देना।

छोटे ट्रैक्टर

2044. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री ख० प्रधानी :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय छोटे ट्रैक्टरों की कितनी मांग है ; और

(ख) यह मांग किस तरीके से तथा कितनी पूरी की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : छोटे ट्रैक्टरों को दो किस्मों में बांटा जा सकता है अर्थात् चार पहियों वाले और दो पहियों वाले चार पहियों वाले छोटे ट्रैक्टरों (20 अश्व शक्ति से कम) की मांग चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 12,000 आंकी गई है । चूंकि शक्ति चालित हलों का प्रयोग देश में अभी विस्तृत रूप से नहीं किया गया है, इसलिए उनकी मांग का सही-सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इनका अस्थायी लक्ष्य 60,000 प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है ।

2. चार पहियों के छोटे ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए केवल एक फर्म को लाईसेंस दिया गया था । इस फर्म ने कोई प्रगति नहीं की । ऐसे ट्रैक्टरों की वर्तमान मांग को जहां तक सम्भव होता है आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है । जहां तक शक्तिचालित हलों का सम्बन्ध है, इनका निर्माण केवल एकक कर रहा है जिसकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता 3,000 प्रति वर्ष है । इस एकक क विस्तार किया जा रहा है ताकि वह 6000 हलों का प्रति वर्ष का उत्पादन कर सके । इसके अतिरिक्त 3 और पार्टियों को 23,000 संख्या की कुल क्षमता के लिए लाइसेंस दिये गये हैं । प्रतिवर्ष 10,000 शक्ति चालित हलों के उत्पादन के लिए एक और पार्टी को आशय पत्र दिया गया है और प्रति वर्ष कुल 27,000 संख्या की दो और योजनाओं को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है । फिलहाल किसानों को शक्ति चालित हलों के प्रयोग से परिचित कराने के लिए और मांग का उपयुक्त अनुमान लगाने के लिए गत वर्ष 1500 शक्ति चालित हलों का आयात किया गया था । चालू वर्ष में जापान से कुछ और शक्ति चालित हलों का आयात करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम

2045. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री ख० प्रधानी :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री हीरजी भाई :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में खनिज तथा धातु व्यापार निगम को हुई हानि का ब्योरा क्या है ;

(ख) इसके क्या कारण थे ; और

(ग) इस हानि को किस तरह पूरी करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम जिन वस्तुओं का व्यापार करता है उन में से कुछ में हानि हुई है जो निम्नलिखित हैं :-

(1) मैंगनीज अयस्क	1. 82 लाख रुपये
(2) द्वितीय वस्तु ऋण निगम विनिमय के अंतर्गत मैंगनीज अयस्क	39.07 लाख रुपये
(3) द्वितीय वस्तु ऋण निगम विनिमय के अंतर्गत बैरिल अयस्क	15.00 लाख रुपये
(4) बौक्साइट	0.81 लाख रुपये
(5) क्रोम अयस्क	0.91 लाख रुपये
(6) कच्चा लोहा	63.19 लाख रुपये
योग :-	120.80 लाख रुपये

(ख) मैंगनीज अयस्क और बैरिल अयस्क के निर्यात वस्तु विनिमय के आधार पर अमेरिका से रुई के आयात के बदले में किये गये। परन्तु, मैंगनीज तथा बैरिल अयस्क के निर्यात में हुई हानि की अपेक्षा द्वितीय वस्तु ऋण निगम विनिमय के अन्तर्गत रुई के आयात से हुआ 92. 59 लाख रुपये का लाभ अधिक था, अतः वह कमी पूरी होकर भी बचत ही रही।

बौक्साइट तथा क्रोम अयस्क के निर्यात से हुई हानि प्रमुखतः अवमूल्यन से पूर्व की अवधि में हुई जब कि वसूली मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विक्रय मूल्य की अपेक्षा कुछ अधिक थे। अवमूल्यन के बाद इन वस्तुओं के निर्यात से थोड़ा सा लाभ हुआ।

कच्चे लोहे से हुई हानि स्वदेशी उत्पादों के मूल्यों की अपेक्षा आयात के मूल्य अधिक होने के कारण हुई।

(ग) निगम के अन्तिम लेखों से पता चलता है कि करों के भुगतान के पश्चात कुल मिलाकर निगम को लाभ ही हुआ है जिससे उपर्युक्त भाग

(क) के उत्तर में निर्दिष्ट हानि पूरी होकर भी बचत ही होगी।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में लोअर गजेटिड सेवा में पद

2046. श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ल० प्रधानी :**

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में 1966-67 में अब तक लोअर गजेटेड सेवा में कितने पद भरे गये ;

(ख) इनमें से कितने पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये सुरक्षित किये गये ; और

(ग) इस अवधि में अब तक कितने सुरक्षित पद भरे गये ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) चौअन

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे का स्टोर विभाग

2047. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में अतिरिक्त कार्य-जैसे भविष्य निधि में प्रतिवर्ष जमा राशि की स्लिपों का तैयार करना ; बकाया राशि के बिलों का पास करना, ट्यूशन फीस के बिलों की प्रतिपूर्ति तथा स्टोर विभाग के कार्डलेजरों का मिलान करना-वर्तमान कर्मचारियों द्वारा अपना नियमित कार्य छोड़कर किया जाता है जिसके लिये उन्हें मानदेय मिलता है तथा इस कार्य के लिये और व्यक्ति नियुक्त नहीं किये जाते ; और

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) प्रश्न में जिस अतिरिक्त काम का उल्लेख किया गया है वह वर्तमान कर्मचारियों द्वारा आनरेरियम लेकर कार्यालय बन्द होने के समय के बाद किया गया था। इसके कारण सामान्य काम की कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि कार्यालय का पूरा समय सामान्य काम में लगाया गया।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हनोवर में औद्योगिक प्रदर्शनी

2048. श्री बाबूराव पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हनोवर में होने वाली औद्योगिक प्रदर्शनी में भाग ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी;

(ग) इसी स्थान पर हुई गत दो प्रदर्शनियों में जिनमें हमारे देश ने भाग लिया था व्यापार से अथवा अन्य प्रकार से कितनी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(घ) इन गत दो प्रदर्शनियों पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मेले में भाग लेने के आयोजन पर विदेशी मुद्रा में 83, 450 रु. खर्च होंगे।

(ग) उपार्जित विदेशी मुद्रा का अनुमान लगाना इस समय व्यावहार्य नहीं है, क्योंकि मेलों में भाग लेने के दीर्घावधि तथा तात्कालिक दोनों ही प्रकार के परिणाम होते हैं। फिर भी,

ऐसी सूचना मिली है कि मेले में निम्नलिखित क्रयादेश प्राप्त हुए :-

	1965	6. 13 लाख रु० विदेशी मुद्रा में
	1966	14. 28 लाख रु० विदेशी मुद्रा में
(घ)	1965	62,062 रु० विदेशी मुद्रा में
	1966	89, 325 रु० विदेशी मुद्रा में

उड़ीसा में औद्योगिक सहकारी समितियां

2049. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 30 अप्रैल, 1967 तक उड़ीसा में कितनी औद्योगिक सहकारी समितियां चल रही थी और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी थी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार

2050. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

दक्षिण-पूर्व रेलवे में इस समय भ्रष्टाचार के कितने तथा किस प्रकार के मामले अनिर्णीत पड़े हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : 31.5.67 को मामलों की संख्या 163

भ्रष्टाचार की किस्म

1–रिश्वत मांगना और स्वीकार करना	16
2–झूठे बयान और झूठे प्रमाण-पत्र देकर नौकरी और पदोन्नति आदि पाना	8
3–धोखाधड़ी से पास तथा सुविधा टिकट आदेश-पत्र लेना और उनका दुरुपयोग करना	7
4-रेलवे रोकड़ और सामान का दुर्विनियोग, कम रोकड़ जमा कराना और टिकटों की बिक्री से मिलने वाली रकम को हिसाब में जमा न करना	30
5–झूठा हाजिरी रजिस्टर रखना, सरकारी रिकार्ड में हेर-फेर करना, झूठा यात्रा भत्ता लेना आदि	25

6–सेवा आचरण नियमों तथा विभागीय प्रक्रिया सम्बन्धी आदेशों का उल्लंघन करना	14
7–प्रतिरुपण (इम्पर्सोनेशन) के आधार पर नौकरी प्राप्त करना	कोई नहीं
8–झूठा प्रमाण-पत्र पेश करके मकान किराया भत्ता लेना	3
9–अनानुपातिक परिसम्पत्ति	9
10–उड़ीसा सरकार से सम्बन्धित जाली रेल अधिपत्रों पर रेलवे टिकट लेना	1
11–रेलवे ठेकेदारों द्वारा विशिष्ट से निम्न स्तर का निर्माण-कार्य करना, अधिक सामान जारी करना या अधिक मज़दूर लगाना	7
12–गाड़ियों में बुक कराये बगैर सामान और अनधिकृत व्यक्तियों को ले जाना	2
13–विलम्ब-शुल्क और स्थान-शुल्क से सम्बन्धित प्रभार वसूल न करना	4
14–रोकड़ का कम हो जाना/निजी रोकड़ को न बताना	6
15–मज़दूरों का दुरुपयोग करना	3
16–रेलवे अधिकारियों आदि के हस्ताक्षरों से सम्बन्धित जालसाजी, धोखाधड़ी और कूट रचना	4
17–रेलवे क्वार्टरों का अनधिकृत कब्जा और किराये पर उठाना	3
18–विविध	21
जोड़	163

राजस्थान के लिये अम्बर चर्खे

श्री धुलेश्वर मीना : **श्री क० प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में राजस्थान को कितने अम्बर चर्खे दिये गये;

(ख) उक्त अवधि में से कितने चर्खे प्रयोग में लाये गये, और

(ग) उस अवधि में कुल कितना सूत तैयार किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : (क) 130.

(ख) 103.

(ग) 30900 गुंडियां ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में बिजली लगाना

2052. श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में दक्षिण-पूर्व रेलवे में किन किन स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था की गयी तथा इस कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ख) 1967–68 में दक्षिण-पूर्व रेलवे के किन-किन स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) एक बयान नत्थी है।[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 597/67]

उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस

2053. श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में अब तक उड़ीसा से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन पत्र आये हैं; और

(ख) इसी अवधि में उनमें से कितने आवेदन पत्र मंजूर किये गये और कितने अस्वीकृत किये गये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):(क) एक ।

(ख) लाइसेंस जारी कर दिया गया है ।

सेवानिवृत रेलवे कर्मचारियों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी

2054. श्री नम्बियार : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को पेंशन की अनुग्रहपूर्वक अदायगी के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय द्वारा जो आदेश जारी किये गये थे वे उत्तर रेलवे को प्राप्त नहीं हुए और विशेष रूप से फिरोजपुर डिवीजन में प्राप्त नहीं हुए; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी अदायगी के सम्बन्ध में रेलवे जोनों के बीच भेदभाव करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

समस्तीपुर जिले में यातायात विभाग के केबिनमैन

2055. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्तीपुर जिले में पूर्वोत्तर रेलवे के यातायात विभाग के केबिनमैनों को दिन में 12 घंटे काम करना पड़ता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केबिन प्रणाली लागू होने से पहले प्वाइंट्समैनों को दिन में 8 घण्टे काम करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केबिनमैनों के काम के घंटे 12 से घटा कर 8 घंटे करने का है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां सिर्फ कुछ स्टेशनों पर ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस मामले पर विचार हो रहा है ।

मद्रास-आकोनम सेक्शन में रेलगाड़ियों की सुविधायें

2056. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री मु० कु० तापड़िया :
श्री गार्डिलिंगन गौड़ :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के मद्रास-आर्कोनम सेक्शन में रेलगाड़ीयों की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में विभिन्न स्थानों से अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) मद्रास-तिरूवल्लूर खण्ड पर 2–10–66 से एक जोड़ी अतिरिक्त गाड़ियां चलायी गयी हैं । इस समय मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर अपेक्षित टर्मिनल सुविधाओं के अभाव में मद्रास-तिरूवल्लूर-अरकोणम खण्ड पर अधिक गाड़ियां चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों की मांगे

2057. **श्री महाराज सिंह भारती :**
श्री शिवपूजन शास्त्री :
श्री मधु लिमये :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, रांची के कर्मचारियों ने करोड़ों रुपयों की अतिरिक्त राशियों तथा भ्रष्टाचार के बारे में कोई शिकायतें सरकार को भेजी हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) हां, महोदय। राष्ट्रीय कोयला संगठन कर्मचारी संस्था ने 22–2–1966 को एक ज्ञापन दिया था। इस ज्ञापन में अन्य बातों के साथ साथ भ्रष्टाचार आदि के आरोपित मामले भी थे। इन आरोपों का परीक्षण किया गया था और एक मामले के सिवाय सब को अस्पष्ट और आधार रहित पाया गया। उपरोक्त एक मामले में उचित कार्रवाही की गई थी। राष्ट्रीय कोयला संगठन कर्मचारी संस्था द्वारा 19–12–1966 को एक अन्य पत्र राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक को भेजा गया था। इस पत्र की एक प्रति मन्त्रालय को भी दी गई थी। इसमें भ्रष्टाचार आदि के मामलों के बारे में हवाला है। इस पत्र पर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के द्वारा जांच हो रही है।

जी० टी० एक्सप्रेस रेलगाड़ी का रोका जाना

2058. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 मई, 1967 को नई दिल्ली-मद्रास ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस गाड़ी को उसके दूसरे डिब्बे में आग लग जाने के बाद, मध्य रेलवे के नई दिल्ली–आगरा सैक्शन पर बल्लभगढ़ तथा आसावती स्टेशनों के बीच 8 घन्टे तक रोकना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(ग) रेलवे सम्पत्ति को कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 8-5-1967 को 16 अप ग्रांट ट्रंक एक्सप्रेस गाड़ी को बल्लभगढ़ और असावती स्टेशनों के बीच लगभग 9 घन्टे तक रुकना पड़ा, क्योंकि उसके दूसरे दर्जे के एक डिब्बे में आग लग गयी थी। यह डिब्बा गाड़ी में इन्जन से तीसरा था।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 50,000 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

New Station between Kamtaul and Jogiara Stations

2059. Shri Bhogendra Jha : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the distance between Kamtaul and Jogiara Stations on the Samastipur-Narkatiaganj Section in the North Eastern Railway is twelve Kilometers ;

(b) whether the people of the said area have been urging Government to provide a new station at Muraitha between the said two stations on account of the area being affected by flood in Adhbara group of rivers and also because of lack of transport facilities;

(c) whether Government propose to provide a new railway station at Muraitha and if so, when; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) The distance between Kamtaul and Jogiara stations is 11.27 Kms.

(b) Yes.

(c) and (d) The proposal is under examination.

इलाहाबाद एक्सप्रेस गाड़ी का पटरी से उतरना

2060. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 अप्रैल, 1967 को पूर्वोत्तर रेलवे की इलाहाबाद एक्सप्रेस के, जो गोरखपुर को जा रही थी, एक तीसरे दर्जे के शयन डिब्बे के चार पहिये पटरी से उस समय उतर गये थे जब वह गौरी बाजर से गुजर रही थी; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) प्रत्यक्षतः दुर्घटना का कारण यह था कि पटरी से उतरे डिब्बे के यांत्रिक उपस्कर में खराबी आ गयी थी। फिर भी, इस मामले की पूरी छान-बीन की जा रही है।

दिल्ली और आगरा के बीच अधिक गति वाली गाड़ी

2061. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली–आगरा सैक्शन में 75 से 100 मील प्रति घंटा की गति से चलने वाली गाड़ियां चलाई जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रेलवे के अन्य सैक्शनों में भी इतनी गति वाली गाड़ियां चलाने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : एक प्रस्ताव यह है कि दिल्ली-आगरा खण्ड पर गाड़ियों की अधिकतम अनुमेय रफ्तार बढ़ा कर 75 मील प्रतिघंटा कर दी जाय। इस समय इस खण्ड के एक हिस्से में आवश्यक परीक्षण किया जा रहा है। इस परीक्षण के परिणाम के आधार पर, इस खण्ड तथा कुछ अन्य चुने हुए खण्डों पर गाड़ियों की रफ्तार 75 मील प्रतिघंटा करने के सम्बन्ध में आगे कार्रवाही की जायेगी बशर्ते इसके लिए अपेक्षित निधि और विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा संचालित मशीनों की सप्लाई

2062. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने स्वचालित मशीन सप्लाई करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सार्वजनिक क्षेत्र में स्वचालित मशीनों का कारखाना खोलने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : जी, हां । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० का हैदराबाद एकक मोटर गाड़ी उद्योग में इस्तेमाल की जाने वाली विशेष प्रयोजन की मशीनें बनाता है जिनमें ट्रांसफर लाइनें शामिल हैं ।

Extension of Ghaziabad Shuttle Service to Meerut.

2063. **Shri Maha Raj Singh Bharati :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several hundred employees of Muradnagar Ordinance Factory, who come daily from Meerut City, have made a request to Government that Ghaziabad Shuttle train service my be extended upto Meerut and if so, the action being taken thereon ;

(b) whether Government have given an assurance that if the above request is not acceded to, the Meerut Shuttle will be hauled by a Diesel locomotive so that it reaches Muradnagar daily at 8 A. M. ; and

(c) whether Government have decided to introduce a diesel car also n v ew of the heavy traffic between Meerut and Delhi ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. The extension has not been found operationally feasible due to difficulties of path and lack of terminal facilities at Meerut City.

(b) No.

(c) No.

Railway Employees on N. E. Railway.

2064. **Dr. Mahadeva Prasad :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of Class I, II, III and IV employees on the North Eastern Railway in 1957 ; and

(b) their respective number at present ?

The Minister of Railways (C. M. Poonacha) :

	Class			
	I	II	III	IV
(a)	184	260	45838	80623
(b)	228	256	36534	55288

Note : Figures for 1957 also relate to ex-Assam Region which become part of Northeast Frontier Railway from 15.1.1958.

Booking Office at Sonai Railway Station

2065. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision has been taken to open a Booking Office at Sonai Railway Station on metregauge line between Mathura and Hathras for sending goods in small quantities by goods trains ;

(b) whether it is also a fact Tobacco Dealers' Association, Sonai, has sent representations in this connection to the local authorities concerned ;

(c) if so, the action taken by the Central Government in regard thereto ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Yes.

(c) and (d) : A proposal for providing a crossing station for operational reasons on Raya-Mursan block section is under consideration. The question of permitting goods booking in smalls at Sonai station, which is situated between Raya and Mursan stations has been deferred till a final decision is taken in regard to the provision of a crossing station.

Import of Foreign Films

2066. **Shri Har Dayal Devgun** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government propose to stop the import of foreign films in view of exchange position ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) No, Sir.

(b) Such a step would adversely affect the exports of Indian films abroad.

Machine Tool Factories

2067. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) the number of machine tool factories in the country at present which require foreign exchange for importing raw materials, semi-finished materials and parts ;

(b) the amount of foreign exchange required annually ; and

(c) the number of factories, out of those referred to above, which earn foreign exchange by exports and the amount of foreign exchange earned by them every year ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) 117 units in the organised sector were allocated foreign exchange amounting to Rs. 872.18 lakhs during 1966-67.

(c) Five factories exported their products. Export earnings during 1965-66 and 1966-67 were Rs. 35.60 lakhs and Rs. 55.07 lakhs respectively.

Corrugated Sheets

2068. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Steel, Mines and Metal be pleased to state :

(a) the decision taken in respect of coating corrugated sheets used for constructing houses with aluminium which Government were contemplating to resort to due to non-availability of adequate coating raw material in the country;

(b) the time by which the said sheets would be available in the market for sale; and

(c) whether the plants required for them would be made indigenously or they will have to be imported ?

The Minister of State in the Ministry of Steel Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) :

(a) It has been decided to encourage aluminising of sheets as a substitute for galvanising.

(b) The steel plants have been requested to obtain the technical know-how of the process from abroad. It is too early to say when the aluminised sheets might be available.

(c) The exact extent to which the aluminising equipment will be available indigenously will be known only after the details of the know-how agreements are finalised.

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लि० रांची का भारी मशीन निर्माण कारखाना

2069. श्री कार्तिक ओराओं : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के भारी मशीन निर्माण कारखाने का उत्पादन लक्ष्य क्या है;

(ख) इस कारखाने का वास्तविक उत्पादन कितना है;

(ग) क्या उत्पादन का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है :

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो (एक) ग्राहकों से कुल कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त हुए हैं; (दो) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन कार्य चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारी मशीनें बनाने वाले संयंत्र का 1966-67 के लिए उत्पादन लक्ष्य 19,500 मी० टन था।

(ख) 1966-67 में वास्तविक उत्पादन 14,320 मी० टन हुआ।

(ग) उत्पादन निर्धारित लक्ष्य का लगभग 73 प्रतिशत था।

(घ) (1) 1967-68 और 1968-69 के लिए कुल आर्डर लगभग 56,000 मी० टन के हैं जो इन वर्षों में उपलब्ध क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त हैं।

(2) पहले रूस से ढली हुई वस्तुओं, पुर्जों तथा खाकों के प्राप्त होने में कुछ विलम्ब हो गया था। इन्हें समय से प्राप्त करने के लिए अब कदम उठाये गये हैं।

भारी इंजिनियरिंग कारपोरेशन, रांची का इस्पात के ढांचे तैयार करने वाला वर्कशाप

2070. श्री कार्तिक ओराओं : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इंजिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का इस्पात के ढांचे तैयार करने वाला वर्कशाप की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी हैं;

(ख) इसमें प्रति माह कितना उत्पादन हो रहा है;

(ग) कब तक उत्पादन को पूरी क्षमता तक बढ़ाने का विचार है;

(घ) क्या उत्पादन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (घ) का उत्तर नकारात्मक हो, तो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) अन्ततोगत्वा वार्षिक क्षमता 25,000 मीट्रिक टन है जो 1970–71 तक पहुंच जाने की आशा है ।

(ख) से (ङ) प्रारम्भिक उत्पादन अक्तूबर, 1966 में शुरू हुआ था और सिविल निर्माण कार्य पूरा होने वाला है तथा उपकरण लगाने का काम आवश्यकतानुसार अवस्थाओं में बांट लिया गया है । वर्तमान योजना के अनुसार उत्पादन क्षमता 1967–68 में 17,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 1970–71 में 25,000 मीट्रिक टन हो जायगी । आशा है कि संयंत्र में निश्चित कार्यक्रम के अनुसार काम होगा ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में कुआं खोदने के बरमों (रिगों) का निर्माण

2071. श्री कार्तिक ओरांओं : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में कुआं खोदने के बरमे (रिंग) बनाये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में इस निगम को अब कितनी सफलता मिली है, और

(ग) बिहार सरकार को सूखाग्रस्त क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए ऐसे कितने बरमे (रिंग) दिये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : 1967–68 से कम्पनी की कुएं खोदने के बरमे बनाने की योजना है । आरम्भ में आयातित पुर्जों को जोड़कर केवल दो बरमे बनाये जायेंगे 1967–68 में 22 बरमों के बनाने की आशा है ।

(ग) एक भी नहीं ।

Tractor Factory in Varanasi

2072. Shri Nihal Singh :
Shri Molahu Prasad :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to set up a tractor factory near Ramnagar in District Varanasi;

(b) if so, the details of the scheme; and

(c) the time by which the said factory would be completed ?

The Minister of Industrial Development and company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c) It had been proposed to establish a public sector project for the manufacture of agricultural tractors and implements during the 4th Five-Year Plan at Ramnagar in Varanasi District, U. P. subject to a final decision about the implementation of the Project itself after the receipt of the techno-economic feasibility study report from M/s. Motokov of Czechoslovakia. The first part of this Report containing a study of the feasibility and economics of the Project was received on 22-5-67 and is presently under examination. A decision on the Project will be taken after the Report has been examined in details.

समाहार तथा संग्रह करने की नीति

2073. (श्री गा० शं० मिश्र) : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाहार तथा संग्रह करने के बारे में रेलवे की क्या नीति है,

(ख) रेलवे प्रशासन मध्य प्रदेश से मुख्यतः किस किस प्रकार के सामान का समाहार करता है; और

(ग) मध्य प्रदेश में रेलवे के कितने स्टोर हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) भारत सरकार की सामान्य नीति के अनुसार रेलों के लिए सामान प्राप्त करने के नियम वित्तीय औचित्य के सामान्य सिद्धान्तों के अलावा अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधारित हैं :

(i) जहां तक व्यावहारिक हो, अधिक से अधिक खुले प्रतियोगी टेंडर मांगने की प्रणाली द्वारा खर्च की गयी रकम का पूरा-पूरा मूल्य वसूल करना;

(ii) किफायत और कुशलता के अनुरूप स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन देना; और

(iii) कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना ।

रेलों में उपयोग के लिए अपेक्षित सामान और उपस्कर मुख्यतः निम्नलिखित एजेंसियों से प्राप्त किये जाते हैं :

(i) **रेलवे बोर्ड** : चल स्टाक (और कुछ पुर्जे), पटरियां, पुलों के गर्डर, आयात इस्पात खण्ड, बिजली सिगनल उपस्कर, कोयला आदि ।

(ii) **महानिदेशक पूर्ति और निबटान** : सामान्यतः सामान और उपस्कर के 25,000 रुपये से अधिक मूल्य (प्रत्येक) की सभी मदें-अमानक पुर्जों और अवयवों, इमारती सामान, लकड़ी के फर्नीचर जैसी मदों को छोड़कर । इस प्रयोजन के लिए इस संगठन के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली मदों की एक सूची संगठन द्वारा रेलों को भेज दी गयी है ।

(iii) **मुख्य नियंत्रक मुद्रण और लेखन-सामग्री** : लेखन-सामग्री और कार्यालय उपकरणों के सभी सामान

(i) **रेल प्रशासन** : वे मदें जो उपर्युक्त (i), (ii) और (iii) में शामिल नहीं हैं ।

रेलों में सामान के संग्रह के सम्बन्ध में मोटे तौर पर नीति यह है कि जो मद पूंजीगत निर्माण-कार्यों से सम्बन्धित होते हैं, उन्हें सामान्यतः सीधे काम के स्थान पर भेज दिया जाता है। अनुरक्षण के लिए अपेक्षित सामान मुख्य डिपो में रखा जाता है। ये डिपो रेल कारखानों के पास होते हैं ताकि सामान जारी करने में सुविधा हो और, या ये डिपो मुख्य बाजार या औद्योगिक केन्द्रों (जैसे बम्बई, कलकत्ता आदि) के निकट स्थित होते हैं ताकि सामान प्राप्त करने और उसका वितरण करने में सुभीता हो। सामान की सुरक्षा और परिरक्षा के लिए इन डिपुओं में अपेक्षित सुविधाओं की व्यवस्था है। भण्डार खत्म न होने पाये, साथ ही पूंजी अनावश्यक रूप से रुकी न रहे, सामान खराब न हो और संगृहीत सामान की देख-भाल पर अतिरिक्त खर्च न हो, इस उद्देश्य से भण्डार को इष्टतम स्तर तक बनाये रखने के प्रयास किये जाते हैं।

(ख) इस्पात (हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई से), बिजली उपस्कर (हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड भोपाल से), कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी, चूना, तापसह ईंटें, तापसह मिट्टी, अल्यूमीनियम कण्डक्टर केबल, इस्पात के ढले सामान आदि।

(ग) (i) डीज़ल रेल इंजनों के अनुरक्षण के उद्देश्य से उनके पुर्जों का स्टाक रखने के लिए न्यू कटनी और इटारसी में सामान डिपो;

(ii) मध्य रेलवे के भूतपूर्व ग्वालियर स्टेट रेलवे खण्ड पर चलने वाले छोटी लाइन के चल स्टाक की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए सामान्य भण्डार और पुर्जों की आवश्यकता पूरी करने के लिए ग्वालियर में एक डिपो;

(iii) रेल बिजली परियोजना के सम्बन्ध में स्थापित जस्ता चढ़ाने के संयंत्र के लिए अपेक्षित सामान इकट्ठा रखने के उद्देश्य से रायपुर में एक डिपो।

शिक्षु मैकेनिक

2074. श्री सं० च० बेसरा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा आयोग द्वारा स्थायी नियमित कर्मचारियों में से तथा कारीगरों में से चुने गये शिक्षु मैकेनिकों को मकान किराया भत्ता तथा नगर भत्ता देने के बारे में क्या नीति है;

(ख) उत्तर रेलवे में क्या प्रथा है;

(ग) क्या इस नीति का विभिन्न रेलों में समान रूप से पालन किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) ये कर्मचारी भत्ते पाने के हकदार हैं।

(ख) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सिगनल वर्कशाप में काम करने वाले कर्मचारी

2075. श्री स० च० बेसरा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब ब्लाक और सिगनल इंस्पैक्टरों की सामान्यतया ड्यूटी

लाइन पर होती है उन्हें प्रायः सिगनल वर्कशापों में सुपरवाइजरी पदों पर नियुक्त किया जा रहा है;

(ख) क्या इस प्रकार की पदोन्नतियों से सिगनल वर्कशापों के कर्मचारियों के लिये उपलब्ध पदोन्नति के सीमित अवसरों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) ब्लाक और सिगनल निरीक्षक साधारणतः लाइन पर ही काम करते हैं। लेकिन केवल विरले अवसरों पर ही अस्थायी रूप से काम संभालने के लिए उन्हें सिगनल कारखानों में पर्यवेक्षण पदों पर भी तैनात किया जाता है; या जैसा कि दक्षिण रेलवे में हुआ है, जहां कि एक बिल्कुल नया कारखाना स्थापित हुआ था, उन्हें वहां तैनात किया गया।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स

2076. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स, लिमिटेड जिसे फरवरी, 1966 में सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था 9 जुलाई, 1966 से बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें पुनः कब से काम आरम्भ किये जाने की आशा है;

(ग) इस मिल को बन्द करने से कितने लोग बेरोजगार हो गये हैं, और

(घ) उन्हें अब तक कितनी राशि क्षतिपूर्ति/सहायता के रूप में दी गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मिल को पुनः चालू करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ग) 1460।

(घ) भविष्य निधि में से छः लाख तीस हजार रुपये की सहायता पेशगी दी गयी है। क्षतिपूर्ति नहीं दी गयी है।

अखिल भारतीय रेलवे कमर्शियल क्लर्क्स संस्था

2077. श्री याज्ञिक : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय रेलवे कमर्शियल क्लर्क्स संस्था ने उनके वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण करने, अत्यावश्यक तथा गैर अत्यावश्यक क्लर्कों के बीच अन्तर को समाप्त करने, पदोन्नतियों का कर्मचारियों के लिए व्यापारिक आरक्षण करने, नियतकालिक स्थानान्तरणों के बन्द करने आदि के बारे में अभ्यावेदन मिला है: और

(ख) क्या सरकार ने उनके अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि इस तरह की शिकायतों पर मजदूर संगठनों के साथ स्थायी वार्ता-तंत्र के विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श किया जाता है इसलिए इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

पश्चिम रेलवे की अखिल भारतीय गार्ड परिषद्

2078. श्री याज्ञिक : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे की अखिल भारतीय गार्ड परिषद् से समय समय पर उनके वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण करने, चालू भत्तों में वृद्धि करने, उनके पदोन्नति के अवसर बढ़ाने, उनके लिए क्वार्टरों आदि की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं और उसने उन पर विचार किया है,

(ख) क्या रेलवे मन्त्री ने 24 मार्च, 1966 को संसद् में यह वक्तव्य दिया था कि इन अभ्यावेदनों पर गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जावेगा, और

(ग) क्या सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर कोई निर्णय किया है और उसे क्रियान्वित किया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां, समय-समय पर अभ्यावेदन मिले हैं।

(ख) जी हां, राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 571 के उत्तर में।

(ग) गार्डों की शिकायतों पर, जो कि केवल पश्चिम रेलवे के नहीं बल्कि सभी गार्डों पर सामान्य रूप से लागू होता है, अतीत में विचार किया गया था लेकिन, उनकी मांगों को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया।

कपास का अधिकतम मूल्य

2079. श्री म० अमरसे : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1953-54 को आधार वर्ष मानकर कपास का वर्तमान अधिकतम मूल्य अन्य कृषिजन्य वस्तुओं के वर्तमान मूल्यों की तुलना में कैसा है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री विनेश सिंह) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1966–67 वर्ष के लिए रूई की मूल किस्म अर्थात विदर्भ, मध्य प्रदेश विरनार का अधिकतम मूल्य 1166 रु० प्रति केन्डी है। अन्य कृषिजन्य वस्तुओं के मूल्य प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी अलग अलग स्थानों पर भी भिन्न भिन्न होते हैं। तुलना की सुविधा के लिये, 1953–54 को आधार वर्ष मानकर रूई तथा अन्य कृषिजन्य वस्तुओं के थोक भावों के सूचक अंक नीचे दिये जा रहे हैं:–

(आधार 1953–54 = 100)

वस्तु	1966–67 के थोक भावों के सूचक अंक
कपास	134.6
बाजरा	208.4

ज्वार	198.7
अनाज	178.1
दालें	215.6
चावल	173.9
गेहूं	170.6
चना	222.4
कच्चा पटसन	271.7
तिलहन	242.6
तम्बाकू (अशोधित)	122.6

रेल किराये की वापसी

2080. श्री रामसिंह आयरवाल :
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों तथा अनुरक्षकों के साथ जाने वाले विद्यार्थियों को, जो किसी कारण से गाड़ी नहीं पकड़ पाते हैं, गाड़ी के छूटने के बाद अप्रयुक्त टिकट देकर कुछ किराया वापस ले सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो कितना;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) :

(i) अप्रयुक्त यात्री टिकट, जिनमें विद्यार्थियों और उनके अनुरक्षकों के टिकट भी शामिल हैं, जिन पर कोई आरक्षण न किया गया हो, गाड़ी में जगह न होने के अलावा किसी अन्य कारणवश गाड़ी छूटने के तीन घंटे के भीतर वापस करने पर 15 पैसे लिखाई काटकर स्टेशन मास्टर किराया वापस कर देता है। (यदि गाड़ी में जगह न होने के कारण टिकट वापस किया जाये, तो पूरा किराया वापस किया जाता है) यदि अप्रयुक्त टिकट इस अवधि के बाद वापस किया जाय तो सम्बन्धित रेलवे के मुख्यालय में प्रार्थना-पत्र देने पर केवल विशेष परिस्थितियों में ही किराया वापस किया जाता है और प्रतिदेय रकम का 10 प्रतिशत काट लिया जाता है।

(ii) जिन अप्रयुक्त टिकटों पर आरक्षण किया जा चुका हो, उनको यदि गाड़ी छूटने के निर्धारित समय तक वापिस कर दिया जाता है, तो स्टेशन मास्टर टिकट रद्द करने का निर्धारित प्रभार काट कर किराये की रकम वापस कर देता है। रद्द करने का यह प्रभार वातानुकूल और पहले दर्जे के टिकटों पर 2 रुपये से 30 रुपये तक और दूसरे और तीसरे दर्जे के टिकटों पर 50 पैसे से 10 रुपये तक भिन्न भिन्न होता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि रद्द करने का नोटिस कितना समय रहने दिया गया।

लेकिन यदि अप्रयुक्त टिकट गाड़ी छूटने के निर्धारित समय के बाद वापस किये जाते हैं; तो सम्बन्धित रेलवे के मुख्यालय में प्रार्थना-पत्र देने पर केवल विशेष परिस्थितियों में ही किराया वापस किया जाता है और उसमें से 25 प्रतिशत किराया काट लिया जाता है लेकिन अधिक से अधिक और कम से कम जो किराया काटा जाता है, वह इस प्रकार है :

	प्रति यात्री कम से कम	प्रति यात्री अधिक से अधिक
वातानुकूल और पहला दर्जा	7.50	30
दूसरा और तीसरा दर्जा	2.50	10

भारत में चाय बागानों के अंग्रेज मालिक

2081. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मधु लिमये :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री ओंकारसिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में चाय बागानों के अंग्रेज मालिक अपना अत्यधिक लाभ उद्योग में न लगाकर पूर्वी अफ्रीका के चाय बागानों के विकास तथा सुधार के लिये प्रयोग में ला रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि चाय बागानों के कुछ बड़े मालिक अच्छी किस्म की भारतीय चाय को कम दामों पर खरीद कर उसे अफ्रीका अथवा श्रीलंका की चाय में मिला देते हैं और उसको भारतीय कहते हैं तथा यूरोप के बाजारों में उसे बेच रहे हैं और इस प्रकार वह लन्दन की नीलामी में भारतीय चाय के दामों को गिराने के लिये आपस में मिल गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में तथा भारत के निर्यात व्यापार में अत्यधिक योगदान देने वाली भारतीय चाय की स्थिति को बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सामान्य स्थिति यह है कि अनेक चाय बागानों के मालिकों द्वारा कमाए गए लाभ की धनराशि पर्याप्त मात्रा में क्रमानुसार बागान के सुधार में नहीं लगाई गई है। इस विषय में बागानों के ब्रिटिश अथवा भारतीय स्वामित्व के आधार पर कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। प्रायः भारत में विदेशी समवायों द्वारा उपार्जित लाभों को स्वदेश ले जाने की विदेशी विनियोजकों को अनुमति दी जाती है तथा चाय उद्योग इस सामान्य नियम का कोई अपवाद नहीं है। सरकार के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि विदेश में जाने के बाद इन लाभों का किस प्रकार उपयोग होता है। पूर्वी अफ्रीका में कुछ ऐसे चाय बागान स्थापित होने का पता लगा है जिनके नाम भारत के कुछ चाय बागानों के नामों पर हैं।

(ख) बड़े मालिकों के मिलने का कोई ऐसा मामला जानकारी में नहीं आया है। कलकत्ता अथवा लन्दन में नीलामी में खरीदी गई भारतीय चाय को दूसरे देशों की चाय में मिलाया जाता है तथा विभिन्न निर्माताओं के मार्के के नाम से पैकेटों में बेचा जाता है। सामान्यत: इन पैकेटों पर मिश्रण में प्रयुक्त चाय के पैदा करने वाले देशों के नाम नहीं लिखे होते। इसलिये चाय विक्रेताओं द्वारा भारतीय चाय को बदनाम करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

फिएट कारों का निर्माण

2082. श्री यशवन्त सिंह :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने कोई योजना प्रस्तुत की है जिसके अन्तर्गत फिएट कार का निर्माण प्रतिमाप 750 से बढ़ा कर 2,000 प्रतिमास किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

N. G. Railway Lines on the Central Railway.

2083. Shri Y, S. Kushwah : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the responsibility of operating and maintaining the narrow gauge railway lines of the Central Railway is that of the Central Government or of some contractor; and

(b) the annual income and expenditure separately of the Gwalior-Bhind, Gwalior-Shivpuri, Gwalior-Shivpur Kalan and Ujjain-Agar, lines during the last five years ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) Responsibility of oparating and maintaining the narrow gauge lines of the Central Railway is of the Central Government.

(b) Annual income and expenditure for last 3 years as readily available is as under:—

Income

Section	Year		
	1963-64	1964-65	1965-66
Gwalior-Bhind :	12,63,000	14,69,000	16,07,000
Gwalior-Sbivpuri :	5,26,000	7,54,000	7,42,000
Gwalior-Shivpur Kalan -	30,45,000	32,43.000	37,94,000
Ujjain-Agar ;	1,76,135	2,62,574	Not available.

Expenditure

Gwallor-Bhind: Gwalior-Shivpuri: Gwalior-Shivpur Kalan:	39, 87, 000	38, 79, 000	50, 53, 000
Ujjain-Agar:	3, 68, 321	4, 82, 754	Not available.

The Ujjain-Agar line is worked by the western Railway.

N. G. lines in M. P.

2084. Shri Y. S. Kushwah :- Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) when the ownership of the narrow gauge lines of the central Railway in the Northern region of Madhya pradesh was passed on form the Gwalior State Administration to the central Government.

(b) the amount received from the Scindia State Railway at the time of the transfer of the said ownership : and

(c) the annual income and expenditure of the said Railway lines at the time of the transfer ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Presumable the reference is to the ex scindia State Railway. As a result of the Federal Financial Integration, the ownership of the line vested in the Government of india with effect from Ist April, I950.

(b) The Depreciation Fund amounting to Rs. 68.66 lakhs was takenover following the Federal Financial Integra'ion.

(c) The earnings and expenses of the Railway for the year 1949-50 are as follouls:-

(i) Gross Earnings	:	Rs. 32, 56, 683
(ii) Gross Expenses	:	Rs. 25, 05, 677

Overbridges on Central Railway

2085. Shri Y.S Kushwah: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) when the work regarding the construction of overbridges at the railway crossing near Dabra Mandi, Birla Nagar and Morena Stations between Jhansi and Dholpur Stations on the Central Railway is likely to be taken in hand; and

(b) the reasons for the delay in commencing work on these overbridges ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha): (a) and (b) No proposals to construct road overbridges in replacement of the existing level crossing at Dabra Mandi and Birla Nagar have been received from the State Government so far. If any such proposals are received, the Railway would be prepared to construct the road over/under-bridges at its cost provided the schemes are approved by the State Government and provided also the State Government Road Authority agree to construct the road approaches at their cost as per extent rules.

. As regards Morena Station, the construction of an overbridge in replacement of the existing level crossing was programmed by the Railway during 1965-66, but in May,1967, while the details of the scheme were still under correspondence between the Railway Administration and the State Government, the latter informed the Railway Administration that the level crossing would be required even after the construction of the road overbridge and that as such the construction of the road over-bridge may be treated

as a deposit work chargeable only to the State Government. Revised estimate is now under preparation by the Railway and would be sent to the State Government for their acceptance. The construction of the overbridge will be taken up by the Railway as soon as the plans are finalised, and the State Government convey their acceptance to the estimated initial and recurring cost involved.

संसद् सदस्यों के लिये परिचय पत्र तथा रेलवे पास

2086. श्री शिवचन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिचय-पत्र तथा रेलवे पास रखने वाले संसद सदस्यों को आरक्षण शुल्क के पचास पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि कुछ स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों को इस सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से सूचित नहीं किया गया है; और

(ग) आरक्षण में संसद् सदस्यों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं, क्या आखिरी वक्त कराये गये आरक्षण को रद्द करके भी किसी संसद् सदस्य को प्राथमिकता दी जाती है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं । संसद् सदस्यों को निर्धारित आरक्षण शुल्क देना पड़ता है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं । उच्च अधिकारियों के लिए निर्धारित कोटे में से इस्तेमाल न हुई जगहों का नियतन करते समय प्रतीक्षा सूची में रखे गये संसद् सदस्यों को दूसरों की अपेक्षा तब तरजीह दी जाती है, जब वे संसदीय काम के सिलसिले में यात्रा करते हैं ।

बरेली और भोजीपुरा के बीच रेल की पटरी को दोहरा करना

2087. डा० महादेव प्रसाद : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के बरेली-जंक्शन और भोजीपुरा स्टेशनों के बीच रेल की पटरी को दोहरा करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रस्ताव की क्रियान्वित पर कितना धन व्यय होगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : 19 किलोमीटर लम्बे बरेली जंक्शन–भोजीपुरा खण्ड पर बरेली जंक्शन और आइजटनगर के बीच (7 कि०मी०) दोहरी लाइन बिछाने की मंजूरी हाल ही में दी गयी है जिसमें बरेली जंक्शन, बरेली शहर और आइजटनगर स्टेशनों पर अन्तर्पाश लगाना शामिल है । यातायात के वर्तमान स्तर को देखते हुए आइजटनगर और भोजीपुरा के बीच दोहरी लाइन बिछाना आवश्यक नहीं समझा जाता । बरेली जंक्शन और आइजटनगर के बीच दोहरी लाइन बिछाने के काम पर 44.19 लाख रु० खर्च होने का अनुमान है और वित्तीय दृष्टि से इसका औचित्य है ।

बंदमुंदा पर उपरि पुल

2088. श्री दे० अमात : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में उद्योग समूह को देखते हुए सरकार का विचार एशियाई क्षेत्र में दूसरे बड़े मार्शलिंग यार्ड बन्दमुन्दा पर एक उपरि रेल का पुल बनाने का है ताकि वहां पर यातायात आसानी से आ जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : जी नहीं।

(ख) बोंडामुंडा में किसी भी वर्तमान समपार के स्थान पर ऊपरी/निचला सड़क पुल बनाने के लिए उड़ीसा की राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

रेलें वर्तमान व्यस्त समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुल बनाने के लिए तैयार हैं बशर्ते इनकी योजना राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित की गयी हो और राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारी अपने हिस्से की लागत देने के लिए तैयार हों। मोटे तौर पर 24 फुट चौड़े पुल खास की लागत रेलवे देती है और ढलवां पहुँच मार्गों और पुल की अपेक्षित अतिरिक्त चौड़ाई की लागत राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारी को देनी पड़ती है।

बड़ौदा कताई तथा बुनाई कारखाना

2089. श्री याज्ञिक : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह हाल ही में बड़ौदा कताई तथा बुनाई कारखाने के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमण्डल से मिले थे और उन्हें आश्वासन दिया था कि वह इस मिल को पुनः चालू कराने के उद्देश्य से इस मिल के मामलों की जांच कराने के लिये तत्काल कार्यवाही करेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मिल के मामलों के बारे में जो काफी मास से बन्द पड़ा है, किसी जांच कराने का आदेश दे दिया गया है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : मामला विचाराधीन है।

गोहाद और ननेरी स्टेशनों के बीच दुर्घटना

2090. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 मई, 1967 को भिंड-ग्वालियर छोटी लाइन सेक्शन पर गोहाद रोड तथा ननेरी रेलवे स्टेशनों के बीच एक मिली जुली गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से अनेक व्यक्ति हताहत हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो मृतकों तथा घायलों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) इस दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(घ) रेलवे की सम्पत्ति को कुल कितनी क्षति हुई थी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : दुर्घटना गोहाद रोड और नोनेरा स्टेशनों के बीच हुई। इस दुर्घटना में 3 व्यक्ति मर गये और 31 घायल हुए जिनमें से 27 को मामूली या छोटी-मोटी चोटें आयीं।

(ग) दुर्घटना के कारण की जांच रेल संरक्षा के अपर आयुक्त द्वारा की जा रही है जो कि ऐसी दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए विधिक प्राधिकारी हैं।

(घ) रेल सम्पत्ति को लगभग 10,500 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

खनन पट्टे

2091. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनन पट्टों के लिये विभिन्न राज्यों के कुल कितने प्रार्थना-पत्र पुनरीक्षण के लिये इस समय सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) उन प्राथियों के नाम क्या हैं जिनके मामले में उड़ीसा सरकार ने ये पट्टे देने की सिफारिश की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 31–5–1967 तक विभिन्न राज्यों से प्राप्त 449 पुनरीक्षण आवेदन पत्र निपटारे के लिए विचाराधीन हैं।

(ख) पूर्वेक्षण-लाइसेंस। खनन पट्टे के लिए निम्न पक्षों के आवेदन पत्र उड़ीसा सरकार द्वारा अभिस्तावित किये गये हैं :—

1 श्री विजय कृष्ण लाल

2 मैसर्स श्री नारायण कम्पनी

3 श्री एस० सी० पाधी

4 श्री एस० एन० अग्रवाल

5 श्री एन० के० दास

ये आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

कटक से पारादीप तक बिजली से चलने वाली गाड़ियां

2092. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोह-अयस्क को शीघ्रता से लाने ले जाने के लिये कटक और पारादीप के बीच बिजली से चलने वाली गाड़ियां चलाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या खड़गपुर और खुर्दा के बीच अथवा दक्षिण-पूर्व रेलवे में बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ चलाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिमी जर्मनी को इंजीनियरी सामान का निर्यात

2093. **श्री रा० बरुआ** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन सरकार (संघीय गणराज्य) ने भारत सरकार से कोई ऐसी पेशकश की है कि भारत जर्मनी को इन्जीनियरी सामान का निर्यात बढ़ाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच इस बारे में कोई कार्य-विधि तय हो गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना के प्रणेता श्री एच० वोलरथ योजना के ब्यौरों पर विचार-विमर्श करने के लिये हाल ही में भारत आये थे तथा उनके साथ अस्थायी रूप में यह तय हुआ है कि योजना पर अमल अक्टूबर, 1967 के पहले सप्ताह से प्रारम्भ हो सकता है ।

Derailment of 26 Up Island Express at Kuppam

2094. Shri Sharda Nand :
Shri J. B. Singh :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the statemnet made by him in the House on the 22nd May, 1967, and state ;

(a) Whether the investigation into the derailment of train No. 26 Up Island Express at Kuppam station on the 21st may, 1967, has been completed :

(b) if so, the causes of the accident revealed by the investigation, and

(c) the estimated damage caused to the railway property thereby and the nature of assistance provided by Government to the families of persons killed in the accident ?

The Minister of Railway (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) The Additional Commissioner of Railway Safety, Bangalore who held a statutory enquiry into this accident has submitted his preliminary report. According to his provisional finding, the accident appears to have been caused by the failure of vacuum brake equipment in the train.

The Sub Collector and Sub Divisional Magistrate, madanapalle has also held a magisterial enquiry into this accident. His report has not yet been received.

(c) The cost of damage to Railway property has been estimated at approximately Rs, 4, 52, 550/-

An ex. gratia payment of Rs. 13, 600/- has so far been made to the next of kin of persons killed. Claims for compensation will be adjudicated by the Ad Hoc Claims Commissioner as and when claims are received. So far no claim has been received,

दानापुर और मुगलसराय स्थित रेलवे स्कूलों के क्लर्क

2095. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री एस०एम० जोशी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलवे स्कूलों के क्लर्कों को रेलवे के अन्य विभागों के क्लर्कों के बराबर समझा जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि दानापुर और मुगलसराय स्थित रेलवे स्कूलों के क्लर्कों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के बारे में रेलवे के अन्य विभागों के क्लर्कों के बराबर नहीं माना गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या करण थे ; और

(घ) अन्य क्लर्कों की तरह 11 मई, 1935 को जारी किये गये रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार 1956 से पहले उन्हें उनकी यथोचित पदोन्नति नहीं करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Export of Khadi Cloth

2096. **Shri Ramachandra Veerappa :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether a survey has been conducted to assess the prospects of export of khadi cloth;

(b) if so, the result thereof; and

(c) the steps being taken to promote the export of khadi cloth ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir.

(b) Only samples of raw silk worth a few thousand rupees were sent to America.

(c) The Khadi and Village Industries Commission has decided not to proceed with the export of Khadi.

Production of H. M. T. Ltd.

2097. **Shri Ramachandra Veerappa :** Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state ;

(a) the production in the Hindustan Machine Tools Ltd., during 1965-66;

(b) whether production is enough to cope with the requirements of the country; and.

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Rs. 11 32 crores worth of machine tools and Rs. 1.98 crores worth of wrist watches.

(b) No, Sir.

(c) It is not possible for a single unit to meet the country's entire demand for machine tools as there are innumerable varieties of machine tools. As regards watches, the production capacity of Hindustan Machine Tools Limited is 360,000 numbers of watches a year as against an estimated demand of 1 million numbers a year.

Yamuna Bridge (Agra)

2098. Shri Shiv Charan Lal : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether a scheme was formulated to increase the capacity of Yamuna Bridge Yard (Agra) so that more goods trains could be accommodated there, if so, the amount sanctioned for the purpose;

(b) whether it is a fact that after incurring heavy expenditure, the said scheme has been suddenly scrapped; and

(c) if so, the basis for formulating the said scheme, the reasons for which it has been scrapped now and the persons responsible for this infructuous expenditure ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. The estimated cost of the scheme is Rs. 9.85 lakhs.

(b) No.

(c) Doss net arise.

रूरकेला उर्वरक कारखाना में उत्पादन

2100. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला उर्वरक कारखाने में हाल में उत्पादन बढ़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : जी, हां। राउरकेला उर्वरक कारखाने का 1966-67 का कैल्सियम एमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन 188, 236 टन था जबकि 1965-66 का उत्पादन 158, 780 टन था। अप्रैल 1967 में 24, 534 टन का उत्पादन हुआ।

मैसर्स जी० एस० एम्पोरियम, कलकत्ता

2101. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्धक का आयात करने के लिये कलकत्ता की मैसर्स पी० एस० एम्पोरियम नामक फर्म को लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब तथा क्या इस फर्म का प्रबन्ध निदेशक जासूसी के एक मामले से सम्बद्ध है ; और

(ग) क्या इस व्यक्ति के विरुद्ध केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा कोई जांच की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : इस फर्म अथवा उसके प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा किसी मामले की जांच नहीं की जा रही है ।

Halt Station Between Motipur and Kanti Stations

2102. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister for **Railways** be pleased to state.

(a) whether any request from public for providing a new halt station between Motipur and Kanti Stations on the Muzaffarpur Narkotiaganj line of the North Eastern Railway is pending with Government and an inquiry has also been condcted in regard thereto; and

(b) if so, the steps taken in that regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा बेची गई रेलों पर उत्पादन-शुल्क

2103. रा० की० अमीन : क्या इस्पात, खान और धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने 105 पाउण्ड की दूसरे दर्जे की उन रेलों को, जिन्हें रेलवे ने अस्वीकार कर दिया था, केवल पुनर्वेलन के प्रयोजनार्थ पुनर्वेलन मिलों को बेच दिया था,

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने दूसरे दर्जे की रेलों को खरीदे जाने के एक वर्ष बाद पुनर्वेलन मिलों को उत्पादन शुल्क देने के लिए कहा है जब कि निर्माता होने के नाते उत्पादन शुल्क की बकाया राशि देने को स्पष्ट उत्तरदायित्व मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को था, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० च० सेठी) (क) (ख) और (ग) : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने 105 पाउण्ड वजन की द्वितीय श्रेणी की रेल की पटरी, जो रेलवे के इस्तेमाल में नहीं आ सकती थी, को दूसरे खरीददारों को, जिनमें पुनर्वेलन भी शामिल है, बेची हैं । रेल की पटरी पर 75 रुपये प्रतिटन उत्पादन शुल्क है जिसे केवल बिक्री के समय लिया जाता है । रेल के उत्पादक तथा विक्रेता की हैसियत से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड 75 रुपये प्रति टन के हिसाब से अदायगी करने के लिए जिम्मेदार है ।

तैयार छड़ों पर उत्पादन शुल्क 125 रुपये प्रतिटन है। केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिनियम तथा नियमों के अनुसार यदि पुनर्वेलक द्वितीय श्रेणी की रेल की पटरी से, जिस पर 75 रुपये प्रति टन उत्पादन शुल्क दिया जा चुका है, छड़ बनाते हैं तो उन्हें उत्पादन शुल्क में अन्तर अर्थात् 50 रुपये प्रति टन और देना पड़ता है।

निर्यात

2104. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात को बढ़ाने के लिये उद्योग तथा व्यापार के प्रतिनिधियों के साथ कोई विचार-विमर्श हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य बातों पर विचार-विमर्श हुआ ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेशसिंह) : (क) और (ख) : आगामी सप्ताह के प्रारम्भ में उद्योग तथा व्यापार के प्रतिनिधियों के साथ निर्यात समस्याओं पर विचार-विमर्श करने का विचार है।

Overbridge at Mirzapur Railway Station

2105. Shri Ram Swarup :
Shri Banshi Narain Singh :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) The progress made so far in the construction of over--bridge at Mirzapur Railway Station; and

(b) When the work on the bridge is likely to be completed ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The general layout plan prepared by the Railway is under approval of the State Government.

(b) It would take about 18 months to complete the bridge proper which is to be done by the Railway from the time the State Government give their approval to the plans, provided the State Government who are to do the road approaches, undertake to complete their portion of the work also within this period.

इंजन मरम्मत वर्कशाप को गोहाटी से मालीगांव ले जाना

2106. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की एक इंजन मरम्मत वर्कशाप को गोहाटी से मालीगांव, पाण्डू ले जाया गया है;

(ख) पहली तथा वर्तमान वर्कशाप के बीच कितनी दूरी है;

(ग) इस वर्कशाप के हटाने पर कितना धन व्यय हुआ;

(घ) क्या यह सच है कि वर्तमान वर्कशाप इंजनों की मरम्मत के लिये अनुपयुक्त घोषित कर दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) 8 किलोमीटर।

(ग) मार्च, 1967 के अन्त तक 4,42, 200 रुपये।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोंकण रेलवे

2107. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) गोआ और मंगलौर को बम्बई से मिलाने वाली कोंकण रेलवे लाइन के आयोजन और निर्माण-कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) कोंकण रेलवे लाइन कितने वर्षों में पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख)। एक लाइन जो दीवा से निकल कर आप्ता पर समाप्त होती है, बनायी गयी है और उसको यातायात के लिए खोल दिया गया है। फिलहाल आप्ता से आगे गोआ/मंगलौर तक इस लाइन को बढ़ाने का विचार नहीं है।

बंकुरा दामोदर नदी घाटी कम्पनी को अपने हाथ में लेना

2108. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंकुरा दामोदर नदी घाटी कम्पनी तथा अहमदपुर कटवा रेलवे कम्पनी को अपने हाथ में लेने का है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों रेलवेज के कर्मचारियों को अन्य नौकरियां देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इन रेलवेज को अपने हाथ में लेने की शर्त के रूप में इन दोनों रेलवे के मालिकों को कितना प्रतिकर देने का विचार है; और

(घ) क्या इन मालिकों के समक्ष कोई विशेष शर्तें पेश की जा रही हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। सरकार इन कम्पनियों का स्वामित्व अधिग्रहण करना नहीं चाहती लेकिन 1.7 1967 से अहमदपुर–कटवा और बांकुरा-दामोदर नदी रेलों का संचालन कार्य अपने हाथ में लेने का निश्चय किया है।

(ख) अहमदपुर–कटवा और बांकुरा–दामोदर नदी रेलों के सभी स्थायी कर्मचारियों को यदि उपयुक्त पाये गये, तो ले लिया जायेगा और उन्हें क्रमशः पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलों में रख लिया जायेगा। रेलवे कम्पनियों की सेवा में लगे हुए अस्थायी कर्मचारियों में से भी रेलों के संचालन के लिए जितने कर्मचारियों की जरूरत होगी उतने कर्मचारियों को नये भर्ती किये गये कर्मचारियों के रूप में नौकरी दी जायेगी, बशर्ते वे उपयुक्त पाये जायें।

(ग) रेलवे कम्पनियों के साथ हुए समझौते की शर्तों के अधीन जब सरकार स्वामित्व अधिग्रहण किये बगैर इन लाइनों का कार्य संचालन अपने हाथ में लेती है तो कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती।

(घ) जी नहीं।

रेलवे का वायरलैस विंग

2109. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री एम० एम० जोशी :
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के वायरलैस विंग का पुनर्गठन किया जा रहा है;

(ख) ऐसा पुनर्गठन करने के क्या कारण हैं तथा इसका रेलवे के सुचारु रूप से काम करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) पुनर्गठन के कारण कितने कर्मचारी फालतू हो जायेंगे तथा उन्हें अन्य रोजगार देने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां।

(ख) रेलों पर शार्टवेव–संचार के लिए इस्तेमाल किये जा रहे बेतार स्टेशनों के अनुरक्षण की कार्य कुशलता में सुधार करने के उद्देश्य से।

(ग) इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है और अभी यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि इससे कुछ कर्मचारी फालतू हो जायेंगे।

Release of Cargo Seized by Pakistan

2110. Shri Mrityunjay Prasad : Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 91 on the 26th May, 1967 and state :

(a) the total value of Cargo released by Pakistan so far; and

(b) whether the value of cargo (impounded for $1\frac{1}{2}$ or 2 years, most of which has decayed or is likely to decay) demanded from Pakistan has been assessed on the basis of purchase price of 1965 or the current international market prices or the market price prevailing in Pakistan ?

The Miniser of Commerce (Shri Dinesh Singh) ; (a) the estimated value of the cargo released by Pakistan is Rs. 70 lakhs.

(b) The total value of the cargo seized by Pakistan has been estimated on the basis of the claims lodged by the consignees in India.

रूरकेला स्टील मिल्स

2111. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सटेनलैस स्टील की सिल्लियां तैयार करने के प्रयोजनार्थ रूरकेला स्टील मिल्स में किये जाने वाले परिवर्तन पूरे हो गये हैं;

(ख) इन परिवर्तनों के करने में कुल कितना खर्च हुआ है; और

(ग) मिल्स द्वारा सिल्लियों के बेलने का कार्य कब तक प्रारम्भ किये जाने की आशा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) से (ग) : दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखाने ने स्टेनलैस स्टील इंगाट का उत्पादन शुरू कर दिया है परन्तु ऐसी संभावना है कि इसकी ब्लूमिंग मिल और शीट मिल 1968 के अन्त तक ही स्थायी रूप से काम करने लगेगी। इसलिए ऐसा प्रस्ताव है कि इस बीच दुर्गापुर इस्पात कारखाना स्टेनलैस स्टील इंगाट का उत्पादन करेगा और उनको प्रेस करके सिल्लियां बनायेगा जिन्हें फिर राउरकेला कारखाने को उपयुक्त मोटाई के हाट बैंड में बदलने के लिए भेज दिया जाएगा। ऐसी आशा है कि परीक्षण के लिए इसका बेलन शीघ्र ही किया जाएगा। स्टेनलैस स्टील का परीक्षण बेलन करने के लिए राउरकेला इस्पात कारखाने मे कोई फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

राउरकेला इस्पात कारखाने में स्टेनलैस स्टील की सिल्लियां तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Railway Line From Hasanpur Road To Sakri Stations

2112. **Shri Kedar Paswan :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the construction of a railway line from Hasanpur Road to Sakri on the North Eastern Railway was sanctioned and a survey was also conducted in that regard; and

(b) if so, the action Government propose to take in this connection, the places through which the said line would pass and the names of stations likely to be provided on it ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

खादी तथा सूत का जमा होना

2113. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी तथा सूत का काफी स्टाक जमा हो गया है तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले पर सरकार विचार कर रही है ।

रेल के माल डिब्बों का निरीक्षण दल

2114. **श्री वि० कु० मोदक :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बे लेने के स्थानों पर रेल के माल डिब्बों का निरीक्षण करने के लिए रेलवे का अपना निरीक्षण दल है; और यदि हां, तो किस तारीख से;

(ख) उपर्युक्त तारीखों से पहले नये निर्मित माल डिब्बों के निरीक्षण की क्या व्यवस्था थी;

(ग) क्या इस कार्य के लिए संभरण तथा निपटान महा निदेशालय के कर्मचारी भी लिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो कितने; और

(ङ) संभरण तथा निपटान महानिदेशालय से इस उत्तरदायित्व को लेने का क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, हां । 1.3. 1965 से ।

(ख) निरीक्षण-कार्य पूर्ति और निपटान निदेशक, निरीक्षण स्कन्ध के अधान था ।

(ग) जी हां ।

(घ) 1. 6. 1967 को उनकी संख्या 34 थी ।

(ङ) रेलवे सम्बन्धी काम का अनुभव रखने वाले निरीक्षकों का उपयोग करके रेलवे के अभिकल्प तथा अनुरक्षण स्कन्धों और निर्माताओं के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से यह काम उनसे ले लिया गया है । ऐसा करने से रेलों के लिए प्राप्त किए गये डिब्बों के अभिकल्प और विशिष्ट में सुधार के साथ-साथ खर्च में किफायत और संरक्षा की स्थिति में भी सुधार होगा ।

रेलवे माल डिब्बे लेने वाले स्थान पर निरीक्षण

2115. **श्री वि० कु० मोदक :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से रेलवे ने रेलवे माल डिब्बों के लेने के स्थान पर

निरीक्षण करने का काम पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से लेकर स्वयं संभाल लिया है, तब से माल डिब्बे दिये जाने में काफी विलम्ब हो जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे विभाग अब भी पूर्ति तथा निपटान महा निदेशालय के पुराने कर्मचारियों की सेवाएं प्रयोग कर रहा है क्योंकि इस काम के लिये उनके पास अपने अनुभव-प्राप्त कर्मचारी नहीं हैं;

(ग) इस परिवर्तन के क्या विशेष कारण हैं; और

(घ) क्या रेलवे विभाग पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के कर्मचारियों को अपने विभाग में नियुक्त करने पर विचार कर रहा है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक के कर्मचारियों को निरीक्षण के काम पर केवल इसलिए लगाया गया है ताकि उन्हें आर्थिक कठिनाई से बचाया जा सके; इसलिए नहीं कि अनुभवी कर्मचारियों की कमी है।

(ग) रेलवे सम्बन्धी काम का अनुभव करने वाले निरीक्षकों का उपयोग करके रेलवे के अभिकल्प तथा अनुरक्षण स्कन्धों और निर्माताओं के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से यह काम उनसे ले लिया गया है। ऐसा करने से रेलों के लिए प्राप्त किये गये डिब्बों के अभिकल्प और विशिष्टि में सुधार के साथ-साथ खर्च में किफायत और संरक्षा की स्थिति में भी सुधार होगा।

(घ) इस पर विचार किया जा रहा है।

पश्चिमी जर्मनी को लौह अयस्क का निर्यात

2116. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मनी की सरकार भारत से लौह अयस्क तथा अन्य औद्योगिक सामान का आयात करने के लिये तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो भारत ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) पश्चिमी जर्मनी भारत से लौह अयस्क तथा अन्य औद्योगिक कच्चे माल एवं निर्मित वस्तुओं का आयात कर रहा है।

(ख) भारत ये मदें पश्चिम जर्मनी को अधिकाधिक मात्रा में भेज रहा है। 1964-65 में हमने 2.375 करोड़ डालर, 1965-66 में 2.578 करोड़ डालर, वर्ष 1966-67 के पहले नौ महीनों में 1.988 करोड़ डालर मूल्य का निर्यात किया है। इन वर्षों में क्रमश: 39.2 लाख, 81.2 लाख तथा 32.1 लाख डालर मूल्य के लौह अयस्क का निर्यात हुआ।

लोहे की नालीदार चादरें

2117. श्री राने : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में भारत में लोहे की नालीदार

चादरों का कितना निर्माण हुआ तथा इसकी मांग की तुलना में उत्पादन कितना कम व अधिक था;

(ख) उपरोक्त वर्षों में तथा अप्रैल और मई, 1967 में कृषकों तथा उद्योगपतियों को लोहे की कितनी नालीदार चादरें सप्लाई की गई;

(ग) कृषकों की कितनी प्रतिशत मांग उपरोक्त वर्षों में पूरी की गई;

(घ) कृषकों की मांग को पूरा करने के लिये लोहे की नालीदार चादरें बनाने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उनका आयात करने का है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 598/67**]

(घ) राउरकेला इस्पात कारखाने की नालीदार जस्ती और सादी चादरों की 160,000 टन की क्षमता है और सितम्बर 1967 से उत्पादन होने लगेगा। नालीदार जस्ती चादरों के उत्पादन में वृद्धि के लिए राउरकेला, इण्डियन आयरन तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को अग्रता के आधार पर जस्ते का आयात करने के लिए सहायता दी जा रही है।

(ङ) उत्पादन में वृद्धि होने की आशा से इस समय इनका आयात करने का कोई विचार नहीं है।

सियालदह सैक्शन में यात्रियों की भीड़

2118. श्री कं० हाल्दर : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि सियालदह सैक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ होने के कारण यात्रियों तथा रेलवे कर्मचारियों के बीच बार-बार झगड़े होते रहते हैं;

(ख) क्या इस सैक्शन पर गाड़ियों की संख्या बढ़ाने की सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। लेकिन यात्रियों द्वारा गाड़ियों में सुविधाजनक मेल, अतिरिक्त गाड़ियां चलाने, गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाने और गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने आदि की मांग करते हुए कुछ गाड़ियों को रोकने की घटनाएं हुई हैं।

(ख) और (ग) : बिजली गाड़ी के अतिरिक्त डिब्बों का निर्माण करने की योजना बनायी गयी है और जैसे-जैसे ये डिब्बे उपलब्ध होते जायेंगे वैसे-वैसे यातायात की यात्रा और उसके स्वरूप का ध्यान रखते हुए अतिरिक्त गाड़ियां चलाने के प्रश्न पर समुचित विचार किया जायेगा

हैवी प्लेट तथा वैंपल कारखाने का स्थान

2119. श्री श्रीधरन : श्री अनिरुद्धन :
श्री विश्वम्भरन : श्री अदिचन :
श्री मंगला थुमाडोम :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है कि हैवी प्लेट तथा वैंपल कारखाना कहां स्थापित किया जायेगा;

(ख) क्या चैकोस्लोवाकिया के विशेषज्ञों ने तकनीकी रूप से कोचीन को इस कारखाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान समझा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) जी, हां ।

(ख) चेकोस्लोवाकिया के विशेषज्ञों के दल के तकनीकी आर्थिक दृष्टि से विचार करने के लिये सुझाए गए स्थानों में से उसने प्रथम दृष्ट्या मद्रास, कोचीन और विशाखापटनम को उपयुक्त समझा और इनको निम्नलिखित क्रम में रखा :--

कोचीन, मद्रास, विशाखापटनम ।

(ग) विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर सावधानी से विचार करने के पश्चात और इनसे सम्बन्ध दूसरे मामलों जैसे कच्चे माल के स्त्रोत का निकट होना और मेसर्स फर्टिलाइजरज एण्ड केमिकल्स ट्रावंकोर लि० द्वारा कोचीन में इसी प्रकार का एक कारखाना लगाने के प्रस्ताव, जिस पर अलग से विचार किया जा रहा है, को देखते हुए भारत सरकार ने दो प्रस्तावित परियोजनाओं में से पहली परियोजना विशाखापटनम में स्थापित करने का निश्चय किया है । इस परियोजना को कार्यान्वित करने का काम अब भारत हैवी प्लेट एण्ड वैसल्ज लि० को जो कि पूर्णरूपेण भारत सरकार की कम्पनी है, को सौंपा गया है ।

केरल में कलमासेरी में मशीनी औजार बनाने का कारखाना

2120. श्री श्रीधरन : श्री अनिरुद्धन :
श्री विशम्भरन : श्री अदिचन :
श्री मंगलाथुमाडोम :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में कलमासेरी में मशीनी औजार बनाने के कारखाने के विस्तार कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) मशीनी औजारों की मांग गिर जाने के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० के कलमासेरी एकक के

विस्तार की योजना फिलहाल स्थगित कर दी गई है। कुछ समय तक बाजार का रुख देखने के पश्चात् इस योजना की पुनः जांच करने का विचार है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 525 के उत्तर में शुद्धि

Correction in Answer to unstarred Question No. 525

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : लोक-सभा में 26 मई 1967 को मैंने अतारांकित प्रश्न संख्या 525 का निम्नलिखित उत्तर दिया था :—

(क) और (ख) : संयुक्त संयंत्र समिति के भावी संगठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

उपर्युक्त उत्तर के स्थान पर निम्नलिखित उत्तर पढ़िये:—

(क) और (ख) : संयुक्त संयंत्र समिति के काम को निरीक्षण किया जाएगा। और इसके कार्यसंचालन को देखते हुये इसके भावी ढांचे के बारे में निर्णय किया जाएगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE-CONTD.

श्री बी० पटनायक के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई०) की रिपोर्ट उड़ीसा सरकार को देने से केन्द्रीय सरकार के इन्कार के समाचार

अध्यक्ष महोदय : मैं विधि तथा गृह-कार्य मन्त्रियों से निवेदन करूंगा कि वे कल उठाये गये मामलों पर प्रकाश डाले ताकि मैं बाद में कोई निर्णय कर सकूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैंने कल घूमने वाले (रिवोल्विंग) रस्टोरेंट के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी। राज्य सभा में उस पर चर्चा हो रही है। परन्तु यहां उस पर चर्चा के लिए कोई समय नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग विषय है।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : कल श्री नाथपाई तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों के बारे में आपने ठीक ही कहा था कि उनमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। गत लोक सभा में श्री कामत ने उड़ीसा के मंत्रियों की गतिविधियों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के तथाकथित प्रतिवेदन का सारांश सभा पटल पर रखा था। बाद में उक्त मामलों के बारे में श्री द्विवेदी ने एक पत्र सभापटल पर रखा था तथा यह दावा किया था कि वह केन्द्रीय जांच ब्यूरो के प्रतिवेदन की एक प्रति है। इस तथ्य के आधार पर कि इस प्रतिवेदन को सभापटल पर रखा गया था यह दावा किया जाता है कि वह प्रतिवेदन सार्वजनिक सम्पत्ति बन गया है। यह भी कहा गया है कि इन दस्तावेजों को बड़ी संख्या में मुद्रित किया गया तथा परिचालित किया गया था अतः इस कारण भी ये दस्तावेज सार्वजनिक सम्पत्ति बन गये हैं।

इस बारे में 26 फरवरी, 1965 को भूतपूर्व अध्यक्ष श्री हुकम सिंह द्वारा दिये गये एक विनिर्णय का मैं उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी सदस्य साधारण तौर पर ऐसे दस्तावेज से उद्धरण दे सकता है जिसे सरकार गोपनीय समझती हो और जिसे उसने लोकहित में प्रकट न किया हो। दूसरे सरकार को ऐसे किसी दस्तावेज को सभापटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता जिस सरकार के विचार में सभापटल पर रखना लोकहित में न हो; तीसरे यह निर्णय करना सरकार का काम है कि वह ऐसे किसी दस्तावेज को जो पूर्णत: अथवा आंशिकरूप से समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका हो गोपनीय समझे और सभापटल पर रखे अथवा नहीं। इसलिए यद्यपि सदस्यों के कहने के अनुसार प्रतिवेदन का सारांश अथवा प्रति सभापटल पर रखी जा चुकी है तथापि सरकार यह दावा कर सकती है कि उक्त प्रतिवेदन गोपनीय है तथा उसको प्रकट करने, किसी को बताने तथा प्रकाशित करने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। यह मामला नियम 197 के अन्तर्गत उठाया गया है जिसमें यह स्पष्ट है कि वक्तव्यों पर चर्चा नहीं उठायी जा सकती इसलिए इस बात का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता कि सरकार उस प्रतिवेदन को सभापटल :पर रखे अथवा नहीं। अत: इस मामले को समाप्त किया जाना चाहिए। जांच करने पर यदि यह कहा जाये कि इसको साक्ष्य के लिए स्वीकार करता है तो सरकार विचार कर सकती है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : इस मामले के तकनीकी पहलू पर माननीय विधि मंत्री ने पर्याप्त प्रकाश डाल दिया है। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस मामले में सरकार का इरादा किसी व्यक्ति को संरक्षण देने का नहीं है। वास्तव में उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने इस मामले के बारे में मेरे साथ बातचीत की थी। मैंने उन्हें अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया था। मैंने उन्हें यह भी कहा था कि यदि वह और आगे जांच के लिए किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त पर लेने चाहें तो मैं ऐसा करने को तैयार हूं। उन्होंने हाल ही में मुझे दिल्ली के किसी न्यायधीश को जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए लिखा है और मैंने इस मामले के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बातचीत की है। इसलिए उनको सहयोग न देने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जब तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री के पास इस मामले के बारे में एक ज्ञापन भेजा गया तो उन्होंने उनको परामर्श देने के लिए मंत्रिमण्डल की एक उपसमिति नियुक्ति की उस उपसमिति ने इस मामले को निपटाने के बारे में कुछ प्रक्रियाओं के बारे में निर्णय किया तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक को उड़ीसा सचिवालय के दस्तावेजों से कुछ तथ्यों की जांच करने के लिए कहा गया। इसलिए उस निदेशक द्वारा उप-समिति को जो दस्तावेज दिया गया था वह जांच प्रतिवेदन नहीं था।

वास्तव में इस दस्तावेज के न देने से किसी प्रकार की जांच में कोई बाधा नहीं पड़ सकती क्योंकि जिस दस्तावेज पर समूची जांच आधारित है वह उड़ीसा सरकार के पास ही है। इसलिए यदि उड़ीसा सरकार कुछ छानबीन करना चाहती है तो वह आसानी से कर सकती है। श्री मधु लिमये ने लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन का हवाला दिया है। आमतौर पर उन प्रतिवेदनों पर लोकसभा में चर्चा नहीं की जाती। 1963 में मैंने ही यह निर्णय लिया था कि भारतीय वायुसेना की जो नाममात्र फालतू क्षमता है उसको इस काम के लिए प्रयोग न

किया जाये क्योंकि उस समय स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया था और युद्ध भड़क उठने का खतरा था ।

श्री लोहिया ने जो प्रश्न उठाया था उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जैसे उड़ीसा सरकार राज्यपाल के नाम पर काम करती है तथा राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इस प्रकार राज्यपाल के नाम पर किया गया काम राष्ट्रपति के नाम पर किया गया समझा जाता है इसी प्रकार हम भी सभी काम राष्ट्रपति के नाम पर ही करते हैं । हम इस दस्तावेज को गुप्त रखने के विशेषाधिकार का इसलिए दावा कर रहे हैं क्योंकि यह एक जांच प्रतिवेदन न होकर मंत्रिमण्डल एक दस्तावेज है । यदि एक बार सरकार ऐसे दस्तावेजों को सभापटल पर रखना आरम्भ करदे तो फिर किसी भी दल की सरकार के लिए कार्य करना कठिन हो जायेगा । अन्यथा इस बारे में सरकार का रवैया उड़ीसा सरकार को सहयोग देने का है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने के पश्चात् ध्यान दिलाने वाली सूचना को लिया जायेगा तथा माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकेंगे ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I was not wrong yesterday when I quoted the reports of the Public Accounts Committee. It is also not wrong to draw conclusions from what is written there in the reports.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं एक नई बात कहने जा रहा हूं । गृह-कार्य मंत्री ने अभी-अभी कहा कि कोई जांच आदि नहीं की गई थी । यह सच नहीं है कि मंत्रिमण्डल की उप-समिति को कुछ जानकारी चाहिये थी । बल्कि इस मामले में जांच करने के लिये सरकार ने दिल्ली राज्य पुलिस संस्थापन अधिनियम के अन्तर्गत एक नियमित मामला दर्ज किया गया था । तभी केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने आरम्भिक जांच की थी, इस बारे में श्री कोहली ने 15 नवम्बर 1964 को गृह-मंत्रालय मे सचिव को एक पत्र भी लिखा था, परन्तु अब गृह-कार्य मंत्री इस बात की आढ़ ले रहे हैं कि कोई नियमित जांच नहीं की गई थी । प्रश्न यह नहीं है कि यह जांच नियमित थी अथवा अनियमित । सच यह है कि इस मामले की जांच की गई थी, अधिकारी भेजे गये थे तथा धन व्यय किया गया था । केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने प्रतिवेदन उप-समिति को नहीं बल्कि गृह-सचिव को प्रस्तुत किया था । यद्यपि प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि उनके पास पूरी जांच करने के हेतु पर्याप्त समय नहीं था तथापि जांच चाहे पूरी हो अथवा नहीं थी तो वह जांच दी । इसलिए जब राज्य सरकार उस प्रतिवेदन की प्रति मांगती है तो सरकार इन तर्कों की आड़ नहीं ले सकती ।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : मैं नियम 376 के अन्तर्गत इस बात पर आप का निर्णय चाहता हूं व्यवस्था के प्रश्न तथा इसके अन्तर्गत जांच का क्षेत्र क्या है । नियम 376 (1) के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को व्यवस्था का प्रश्न उठाते समय प्रक्रिया संबंधी नियमों तथा संविधान के उपबन्धों के किसी नियम का उल्लेख करना चाहिए ।

अध्यक्ष को यह निर्णय करना होता है कि क्या कोई व्यवस्था का प्रश्न वास्तव में व्यवस्था से सम्बधित है भी कि नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : सारी बात सुनने के बाद ही पता लग सकता कि कोई प्रश्न वास्तव में व्यवस्था का प्रश्न है कि नहीं। किसी सदस्य के लिए किसी नियम का उल्लेख करना कोई कठिन बात नहीं है। इसलिए मैं इस बारे में अधिक कठोर नहीं हूं।

Shri M. A. Khan (Kasganj) : I would like to know whether the proceedings of the House which are going on even after your refusal to it will also be recorded ?

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : अब यह कहा जा रहा कि वह गुप्त दस्तावेज है और मंत्रिमण्डलीय उप-समिति के निर्णय पर पहुंचने में सहायता के लिए था। इस विषय पर पिछले अध्यक्ष का विनिगर्म बिल्कुल स्पष्ट है।

"—कि यदि उनका यह विचार जारी रहे कि ऐसा करना लोक हित में नहीं है—"

अब तक मंत्री महोदय ने यह नहीं कहा कि इस दस्तावेज को प्रकट करना लोक हित में नहीं है।

1963 में श्री दाजी—जोकि अब यहां नहीं है, ने महान्यायवादी और विवियन बोस की रिपोर्ट के कुछ अंशों का उल्लेख किया था उस समय स्वयं उद्योग मंत्री ने वह गुप्त दस्तावेज सभापटल पर रख दिया था। परन्तु यह अवश्य कहा गया था कि सरकार यह नहीं समझती कि प्रतिवेदन के इस भाग को लगातार गुप्त समझने से कोई लाभदायक उद्देश्य पूरा होगा। वर्तमान मामले के बारे में समूचे देश को जानकारी प्राप्त है। इसलिए मुझे आशा है कि सरकार उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकार को उपलब्ध कर देगी।

श्री क० कृ० नायर (बहराइच) : माननीय विधि मंत्री ने कुछ कानूनी पहलू उठाये हैं। उन्होंने कहा है कि इस बारे में सरकार को विशेषाधिकार प्राप्त है। परन्तु अध्यक्ष महोदय विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में आपको निर्णय करना है।

विशेषाधिकार बिना किसी कारण के प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस बात का निश्चय आपको करना है कि सरकार द्वारा विशेषधिकार की मांग सही है या नहीं। इसी प्रकार यदि इसे लोक-हित का मामला बनाया जाता है तो इस विषय में भी निश्चय आपको ही करना है कि यह लोक-हित का मामला है या नहीं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तर्क नहीं था।

श्री क० कृ० नायर : विशेषधिकार की मांग इसी आधार पर की जा रही है कि यह मामला लोक-हित का है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सारे मामले का विश्लेषण करने जा रहे हैं ?

श्री क० कृ० नायर : जी नहीं......

अध्यक्ष महोदय : और आप क्या कर रहे हैं ? ऐसा नहीं हो सकता। अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे। (व्यवधान) मैं इस समय विनिर्णय नहीं दूंगा। मैं इस विषय पर सोमवार को विनिर्णय दूंगा।

सभा-पटल पर पत्र रखे गये

PAPERS LAID OF THE TABLE

कम्पनी अधिनियम की धारा 620—क की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 620—क की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) जी० एस० आर० 607 जो दिनांक 29 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 608 जो दिनांक 29 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 580/67]

रबड़ बोर्ड के क्रियाकलापों के विषय में वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं निम्नलिखित पत्र की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

रबड़ बोर्ड के वर्ष 1965-66 के क्रियाकलापों के विषय में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 581/67]

रबड़ बोर्ड के वर्ष 1965-66 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति। [पुस्तकायल में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 581/67]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत रुई नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 13 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1965 में प्रकाशित हुआ था। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 582/67]

नियम समिति

RULES COMMITTEE

पहला प्रतिवेदन

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331 के उपनियम (1) के अन्तर्गत नियम समिति का पहला प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 584]

राज्य-सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

"मुझे लोक-सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य-सभा ने 6 जून, 1967 की अपनी बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया है कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक 1966 को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाय और लोक-सभा से प्रार्थना की जाय कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में वे अपनी सहमति और उपरोक्त संयुक्त समिति के लिये नियुक्त किये गये लोक-सभा के सदस्यों के नाम इस सभा को भेज दें।"

प्रस्ताव

"कि राज्य-सभा ने अपनी 6 जून, 1967 की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया है कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 1966 को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें राज्य-सभा के 15 सदस्य अर्थात् :–

(1) श्रीमती वायलेट आल्वा
(2) श्री के० एम० रामास्वामी
(3) श्री एम० पी० भार्गव
(4) श्री एम० गोविन्द रेड्डी
(5) श्री नन्द किशोर भट्ट
(6) श्री अकबर अली खां
(7) श्री बी० के० पी० सिन्हा
(8) श्री एम० एम० धारिया
(9) श्री कृष्ण कान्त
(10) श्री भूपेश गुप्त
(11) श्री के० सुन्दरम्
(12) श्री राज नारायण
(13) श्री बांके बिहारी दास
(14) श्री डी० तेनगारी
(15) श्री ए० पी० चटर्जी

और लोक-सभा के 30 सदस्य हों और सिफारिश है कि लोक-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और लोक-सभा द्वारा उक्त संयुक्त समिति के लिए नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम उस सभा को सूचित करें।

———

स्वेज नहर के बन्द हो जाने के कारण जहाजों के भारत पहुंचने में विलम्ब के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING DELAY IN THE ARRIVAL OF FOOD SHIPS IN INDIA DUE TO CLOSURE OF SWEZ CANAL

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं स्वेज नहर के बन्द हो जाने के कारण खाद्यान्नों के विलम्ब से पहुँचने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 583/67]

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं 12 जून, 1967 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य से सम्बन्धित एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ :-

(1) वर्ष 1967-68 के सामान्य बजट पर आगे चर्चा।

विचार तथा पारित करना

(2) भ्रष्टाचार विरोध विधियां (संशोधन) विधेयक, 1967 पारपत्र विधेयक. 1967, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

चर्चा तथा मतदान

(3) वर्ष 1967-68 सम्बन्धी अनुदानों की मांगों (रेलवे) वर्ष 1964-65 सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवे)

(4) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 1966, को एक संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य-सभा की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव पर विचार।

(5) अवैध गतिविधियां (निवारण) विधेयक, 1967।

विभिन्न मंत्रालयों सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान निम्नलिखित क्रम में होगा :–

प्रतिरक्षा
वाणिज्य
गृह-कार्य
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार।
सिंचाई तथा विद्युत
संचार
श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास
वैदेशिक-कार्य
औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य

निर्माण, आवास तथा सम्भरण
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन
सूचना तथा प्रसारण
शिक्षा
योजना आयोग तथा समाज कल्याण
वित्त
अणु शक्ति
इस्पात, खान तथा धातु
पेट्रोलियम तथा रसायन
परिवहन तथा नौवहन
पर्यटन तथा सैनिक उड्डयन
संसद्-कार्य
विधि

श्री स० मो बनर्जी (कानपुर) : गत शुक्रवार को जब संसदीय कार्य मंत्री ने सभा में कार्य की घोषणा की थी तो मैंने कहा था कि रुस्री और एशियाटिक समवायों का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाये। दूसरी बात मैं यह चाहता हूँ कि महंगाई भत्ता आयोग के प्रतिवेदन तथा प्रतिरक्षा संस्थानों में छंटनी के मामले पर चर्चा की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अब मध्यान्ह भोजन के लिये सभा स्थगित होगी और दो बजे फिर समवेत होगी।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for luch till Fourteen of the Clock

---

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात दो बजे म० प० समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at Fourteen of the Clock

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Dy. Speaker** *in the Chair* }

सभा का कार्य जारी

BUSINESS OF THE HOUSE CONTD.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I support Shri S. M. Banerjee and I want that the House should discuss Gajendrgarkar Commission's Report. The prices of various commodities go on rising and there is great heart--burning amongst Government servants.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैं चाहता हूं कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की जाये। भारतीय जवानों की हत्या के बारे में जो कुछ सरकार ने कहा है, मेजर जनरल रिखी के वक्तव्य से उसका खण्डन हो जाता है। इसलिए इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिये।

Shri Madhu Limaye : The situation in West Asia should de discussed. I also want to know when Monoply Commission's Report and Hazari Report are going to be discussed in this House ?

संसद कार्य तथा संचार मन्त्री (डा. राम सुभग सिंह): जहां तक मंहगाई भत्ता आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने का सम्बन्ध है इस मामले पर पहले सरकार विचार करेगी और उस के बाद इस सभा में चर्चा के लिए समय नियत किया जायेगा

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : The Government have not taken any decision with regard to the recommendations of D. A. Commission and therefore there is great resentment amongst Government servants. I am, therefore, of the view that this Report should be discussed in the House so that Government may be in a position to know the view point of the people.

Shri S. M. Joshi (Poona) : There will be no use of discussion after taking a decision.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikangarh) : I want to know whether the report of Scheduled Castes Commissioner's will be discussed in the House in the next week ?

Dr. Ram Subhag Singh : The Report the of Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is already on the agenda and the same will be discussed in the House after we finish the discussion on budget. So far the question of discussion on D. A. Commission's Report is concerned, it will de done only after Government have examined this Report.

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मेरे विचार में सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्णय लेने से पूर्व इस मामले पर चर्चा करना उचित नहीं होगा। क्योंकि यदि चर्चा की जाती है तो मैं उस मामले मैं क्या कह सकूंगा ?

Shri S, M. Joshi : It would be better if you consult the House before taking a decision.

Dr, Ram Subhag Singh : We will think over it. So far the question of discussion on the situation of West Asia is concerned. 7th July has been allotted for the demands of Ministry of External Affairs.

Shri S. M. Joshi : The Report of the Commission of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be made available in Hindi.

Dr. Ram Subhag Singh : We shall try to do so.

स्वेज नहर के बन्द हो जाने के कारण खाद्यान्नों के जहाजों के भारत पहुँचने में विलम्ब के बारे में वक्तव्य-जारी

STATEMENT REGARDING DELAY IN THE ARRIVAL OF FOOD SHIPS IN INDIA DUE TO CLOSURE OF SWEZ CANAL--CONTD......

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : युद्ध में शामिल होगें देशों द्वारा युद्ध विराम सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के पश्चात पश्चिम एशिया की स्थिति में एक नाटकीय मोड़ आ

गया है। परन्तु दुर्भाग्य से स्वेज नहर का मार्ग अभी तक खुला नहीं। हमारे देश में अकाल की स्थिति का विचार करते हुए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिससे खाद्यान्न भारत में जल्दी से पहुंच सके और हम इस निराशाजनक स्थिति का सामना कर सकें।

खाद्य मंत्री (श्री जगजीवन राम) : अब युद्ध विराम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। हम राष्ट्र संघ के माध्यम से भी कोशिश करेंगे और हमारे प्रतिनिधि भी कोशिश करेंगे कि स्थिति सामान्य हो जाय जिससे यहां खाद्यान्न पहुंच जाये।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : There does not seem to be any difference in our policy with regard to Suez Canal. I am of the view that we should not depend on American Wheat or Suez Canal.

I want to know whether or not we can make concerted efforts in order to grow more foodgrains during the months of July and August?

I can offer many volunteers for this purpose. I think all the political parties would agree to it. It would be better if this matteris discussed with our Chairman, Shri Joshi. I think we will be in position to produce 50 lakhs tons of additional foodgrains in a few weeks' time I want to know whether the Hon'ble Minister is prepared to take any concrete steps in this direction and whether he is prepared to discuss this matter with our Chairman ?

Shri Jagjivan Ram : I welcome this suggestion. I am always of the view that we should produce foodgrains in our country to the extent that we need not import them at all. I would appreciate if leaders of all the social and political parties launch compaign so that irrigation facilities are provided to the farmers and we may produce sufficient food grains.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : It has been stated that Suez Canal is still closed and it may remain closed for sometime more. I want to know the quantum of shortage of foodgrains as a result of closure of Suez Canal. The Hon'ble Minister has stated that less quantity of foodgrains will be supplied to States. What steps have been taken by the Government to meet this shortage ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjivan Ram) ; I cannot tell exact quantity of shortage of foodgrains in various States. I have sent telegrams to the Chief Ministers of all the States only yesterday and I hope that the picture will become clear in a day or two.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि $2\frac{1}{2}$ लाख टन अनाज उन जहाजों में लदा हुआ है। जो समुद्र में खड़े हैं। इस अनाज के न पहुंचने से देश में जो अनाज है उसे फिर से बांटना होगा। तो अनाज को फिर से बांटने का काम किस आधार पर किया जायेगा।

श्री जगजीवन राम : सबसे सरल उपाय यह है कि सभी राज्यों के लिए जितना अनाज नियत किया गया है उसमें से एक जैसी कटौती कर दी जाये। ऐसा करते हुए कुछ राज्यों की विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ेगा।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : यह स्थिति इन राज्यों के लिए और भी खराब है

जिनमें अनाज की पहले ही कमी है और वे केन्द्र से सहायता चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं, कि क्या सरकार देश के अन्दर अनाज की वसूली करने का काम और तेजी से करने का विचार कर रही है ?

श्री जगजीवन राम : मैं सभी राज्यों में वसूली के काम की आवश्यकता पर बल देता रहा हूं। मुझे आशा है कि युद्ध बन्द हो जाने के कारण अब स्वेज नहर शीघ्र ही खुल जायेगी। फिर भी मैं इस समस्या पर विचार करने के लिए मुख्य मन्त्रियों की स्थायी समिति का एक सम्मेलन बुलाने पर विचार कर रहा हूं मैं राज्यों को वसूली का काम तेज करने के लिए फिर कहूंगा।

श्री सेक्वीरा (गोआ, दमन तथा दीव) : क्या उस सम्मेलन में इस सुझाव पर भी विचार किया जायेगा कि मन्त्री महोदय फालतू अनाज वाले राज्यों के मुख्य मन्त्रियों से कहें कि जितने अनाज की वसूली हो उस पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण हो और केन्द्र सरकार ही सभी राज्यों में उसका समान रूप से वितरण करे ?

श्री जगजीवन राम : वास्तव में यह व्यवस्था तो अब भी है कि फालतू अनाज वाले राज्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद सभी अनाज केन्द्र के हवाले कर देते हैं और केन्द्र सरकार कम अनाज वाले राज्यों में उसका वितरण करती है।

श्री रा० कृ० सिन्हा (फैजाबाद) : डा० लोहिया ने कहा था कि देश में खाद्यान्न का उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सभी राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि देश के युवकों अनिवार्य रूप से भर्ती करने खाद्य संकट के मामले में उनका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करना चाहिए। इसलिए एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाना चाहिये जिसमें युवक और विद्यार्थी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी निमंत्रण दिया जाना चाहिए और उस सम्मेलन में खाद्य समस्या का समाधान ढूंढना चाहिये ताकि हम सदा विदेशों से अनाज न मंगवाते रहें।

श्री जगजीवन राम : मैंने यह पहले भी कहा था कि मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं और मैं पहले संसद में सभी दलों के नेताओं का एक सम्मेलन बुलवाऊंगा।

Dr. Ram Manohar Lohia : The Hon'ble Minister should see Shri Joshi in the first instance.

Shri Jagjivan Ram : I shall see him.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : क्या मंत्री महोदय इस बात की पुष्टि करेंगे कि पश्चिम एशिया के संकट के कारण अमेरिका ने हमें भेजे जाने वाले अनाज को नहीं रोका और पश्चिम एशिया के संकट के बारे में हमारे दृष्टिकोण तथा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ?

श्री जगजीवन राम : जहां तक अमरीकी पत्तनों पर जहाजों में अनाज लादने का सम्बन्ध है, उसमें कोई देरी नहीं हुई।

Shri P. N. Solanki (Kaira) : Keeping in view the situation in Suez Canal we should become self sufficiency in the matter of food as early as possible. In order to produce more foodgrains we should create confidence in the mind of farmers.

The Cooperative Societies that distribute foodgrains., Sugar and Gur, themselves indulge in profiteering so that fair distribution could take place.

Shri Jagjivan Ram : I don't think this thing applies to all the Cooperative Societies.

Shri P. N. Solanki : Not all but some of them do so.

Shri Jagjivan Ram : Some of the Cooperative Societies have done very good job. We always try to remove loopholes of the Societies so that they may run efficiently.

Shri A. B. Vajpapee (Balrampur) : We were expecting 30 Lakh tons of wheat from U. S. A. but President of U. S. A. has signed the document for the supply of 15 lakh tons of wheat to India. I want to know wheather remaining 15 lakh tons of wheat will be supplied to India or not ?

Shri Jagjiwan Ram : Supply of 30 lakh tons of wheat was expected to be completed in two lots. After receipt of 15 lakh tons of wheat, we shall talk about rest of the quantity. I do not think that U. S. A. will stoop so low as not to supply the rest of quantity of wheat.

Shri Yajna Dutt Sharma (Amritsar) : In order to make the country self sufficient in food will the Hon'ble Minister provide necessary funds to surplus States to enable them to increase the production of foodgrains.

Shri Jagjiwan Ram : It is quite clear in Finance Minister's speech that agriculture should be given top priority. Therefore we shall provide all our help and given funds expecially for quick yielding schemes.

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी राज्यों में वसूली की एकसी नीति अपनाई जाती है। पश्चिम बंगाल में ये वसूली का काम इसलिए बन्द कर दिया गया है कि उस राज्य में अनाज की कमी है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का अनाज के देर से पहुंचने के साथ क्या सम्बन्ध है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : हाल ही में जो स्थिति उत्पन्न हुई है क्या इससे अतिरिक्त अनाज की सहायता पर जिसका पहले से वचन दिया जा चुका है कोई बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

Shri Ramavtar Shashtri (Patna) : I agree with the proposal put fourth by Dr. Lohia. I want to ask the Hon'ble Minister whether he has any proposal to take out the hoarded foodgrains in country and sell them in the market ?

Shri Jagjivan Ram : I have already stated that if States take some urgent steps n the matter, Central Government will definitely co-operate with them, The Hon'ble ember may ask the Chief Minister of Bihar why the work of taking out hoarded foodains was stopped that State ?

सामान्य आयव्ययक 1967-68 सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET 1967-68 GENERAL DISCUSSION—CONTD.

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैंने अपने भाषण में बताया था कि सरकार ने सरकारी खर्च में कमी करने के विचार से वित्त मन्त्रालय में एक कर्मचारी परीक्षण यूनिट की स्थापना की है। इस यूनिट ने 53 कार्यालयों का निरीक्षण किया और उन मामलों में इसकी सिफारिशों के परिणामस्वरूप 2523 पदों में कमी की गई। इसके अतिरिक्त जहां नई भर्ती आदि का सुझाव दिया गया था, इन पदों को वापिस ले लेने अथवा इनमें परिवर्तन करने के फलस्वरूप 2450 पदों में कमी हुई। इस कर्मचारी निरीक्षण यूनिट की सिफारिशों को क्रियान्वित करके 212 करोड़ रुपये की बचत की गई है।

योजना सम्बन्धी खर्च के बारे में विभिन्न विचार व्यक्त किये गये हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने इस योजना को बड़ा बताया है और कुछ ने छोटा बताया है। इस योजना के अन्तर्गत अधिकांश व्यय विकास सम्बन्धी है और भविष्य में विकास की आवश्यकता तथा आर्थिक विकास की गति को बनाये रखने के लिए व्यय के अधिकतम स्तर की आवश्यकता के बावजूद सरकार ने कुल योजना सम्बन्धी व्यय को नीचा रखने के लिये बड़े संयम से काम लिया है। इस वर्ष भी योजना सम्बन्धी खर्च के लिये उतने ही धन की व्यवस्था की गई है जितने धन की पिछले वर्ष की गई थी। चालू वर्ष में 1826 करोड़ रुपये का कुल उपबन्ध है जिसमें से 590 करोड़ रुपये राज्यों को सहायता देने के लिए रखे गये हैं और 1236 करोड़ रुपये केन्द्र तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं के लिए रखे हैं। सभा को कोई पक्ष यह नहीं कहेगा धन की दृष्टि से योजना का दूसरा वर्ष पहले वर्ष से छोटा रहा है।

वास्तव में वर्ष 1966-67 की अपेक्षा राज्यों की योजना इस वर्ष छोटी है। राज्यों को जो सहायता दी गई है वह मुख्यतः कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ही दी गई है। कुछ सदस्यों ने योजना के आकार को कम करने के लिए सुझाव दिया है जो उचित नहीं। जो परियोजनाएं हमारे हाथ में है, जो चल रही हैं और जिनके लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जा चुका है, उन्हें हम न तो छोड़ सकते हैं और न उनकी गति धीमी कर सकते हैं।

इस योजना में वित्तीय संस्थाओं को सहायता देने के लिए 40 करोड़ रुपये का उपबन्ध है। इसके अतिरिक्त 200 करोड़ रुपये का उपबन्ध लोहे और इस्पात के उद्योगों तथा भारी उद्योगों के लिए है। जो परियोजनाएं चल रही हैं, उनकी गति धीमी नहीं की जा सकती। इससे सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की मांग में पर्याप्त वृद्धि होगी। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र अन्योन्याश्रित हैं। सरकारी क्षेत्र की प्रगति के बिना गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रगति नहीं हो सकती।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि यदि अनाज के लिए राज्य सहायता बन्द कर दी जाये तो अतिरिक्त कर लगाना आवश्यक नहीं होगा। सरकार निश्चय ही इस राज्य सहायता को अस्थायी व्यवस्था समझती है। वर्तमान परिस्थितियों में सरकार के पास

दो ही उपाय हैं या तो खाद्यान्नों का मूल्य बढ़ाया जाय या उपभोक्ता वस्तुओं जैसे सिगरेट, संश्लिष्ट सूत, मोटर स्पिरिट और चाय या काफी या जूतों पर कर लगाया जाये । यदि हम खाद्यान्नों के लिए राज्य सहायता बन्द करते हैं तो इसका सब से बुरा प्रभाव साधारण जनता और समाज के निर्धनतम वर्ग पर पड़ेगा । यदि हम उपभोक्ता की कुछ वस्तुओं पर कर लगाते हैं जिसका आयव्ययक के साथ कोई उपबन्ध नहीं हो तो वर्तमान परिस्थितियों में उचित होगा । दूसरी ओर श्री पी० राममूर्ति का कहना है कि खाद के लिए राज सहायता बन्द करना उस वचन को तोड़ना होगा जो अवमूल्यन के समय दिया गया था । मेरे विचार में सदा के लिए राज्य सहायता का वचन कोई भी सरकार पूरा नहीं कर सकती । यह सुझाव भी दिया गया है कि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि न कर के प्रत्यक्ष करों की वृद्धि की जाये । हम प्रत्यक्ष करों के सम्पूर्ण ढांचे का निरीक्षण पर विचार कर रहे हैं । जब तक हम किसी निश्चय पर नहीं पहुंच जाते तब तक प्रत्यक्ष करों में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे । इस आयव्ययक में जितने परिवर्तनों का सुझाव दिया गया है वे बहुत ही साधारण हैं । बचत, पर्यटन, कर से छुट्टी पर रियायतों का स्वागत किया गया है । उपभोक्ता पर सामान्य रूप से शुल्कों के अपने आप लग जाने के मुकाबले नये शुल्कों से मूल्यों पर शायद कम प्रभाव पड़े । वास्तविक आय में कुछ कमी हुई है । जिससे उपभोक्त में प्रतिरोध को जन्म मिला है । उपभोक्ता का प्रतिरोध मूल्यों में कमी का कार्य करेगा । सरकार ने अपना व्यय सीमित रखने के लिये बड़े संयम से काम लिया है । आयात सम्बन्धी हमारी आयात नीति मूल्यों में वृद्धि को रोकने में हमारी सहायता करेगी । इस वर्ष उत्पादन शुल्क इस प्रकार का है कि यदि किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो शुल्क दर, में भी वृद्धि हो जाती है ।

हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि कर अपवंचन कम हो और कर का अनुमान लगाने तथा वसूल करने में होने वाले विलम्ब को दूर किया जा सके । पहले अधिक से अधिक लोगों को आय-कर निर्धारण के अन्तर्गत लाने का अभियान आरम्भ किया गया है । इसके बाद कर ढांचे के सरलीकरण और युक्तिकरण पर निरंतर विचार किया जा रहा है ।

इसके साथ ही काले धन का भी पर्याप्त उल्लेख किया जा रहा है । यह एक सामाजिक एवं आर्थिक बुराई है । परन्तु इस बुराई को वर्तमान परिस्थितियों में विमुद्रीकरण से समाप्त नहीं किया जा सकता । फिर भी सरकार इस काले धन को निकलवाने के लिए भरसक प्रयत्न करेगी । हाल ही में इस दिशा में कई कानूनी उपाय किये गये हैं । अपनी इच्छा से गुप्त धन प्रकट करने की दो विशेष योजनाएं भी चलाई गई हैं और इन योजनाओं से 197 करोड़ रुपये के लगभग गुप्त धन का पता चला है । इसके अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यवाही भी की जा रही है । बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली में गुप्तचर यूनिटों की स्थापना की गई है और वे बहुत ही लाभकारी कार्य कर रहे हैं । सूचना देने वालों को पुरस्कार देने की नीति को उदार बना दिया गया है । हम गुप्त धन को प्रकट करवाने के लिए सतर्कता में किसी प्रकार की ढील न होने देंगे ।

जहां तक भूतपूर्व राजाओं पर कर लगाने का प्रश्न है, निजी थैलियों को छोड़ कर जिसके लिये संविधान में छूट है, कर लगाने के बारे में उनके साथ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाता ।

अन्त में मैं सरकारी क्षेत्र के बारे में कुछ कहूंगा। सरकारी क्षेत्र को बदनाम करने और इसकी आर्थिक उपलब्धियों को गलत ढंग से पेश करने के लिये सुनियोजित ढंग से प्रयत्न किया गया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के स्वरूप पर विचार करने से पता चलता है कि उन्हें पर्याप्त समय से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ये बड़ी जटिल इकाइयां हैं और इनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसलिए यह आशा करना उचित नहीं है कि उत्पादन की स्थिति में पहुंचने पर वे सभी इकाइयां तुरन्त लाभ देने लगेंगी। फिर भी वर्ष 1965–66 में 40 चालू उपक्रमों में से हिन्दुस्तान स्टील सहित 31 ने मूल्यह्रास का भुगतान करने के बाद, किन्तु पूंजी पर ब्याज ऋण और कर का भुगतान किये बिना 56.4 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया। केवल 8 उपक्रम है जिन्होंने स्पष्ट रूप से घाटा दिखाया है।

अशोका होटल ने, जिसे किसी समय बहुत बदनाम किया जाता था, वर्ष 1965–66 में 12.8 प्रतिशत लाभ दिखाया है। मेरा कहने का अर्थ यह नहीं कि हम सरकारी क्षेत्र की स्थिति में सुधार कर ही नहीं सकते। हमने इस समस्या के साथ निपटने के लिये वित्त मंत्रालय में सरकारी उद्योगों के ब्यरों की स्थापना की है जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य में समन्वय करेगा, समय समय पर उनकी प्रगति का निरीक्षण करेगा। यह ब्योरा नये संयंत्र लगाने तथा उद्योगों की उपयोगिता के विषय में भी विचार करेगी।

जहां तक प्रबन्धकों का प्रश्न है, हमारा प्रयत्न यही है कि जहां कहीं से सुलभ हो उपयुक्त योग्यता प्राप्त व्यक्ति लिये जायें। हाल ही में हमने एक विज्ञापन निकाला और हमें एक हजार आवेदन पत्र मिले हैं। सरकारी अधिकारियों में से ऐसे उपयुक्त अधिकारियों का एक पेनल बनाया जा रहा है जो इन सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में काम कर सकते हों।

निर्यात के क्षेत्र में भी सरकारी उपक्रमों ने गत वर्ष महत्वपूर्ण किया है।

श्री डांगे ने यह सुझाव दिया है कि प्रबन्धकों कमीशन शुदा वेतन के आधार पर वेतन दिया जाना चाहिये। यह बड़ा रोचक सुझाव है और हम इस पर विचार करेंगे।

हमारी सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में कोई आन्तरिक दोष नहीं है। समय की गति के साथ उनका विकास होगा जिस प्रकार उनमें से कुछ ने पहले ही पर्याप्त प्रगति कर ली है। सभा को इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं समझना चाहिये जिनमें इस देश की जनता का धन लगा हुआ है और मुझे आशा है कि ये परियोजनाएं जन-साधारण के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगी।

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : आयव्ययक पर सर्वप्रथम उसके मूल्य वृद्धि को रोकने पर तुरन्त पड़ने वाले प्रभाव की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये। आयव्ययक सम्बन्धी निर्णय करने का दूसरा प्रभाव उनकी मुद्रास्फीति रोकने की क्षमता है। श्रमिक वर्ग का निर्वाह-व्यय, निचले तथा ऊंचे मध्यम वर्ग के निर्वाह व्यय, सामान्य वस्तुओं के तथा औद्योगिक कच्चे माल तथा तैयार माल के थोक मूल्यों पर पड़ने वाला प्रभाव आयव्ययक की कसौटी होगा। माननीय वित्त मन्त्री ने शायद उचित रूप से यह दावा किया है कि श्रमिक वर्ग के निर्वाह-व्यय पर आयव्ययक का तुरन्त प्रभाव नगण्य होगा। यही बात मध्यम वर्ग निर्वाह-व्यय

के सम्बन्ध में कही जा जकती है। श्री शान्तिलाल शाह ने जूता, वस्त्र, चाय, काफी, सिग्रेट आदि मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर आयव्ययक सम्बन्धी प्रभावों के बारे में आंकड़े दिये हैं। उन वस्तुओं पर गम्भीर प्रभाव पड़ा है। औद्योगिक कच्चे माल तथा तैयार माल पर आयव्ययक का प्रभाव और रेलवे आयव्ययक का प्रभाव बहुत गम्भीर होगा, ऐसी परिस्थितियों में थोक मूल्य स्थिर नहीं होंगे।

आयव्ययक की एक और महत्वपूर्ण कसौटी मुद्रास्फीति को रोकना है सरकारी व्यय का मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ता है। प्रतिरक्षा-व्यय अतिरिक्त यह व्यय कुछ वर्षों से निरन्तर बढ़ता रहा है। एक बार वित्त मन्त्री ने कहा था कि सरकारी खर्च में लगभग 10 प्रतिशत कटौती की जानी चाहिये। ऐसा न किये जाने का क्या कारण है। सरकारी व्यय में मितव्ययता अनिवार्य है तथा ऐसा अवश्य किया जाना चाहिये।

कहा गया है कि यह आयव्ययक घाटे का आयव्ययक नहीं है। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है क्योंकि यह आयव्ययक भी 135 करोड़ रुपये की सीमा तक अप्रयुक्त पी० एल० 480 निधियों पर निर्भर करता है इसलिये, यह आयव्ययक घाटे का आयव्ययक है।

अन्ततः मुद्रास्फीति में वृद्धि के बारे में तीसरा प्रश्न यह है कि क्या उत्पादन, बचत तथा निवेश को उस आयव्ययक से पुनः गतिशीलता मिलती है। उत्पादन में तुरन्त इतनी वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है कि देश के अन्दर की मांग पुरी किये जाने के बाद निर्यात के लिये काफी बच जाये। अन्य उपाय बचत तथा पूंजी निर्माण हैं। आयव्ययक का बचत की मात्रा तथा सामान्य पूंजी में निवेश की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक इन दो परिस्थितियों पर विचार नहीं किया जायेगा तब तक पूंजी निर्माण की सीमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जब तक हम पूंजी निर्माण नहीं करेंगे तब तक न तो अधिक बचत होगा और न कोई निवेश होगा।

निर्यात के लिये प्रयत्नों को लाभकारी बनाने की बजाय हमारी आदत नगरात्मक तरीके से कार्यवाही करने की हो गई है अर्थात हम देश के अन्दर उपभोग कम लाभकारी बना रहे हैं तथा लोग निर्यात करने के लिये बाध्य हों, उस प्रकार अर्थ व्यवस्था में गतिशीलता नहीं लाई जा सकती।

यह आयव्ययक मूल्य वृद्धि नहीं रोक सकेगा, मुद्रास्फीति को नहीं रोक सकेगा। सरकारी व्यय को नहीं रोक सकेगा। घाटे की अर्थ व्यवस्था को नहीं रोक सकेगा। उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकेगा। इसलिए, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह आयव्ययक बहुत बुरा है।

Shri Ahmed Aga (Baramulla) : It cannot be denied that the country is facing economic difficulties. However, after the clarifications given by Shri Pant, it was hoped that the dismal picture of those difficulties will not be printed any more, But it appears thar frustration has over taken certain persons so much that they think that this Government cannot do a single good thing, Such a feeling is an inpediment in our endeavours for advancement. There is no cause for disappointment.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अथवा भाषण सोमवार को जारी रखे।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

तीसरा प्रतिवेदन

Shri Hardayal Dewgun (East Delhi) : Sir I beg to move that this House agrees with the Third Report of the Committee on Private Member's Bills and Resolutions presented to the House on the 7th June, 1967.

श्री प्र० के देव (कालाहांडी) : श्री नाथ पाई द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर चर्चा के लिये कम से कम तीन घंटे दिये जाने चाहिये। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले भी इसके लिये समय बढ़ा कर तीन घंटे किया गया था। जब अगली बार यह सभा के सामने जायेगा तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री कर्णी सिंह (बीकानेर) : मेरा एक विधेयक सूची में संख्या 3 पर दर्ज है जिसे औपचारिक रूप में संयुक्त समिति को प्रेषित किया जाना है। क्या यह विधेयक समिति को सौंपा जा सकेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय यह कहना कठिन है। समिति इस पर विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तीसरे प्रतिवेदन से जो 7 जून, 1967 को सभा में उपस्थित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

प्रबन्ध व्यवस्था परिषद विधेयक 1967

MANAGING COUNCIL BILL, 1967.

श्री राम कृष्ण गुप्त (हिसार) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिक भाग लें इस प्रयोजन से औद्योगिक फर्मों में प्रबन्ध व्यवस्था परिषदें स्थापित करने संबंधी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिक भाग लें इस प्रयोजन से औद्योगिक फर्मों में प्रबन्ध व्यवस्था परिषदें स्थापित करने संबंधी विधेयक क पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री राम कृष्ण गुप्त : श्रीमान, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

जांच आयोग विधेयक 1967

INVESTIGATION COMMISSION BILL, 1967.

श्री राम कृष्ण गुप्त (हिसार) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों अथवा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करने तथा तत्संसक्त विषयों का उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : "प्रश्न यह है :

"कि सरकारी कर्मचारियों अथवा सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करने तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री रामकृष्ण गुप्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

सहायक बैंक विलय विधेयक 1967

SUBSIDIARY BANKS MERGERS BILL, 1967.

श्री राम कृष्ण गुप्त (हिसार) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सभी सहायक बैंकों का स्टेट बैंक आफ इण्डिया में विलय संबंधी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभी सहायक बैंकों का स्टेट बैंक आफ इण्डिया में विलय संबंधी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री राम कृष्ण गुप्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजद्रोह विधेयक १९६७

TREASON BILL, 1967.

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : I beg move for leave to introduel a Bill to provide for punishment to lessons found guilty of treaseon and matters conne cted there with.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजद्रोह के दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों को दण्ड देने तथा तत्सक्त विषयों का उपलब्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri Yashpal Singh : Sir, I introduce the Bill,

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक 1967

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 1967.

(धारा 405 और 406 का संशोधन)

(AMENDMENT OF SECTIONS 405 and 406)

श्री रामकृष्ण गुप्त (हिसार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदयः : प्रश्न यह है -

"कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The m tion was adopted.

श्री राम कृष्ण गुप्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 1967

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL, 1967

(धारा 77 का संशोधन)

(Amendment of Section 77)

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri Yashpal Singh : Sir, I introduce the Bill.

उद्जनित वनस्पति तेलों के निर्माण तथा आयात का निषेध विधेयक 1967

PROHIBITION OF MANUFACTURE AND IMPORT OF HYDROGENATED VEGETABLE OILS BILL, 1967.

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for prohibition of manufacture and import of hydrogenated vegetab.e oils in India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में उद्जनित वनस्पति तेलों के निर्माण तथा आयात के निषेध उपलब्ध करने वाले विधेयक को उपस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Shri Yashpal Singh : I introduce the Bill.

किराया-खरीद विधेयक 1967

HIRE-PURCHASE BILL 1967

Shri Yashpal Singh (Dehra Dun) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the law relating to the hire-purchase of goods.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वस्तुओं की किराया-खरीद सम्बन्धी विधि में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adpoted.

Shri Yashpal Singh : Introduce the Bill.

मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक 1967

PAYMENT OF WAGES (AMENDMENT) BILL 1967

(धारा 1 और 15 का संशोधन तथा नई धारा 15क का रखा जाना)

(Amendment of section 1 and 15 and Insertion of new section 15A)

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मजूरी भुगतान अधिनियम, 1936 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मजूरी भुगतान अधिनियम, 1936 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री स० चं० सामन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

पुस्तकों तथा समाचारपत्रों का दिया जाना (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक 1967

DELIVERY OF BOOKS AND NEWSPAPERS (PUBLIC LIBRARIES) AMENDMENT BILL 1967

(धारा 2 और 3 का संशोधन)

(Amendment of section 2 and 3)

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पुस्तकों तथा समाचारपत्रों का दिया जाना (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पुस्तकों तथा समाचारपत्रों का दिया जाना (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री स० चं० सामन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

कम्पनी (सशोधक) विधेयक 1967
COMPANIES (AMENDMENT) BILL 1967

(नई धारा 43ख और 250क का रखा जाना और धारा 224, 237 आदि का संशोधन)

(Insertion of new sections 43B and 250AA and amendment of Sections 224, 237 etc.)

श्री दी० चं० शर्मा (गुर्दासपुरा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted,

श्री दी० चं० शर्मा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

दान-कर (संशोधक) विधेयक 1967
GIFT TAX (AMENDMENT) BILL 1967

(धारा 22, 23 आदि का संशोधन)

(Amendment of Section 22, 23 etc.)

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दान-कर अधिनियम, 1958 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि दान कर अधिनियम, 1958 में आग संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री दी० चं० शर्मा : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

विदेशी मुद्रा विनियम (संशोधन) विधेयक 1967
FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMENDMENT) BILL 1967

(धारा 2 और 23 आदि का संशोधन)
(Amendment of Sections 2 and 23 etc.)

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1947 में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1947 में अग्रतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted,

श्री दी० चं० शर्मा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक 1967
PREVENTION OF CORRUPTION (AMENDMENT) BILLL 1967

(धारा 6 का हटाया जाना)
(Omission of section 6)

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prevention of Corruption Act, 1947.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

Shri Vishwa Nath Pandey : I introduce the Bill.

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 1967
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL 1967

(धारा 127, 128, और 129 का संशोधन)
(Amendment of sections 127, 128 and 129)

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को उप स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri Vishwa Nath Pandey : I introduce the Bill.

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 1967

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL 1967

(धारा 555 का संशोधन)

(Amendment of section 252)

Shri Vishwa Nath Pandey : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में संशोधन करने वाले विधेयक को उपस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri Vishwa Nath Pandey : Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1967

(अनुच्छेद 134क का संशोधन)

(Amendment of Article 134A)

Shri Vishwa Nath Pandey : Mr. Deputy Speaker, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को उपस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri Vishwa Nath Pandey : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1967

(अनुच्छेद 13 का संशोधन तथा नये अनुच्छेद 19क आदि का रखा जाना)
(Amendment of Article 13 and insertion of new Article 19A, etc.)

श्री गणेश (अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की मुझे अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमवि दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

श्री गणेश : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1967

(अनुच्छेद 102 का संशोधन)
(Amendment of Article 102)

श्री गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक पुरस्थापित करने की मुझे अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

श्री गणेश : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1967

(अनुच्छेद 37, 45 आदि का संशोधन)
(Amendment of Article 37, 45 etc.)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 26 मई, 1967 को श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेंगे :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को उस पर 31 अगस्त, 1967 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये ।"

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : I feel pleasure while supporting the Bill introduced by Shri Madhu Limaye. The Directive Principles laid down in the Constitution regarding the provisions of free and compulsory schooling for children and duty to feel the people should be made justiciable. It is necessary to do so because the Government had failed to implement the afore-said provisions. About 3000 persons are dying of starvation everyday in Bihar and if no satisfactory arrangements for feeding the people are made, it is feared that in the next few months about 10 lakh persons would die of starvation in Bihar and Uttar Pradesh. The Government would not act unless the courts are empowered to get these provisions enforced.

{ श्री मनोहरन पीठासीन हुए
Shri Manoharan *in the Chair* }

I know that if it happens they will be sentenced and sent to Jail. Similarly if children do not get primary education, officials of the Government and the Ministers will be afraid of action in the courts of law. I do not mind if provision of capital punishment is made in this respect. It will not be proper to reject the Bill on the plea that it involves much expenditure and the Government cannot afford to spend it. Food and education are the primary needs of a civilised nation and therefore arrangements had to be made for them. Equality and prosperity are two interdependent things. To-day 45 crores people do not get any inspiration. The discussions take place here and outside are meant for 1-3 crores of people which is ridiculous. The resolution should not be rejected simply because it has been introduced by a member of the opposition party.

Now I want to say that Directive Principles of State Policy laid in the constitution are not effective at all and either they should be scropped or the Government should accept this Bill so that these provisions could be implemented.

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwant Jha Azad) : I fully appreciate the spirit behind the Bill. It has been provided in the Bill that if Directive Principles are not implented; for instance if Government fails to impart free education to the boys upto 14 years, anyone of them could go to the Court of law and demand justice. Similarly if Government does not supply sufficient food to the people, they can go to court and ask for it. There could be no two opinions about the fact that food and education are the primary requirements of any society and the Government should make arrangements to provide them to the people. It is true but Government has also to consider the fact that there are some practical difficulties due to which we have not been able to do so.

We have been trying to make primary education free and compulsory during the three Five Year Plans but the target has not yet been achieved. Our survey reports show that even after the completion of Fourth Plan the percentage of education of the children between the age of groups of 6–11 and 11-14 would be only 91 and 43. We, however, expect that cent per cent literacy would be achived by the end of Fifth Five Year Plan. Now Shri Madhu Limaye wants us to include the Directive Principles laid down in the constitution in the Fundamental Rights. There is no doubt that we could not achieve the target but it would be appropriate to include the Directive Principles in fundamental rights especially when we do not have sufficient funds ? I agree in principle but I am not in favour of amending the constitution and include principles in fundamental rights as we do not have reasources to implement them. Second thing is that we have to keep in view the wastage and stagnation at primary stage of education. There are many areas in our country where girls do not go to schools. Even boys are called back from schools to perform their occupational jobs.

These are practical difficulties because of which we cannot support the Bill introduced by Shri Madhu Limaye that it should be criculated for the purpose of eliciting opinion thereon.

The Hoh'ble member also wants us to change article 47 so that if a citizen does not get substantial food, he can go to the court of law. I feel that the article 47 is more comprehensive in its present from and it would not be proper to amend it. As we do not have resources to implement the provisions of this Bill, we cannot accept it.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I did not intend to get this Bill passed but the motion was only for circulating the Bill for eliciting public opinion thereon. The question of funds therefore does not come in the picture at this stage.

The Hon'ble Minister has stated that it would not be possible to implement these Directive Principles by 1981. If we go on postponing these implicit provisions like this, these principles would not be implemented even when 21st century will come in. Therefore there should be sometime limit and he should be determined to implement them. It is necessary to empower the courts to enforce free and compulsory education and also to enforce performance by the State of its duty to feed the people. If these provisions remained under the directive principles, they would perhaps never be implemented.

The Government had promised during the elections that it is their duty to feed the people. If the Government is sincere to these pledges, there should not be any difficulty in accepting this amendment.

So far the questin of prohibition is concerned it could not be enforced even in Delhi which is ruled by Central Government. The law relating to prohibition has been released by Congress Governments and non-Congress Governments have scrapped prohibition straightway. In view of this there is no point in keeping this principle in the directive principles and to some should be excluded.

If the Government agree with the spirit of the Bill, it should be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon.

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

अध्यक्ष महोदय : मैं अब इस प्रश्न को सभा के मतदान के लिये रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को उस पर 31 अगस्त, 1967 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये ।"

लोक सभा में यह विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में	=	59	विपक्ष में	=	85
Ayes	-	59	Noes	-	85

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

संविधान (संशोधन) विधेयक 1967

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL 1967

(अनुच्छेद 368 का संशोधन)

(Amendment of Article 368)

श्री नाथपाई (राजापुर) : मेरा विधेयक संविधान में संशोधन करने के बारे में है ।

मौलिक अधिकारों सम्बन्धी संविधान के अनुच्छेदों का संशोधन करने के लिये संसद की क्षमता के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही में दिये गये निर्णय के कारण सन्देह तथा परेशानी पैदा हो गई है । इस विधेयक का उद्देश्य उन संदेहों को दूर करता है और इस सम्बन्ध में संसद की सर्वोच्चता बनाये रखता है । यदि सर्वोच्च न्यायालय को रहने दिया गया तो संसद का अधिकार धीरे धीरे कम हो जायेगा । यदि संसद मौलिक अधिकारों को बढ़ा सकती है तो वह उनमें संशोधन भी कर सकती है । सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार कर लेने से संसद जनता की इच्छा के अन्तिम उपकरण के रूप में काम नहीं कर सकेगी ।

इस निर्णय से पूर्व शंकरी प्रसाद तथा बाद में सज्जनसिंह के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने जो दो निर्णय दिये थे उनमें सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 368 सहित संविधान का संशोधन करने के लिये संसद् के अधिकार बरकरार रखा और यह स्पष्ट रूप से कहा कि संसद् मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का पूरा अधिकार तथा सक्षमता रखती है । इसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने अब विरोधी निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 13 की परिभाषा के अनुसार संशोधन एक कानून है इसलिये यदि इससे मौलिक अधिकार समाप्त किये जाते हैं या कम किये जाते हैं तो यह अवैध है परन्तु उस निर्णय का उत्तरकालीन प्रवर्तन होगा और पहले, चौथे और सातवें संशोधन को वैध ठहराया गया है ।

उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा है कि 1951 का प्रथम संशोधन, 1955 का संशोधन तथा 1964 का सत्रहवां संशोधन मूल अधिकारों के दायरे को सीमित करते हैं । जनता में

सन्देह उत्पन्न हो गया है कि क्या संसद् मूल अधिकारों के बारे में संविधान में परिवर्तन कर सकती है या नहीं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार 368 अनुच्छेद केवल प्रक्रियात्मक है। अब उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि इसके पहले निर्णय गलत धारणाओं पर आधारित थे। यह हो सकता है कि न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों के निर्णयों के भविष्य में आने वाले न्यायाधीश गलत समझें।

इस प्रकार मूल अधिकारों के विषय में परिवर्तन हो सकता है। यह बात बहुत विचित्र मालूम होती है। इस प्रकार की स्थिति बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती है। तीन बातें इससे स्पष्ट होती है। एक यह कि अनुच्छेद 368 केवल प्रक्रियात्मक है। संसद् को मूल अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, और तीसरे यदि आप संशोधन में संशोधन करना चाहते हैं तो नई संविधान सभा बुलानी पड़ेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद् द्वारा बनाया गया निकाय एक काम कर सकता है परन्तु संसद् वह कार्य नहीं कर सकती। मेरे विचार में यह सभा नई सभा की अपेक्षा जनता का अधिक प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि संविधान सभा के अधिक सदस्य मनोनीत होते हैं। इस सभा को लोगों ने चुनकर भेजा है। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये। वहां पर देश के विख्यात न्यायिक अधिवक्ताओं के विचार जाने जा सकेंगे। हमारे संविधान के बनाने वालों में डा० अम्बेदकर का मुख्य स्थान है। उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संविधान के किसी भी भाग में मूलभूत परिवर्तन किये जा सकते हैं। हमारे जैसे देश में संसद् को प्रगतिशील होना चाहिये और समय के साथ साथ परिवर्तन कर लेने चाहिये।

श्री सीरवाई, जो संविधानिक कानून के एक बड़े विशेषज्ञ है, ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को तुरन्त रद्द कर दिया जाना चाहिये। संसद् को देश की जनता ने चुन कर बनाया है अतः संसद् की स्थिति सर्वोच्च है। संसद् को अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। हम यह नहीं चाहते कि संसद् तथा उच्चतम न्यायालय के बीच कोई झगड़ा खड़ा हो जाये, परन्तु दोनों को अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने का पूरा अधिकार होना चाहिये।

मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि भारत के संविधान में आये संशोधन करने वाले विधेयक को 15 सदस्यों अर्थात्:—

श्री खाडिलकर श्री भण्डारे श्री नि० च० चटर्जी श्री कंवरलाल गुप्त श्री एस० एम० जोशी श्री मनोहरन डा० मेलकोटे श्री गोविन्द मेनन श्री बाकर अली मिर्जा श्री पीलु मोडी श्री ही० ना० मुकर्जी श्री रामकिशन श्री रामेश्वर राव श्री उमानाथ और श्री नाथ पाई

की एक प्रवर समिति को हिदायत के साथ सौंपा जाये कि वह अगले सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन दे।"

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : श्री नाथ पाई ने अपनी बात बहुत स्पष्ट तथा विद्वतापूर्ण शब्दों में रखी है। इस विधेयक की वांछनीयता के बारे में किसी को संदेह नहीं है।

यह विधेयक ठीक समय पर लाया गया है। मुझे कानूनी विषयों की अधिक जानकारी नहीं है। कानून की पुस्तकों में आप को सभी प्रकार के निर्णय मिल जायेंगे जो परस्पर विरोधी होंगे।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

मैं न्यायाधीशों का सम्मान करता हूँ, परन्तु कभी कभी वे भी गलती कर सकते हैं। वे भी मनुष्य होते हैं। हमारे देश में प्रजातन्त्र है। बहुमत की बात चलती है। हमें न्यायालयों के निर्णयों को सन्तुलित विचार से सोचना चाहिये। यदि आप न्यायालयों के निर्णयों का अध्ययन करने लगें तो कई ऐसी बातें मिलेंगी जिन्हें हम असंगत मान सकते हैं। हमारे संविधान के उपबन्धों के अनुसार बहुत से निकायों की स्थापना हुई है। उन की स्थापना दूसरे शब्दों में संसद ने की है। संसद् देश की जनता की आकांक्षाओं तथा आशाओं को प्रतिबिम्बित करती है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय सदैव बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते हैं। अतः संसद् की बात सर्वमान्य होनी चाहिये।

हमारा संविधान मूल अधिकारों के विषय में बहुत उदार है। मैं नहीं मानता कि इन अधिकारों में केवल संविधान सभा ही परिवर्तन कर सकती है। जब ऐसी सभा की आवश्यकता थी उस समय इसे गठित किया गया था परन्तु अब उसकी आवश्यकता नहीं है। मूल अधिकारों में सुगमता से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसा करने के लिये दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। जो कि कुल सदस्यों का होना चाहिये। संविधान में दिये गये मूल अधिकार देश की जनता के लिये एक प्रकार की गारंटी हैं। उनके द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक की निजी तथा सामूहिक स्वतंत्रता कायम है। यह संसद् इस देश की सर्वोच्च अधिकारों वाली संस्था है। यह देश की 50 करोड़ जनता के अधिकारों की संरक्षक है। मैं श्री नाथ पाई के विधेयक का समर्थन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें न्यायपालिका के प्रति कोई ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिये जो अनुचित हो। हां, संविधान के निर्वचन के बारे में हम में मत भेद हो सकता है।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मुझे खेद है कि मैं श्री नाथपाई के विचार से सहमत नहीं हूं वह उच्चतम न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय को समाप्त करना चाहते हैं। इस निर्णय में हमारे मूल अधिकारों को बनाये रखने की बात कही गई है। इस निर्णय को जब उच्च न्यायालय ने दिया था उस समय श्री सुब्बाराव मुख्य न्यायाधीश थे। उनको सभी प्रतिपक्ष वालों ने राष्ट्रपति के पद के चुनाव में अपना उम्मीदवार चुना था। उनका समर्थन श्री नाथपाई की पार्टी ने भी किया था मैं समझ नहीं सका कि क्या सत्ताधारी दल ने श्री नाथपाई को**

श्री नाथ पाई : ये शब्द निकाल दिये जाने चाहिये।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया
Expunged as ordered by the chair.

श्री प्र० के० देव : यह उचित नहीं है ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : हमें व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिये न्यायालय के निर्णय पर विचार करते समय व्यक्तियों को बीच में नहीं लाना चाहिये ।

श्री प्र० के० देव : हमें प्रसन्नता है कि उच्चतम न्यायालय हमारे अधिकारों की रक्षा करता है ।

इस ऐतिहासिक निर्णय द्वारा न्यायालय ने 17वें संशोधन को समाप्त करके रख दिया है और संसद् में कांग्रेस पार्टी के बहुमत को भी धक्का दिया है । इस पार्टी ने पिछले 17 वर्षों में संविधान का 22 बार संशोधन किया है । सरकार ने कई संशोधनों द्वारा संविधान द्वारा दिये गये मूलाधिकारों का अप्रत्यक्ष रूप से हनन किया गया है । अनुच्छेद 368 में संशोधन सम्बन्धी प्रक्रिया दी गई है ।

संविधान के अन्तर्गत संसद् को बहुत अधिकार मिले हुए हैं । परन्तु सत्ताधारी पार्टी ने संविधान को संशोधित करते समय अपने बहुमत का अनुचित प्रयोग किया है । कई संशोधन तो ऐसे थे जो सरकार के अनुचित निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये थे । मूलभूत अधिकारों में तीन बार परिवर्तन किया गया है । देश के लोगों को बहुत से अधिकारों से वंचित कर दिया गया है । सत्ताधारी दल को चाहिये था कि संशोधन करने से पहले देश की जनता का विश्वास प्राप्त करता ।

जैसा कि गोआ, दमण तथा दीव जनमत संग्रह विधेयक किया गया है । इस बारे में एक नई गठित संविधान सभा संविधान में संशोधन करेगी । विभिन्न देशों के संविधानों में संशोधनों के लिये विशेष प्रक्रिया बनायी गई है । अमरिका के संविधान में संशोधन किये गये है परन्तु मूलभूत अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है ।

हमारे संविधान में मूल अधिकारों के अन्तर्गत कुछ मूल्यों के महत्व उच्च स्थान दिया गया है । ये मूल्य है, भाषण की स्वतंत्रता, तथा साहचर्य आदि की स्वतंत्रता । इस प्रकार के पवित्र मूल्यों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता ।

रूस में, जहां एक पार्टी है, वहां भी निजी सम्पत्ति रखने के बारे में सोचा जा रहा है । मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : मैं एक वकील नहीं हूं अतः मुझे वकीलों के साथ तर्क का अधिकार प्राप्त नहीं है । श्री नाथपाई ने इंग्लेंड में कानूनी शिक्षा प्राप्त की है । उस देश का संविधान अलिखित है । वहां पर संसद प्रभुसत्ता सम्पन्न है परन्तु हमारा संविधान लिखित है । हमारे देश कार्यकारणी को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है । इसके आदेश कानूनों के समान हैं । हमारे संविधान के अन्तर्गत न्यायपालिका तथा संसद् अपने-अपने कार्यक्षेत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न है । संविधान के निर्वचन का कार्य न्यायपालिका को करना होता है । हम चाहते हैं कि मूल अधिकारों के बारे में संशोधन सरल कार्य नहीं होना चाहिये । संसद् को उच्चतम-न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध कोई कानून पास नहीं करना चाहिये । यह

निर्णय ठीक निर्णय है और संविधान बनाने वालों की भावनाओं के अनुसार है। मैं नहीं मानता कि संसद् में बहुमत सर्वोच्च है। मैं अनुच्छेद 378 को केवल प्रक्रियात्मक मानता हूं।

मेरे विचार में संशोधन भी विधि ही होता है। संविधान का संशोधन भी कानून है। संविधान के मूलभूत अधिकारों को छेड़ना खतरनाक होगा। संविधान बनाने वालों ने इन सभी पहलुओं पर विचार किया था। इसीलिये उन्होंने इन अधिकारों को एक अलग वर्ग में रखा है। मैं इस धारणा से सहमत नहीं कि बहुमत की बात सदैव ठीक होती है। अतः हमें बहुमत वालों की बात ऐसे ही मान नहीं लेना चाहिये। संसद् में कल किसी भी समुदाय या पार्टी का बहुमत हो सकता है। कई देशों में संविधान सभाओं ने ऐसे संविधान बनाये हैं जो भारत के संविधान के विपरीत है। जैसे पाकिस्तान को एक इस्लामी राज्य बनाया गया था और बर्मा को एक बौद्ध राज्य माना गया था। परन्तु भारत की संविधान सभा मूल अधिकारियों के महत्व को समझकर इन का उपबन्ध किया था। संसद् को इन अधिकारों में परिवर्तन नहीं करना चाहिये। वास्तव में यह अधिकार नैतिक नियम है जिन्हें कानूनी भाषा में लिखा गया है। इन्हें पवित्र मानकर इनमें परिवर्तन नहीं करना चाहिये।

चाय (संशोधन) विधेयक 1967

THE TEA (AMENDMENT) BILL, 1967

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफ़ी कुरेशी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चाय अधिनियम, 1953 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि चाय अधिनियम, 1953 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री शफ़ी कुरेशी : श्रीमान्जी मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 12 जून, 1967/22 ज्येष्ठ, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then Adjourned till Eleven of the clock on Monday, June 12, 1967/ Jyaishta 26, 1889 (Saka).